हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 2022 (प्रथम बैठक)

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 15 मार्च, 2022

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

स्वास्थ्य मंत्री तथा हरियाणा विधान सभा के एक सदस्य के जन्मदिन पर शुभकामनाएं

अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजथल, जिला हिसार के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–
प्रदेश में रजिस्ट्रियों के मामले में घोर अनियमितताएं सामने आने से संबंधित

वक्तव्य–
उप–मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के जन संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग, कुरूक्षेत्र के संकाय तथा विद्यार्थियों का अभिनंनदन

गैर–सरकारी संकल्पों की सूचनाएं

वर्ष 2022–23 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन

वर्ष 2022–23 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ

चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, पंजाब के पत्रकारिता तथा जनसंचार विभाग के संकाय तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन

वर्ष 2022–23 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 15 मार्च, 2022 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10:00 बजे हुई । अध्यक्ष (श्री ज्ञान चन्द गुप्ता) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है ।

To Open a Government Girls College

***1618. Shri Ram Kumar Kashyap:** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Girls College in Indri Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): नहीं, श्रीमान् जी।

श्री राम कुमार कश्यपः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा हल्का इन्द्री पूर्व दिशा में यमुना नदी के साथ लगता है । एक कहावत भी है कि यमुना की रेती न देती न लेती । कहने का मतलब यह है कि यह जो एरिया है वह हर तरह से बहुत बैकवर्ड है । यमुनानगर से लेकर करनाल तक वाया गढ़ी वीरबल जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि कुरूक्षेत्र से यमुना नदी तक कोई भी लड़कियों का कालेज नही है । अध्यक्ष महोदय, हमारे हल्के में लड़कियों की आबादी भी ज्यादा है क्योंकि जहां गरीबी ज्यादा होती है वहां बच्चे ज्यादा होते हैं यह नैचुरल सी बात है । अध्यक्ष महोदय, आपके और मंत्री जी के आशीर्वाद से इस बैल्ट में 14 सीनियर सैंकेडरी स्कूल्ज हैं। इनमें से कुछ सरकारी स्कूल्ज हैं तथा कुछ प्राइवेट स्कूल्ज हैं । इन स्कूलों में 700 से 900 लड़कियां पढ़ती हैं । यहां के लोग अपनी लड़कियों को दूर कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते । वे चाहते हैं कि वहां पर ही लड़कियों का कालेज हो, इसलिए वहां लड़कियों के कालेज की भी बहुत ज्यादा जरूरत है । लड़कियों के कॉलेज के लिए यहां की पंचायत जमीन देने के लिए भी तैयार है इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे यहां लड़कियों का कालेज खोलने का काम अवश्य किया जाए, इसके लिए लड़कियां मंत्री जी को आशीष देती रहेंगी ।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि राजकीय महाविद्यालय, मटक माजरी इन्द्री से केवल दो किलोमीटर की दूरी पर है , राजकीय कन्या महाविद्यालय तरावड़ी 17 किलोमीटर की दूरी पर है । इस प्रकार ये दोनों कालेज पास–पास हैं । राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी जो इन्द्री में है इसमें इस समय 650 लड़कियां और 743 लड़के पढ़ते हैं ।

श्री राम कुमार कश्यपः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपने समय में बहुत से लड़कियों के कॉलेजिज खोले हैं जिनके लिए मैं इनको और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बधाई देता हूं । आपने रादौर में कालेज खोलने का काम किया, कुरूक्षेत्र में पलवल, जुंडला, तरावड़ी, निगदू, बसताड़ा और बसथली में कॉलेज खोलने का काम किया इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे हल्के में लड़कियों का कालेज अति अवश्यक है । मैं जब भी अपने हल्के में जाता हूं, लोग लड़कियों के कालेज की मांग करते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे हल्के में लड़कियों का कालेज देने की कृपा करें ताकि मैं अपने हल्के में जाने लायक हो सकूं ।

———————————

To Develop The Residential Colonies

***1580. Shri Sita Ram Yadav:** Will the Housing Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is no Government approved residential colony in Tehsil Ateli and Sub- Division Kanina of Ateli Assembly Constituency**;** and

(b) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to develop the residential colonies having 500 houses at abovesaid places togetherwith the time by which the abovesaid residential colonies are likely to be developed ?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता): (क) हां श्रीमान्, अटेली विधान सभा क्षेत्र की तहसील अटेली और सब डिवीजन कनीना में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा या शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा निर्मित कोई भी स्वीकृत आवासीय कॉलोनी नहीं है।

(ख) नहीं श्रीमान्, वर्तमान में उक्त स्थानों पर हाउसिंग बोर्ड हरियाणा या शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के द्वारा आवासीय कॉलोनी विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री सीता राम यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आवास मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अटेली और कनीना में एक भी सुविधायुक्त कालोनी नहीं है, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि दोनों जगहों पर 500–500 मकानों की एक

आवासीय कालोनी विकसित करने की कृपा करें । अध्यक्ष महोदय, दोनों जगहों पर पंचायतों की जमीन भी मिल जाएंगी और लोग मकान खरीदने के लिए भी तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि दोनों जगहों पर एक एक सुविधायुक्त कालोनी विकसित करने की कृपा करें ।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि अगर ये लैंड अवेलेबल करवा देंगे तो हम इस ओर आगे बढ़ेंगे । वैसे भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी हाउस फॉर आल का जो सपना है, उसमें चाहे बैनीफिशरीज कंस्ट्रक्शन की बात हो, चाहे एफोर्डेबल हाउस की बात हो, चाहे आई.एस.एस.आर. की बात हो, चाहे सी.सी.आर. हो, इन सभी योजनाओं के तहत अगर लैंड अवेलेबल करवा देंगे तो हम इस ओर आगे बढ़ेंगे ।

श्री सीता राम यादवः ठीक है, अध्यक्ष महोदय, हम जमीन अवेलेबल करवा देंगे ।

———————

To Upgrade the Municipal Committee

***1493. Shri Shamsher Singh Gogi**: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Municipal Committee Assandh a Municipal Council?

Urban Local Bodies & Housing Minister (Dr. Kamal Gupta): No, Sir.

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने पिछली बार भी प्रश्न उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखकर भी दिया था। नगर पालिका असंध के अंदर उसी का ऐरिया है। असंध पहले गांव होता था और अब शहर बन गया है। नगर पालिका बनने के बाद इसमें डेरा फुल्ला सिंह, डेरा गुजरातिया, डेरा लोहरीया और डेरा गामा चार पंचायतें बना दी गई । अगर वह सारा ऐरिया इसमें मिलाया जाये और साथ में खंढ़ा खेड़ी गांव पड़ता है उसको शामिल कर लिया जाये। इसके बाद भी यदि जरूरत पड़ती है तो जयसिंह पुर गांव भी असंध के साथ ही लगता है। वहां पर आई.टी.आई. और कॉलेज भी बना हुआ है। उसको शामिल कर लिया जायेगा तो असंध नगर परिषद के नार्म्ज पूरे हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी मंत्री और मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि इन सारे ऐरियाज को मिलाकर असंध को

नगर परिषद का दर्जा दिया जाये ताकि वहां के लोगों का फायदा हो सके। वहां पर नगर परिषद बनाने पर जो अनअथोराइज्ड कॉलोनियां हैं उनको भी अथोराईज करवाया जाये। क्योंकि यह सारा भ्रष्टाचार वहां से इक्ट्ठा होकर करनाल की तरफ आ रहा है। वहां नगर परिषद बनने से भ्रष्टाचार भी कम हो जायेगा। डी.टी.पी. ने वहीं से पैसे लिये थे और अब भी वहां पर अनअथोराइज्ड कॉलोनियों का कार्य चल रहा है। मेरी यही प्रार्थना है कि असंध के नैचूरल ऐरिया को जोड़कर वहां पर नगर परिषद बनाई जाये। इस पर सिमफेथेटीकली विचार किया जाये क्योंकि यह डिजर्विंग केस है। हमारा बैकवड ऐरिया है और यह न सोचा जाये कि मैं विपक्ष का सदस्य हूं। जैसे माननीय कश्यप जी ने भी अनुरोध किया था उसी तरह से मेरा अनुरोध है कि हमारे ऐरिया को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर नगर परिषद अवश्य बनाई जाये।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यक्ष यही प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष, 2011 की जनगणना के मुताबिक असंध की जनसंख्या 27,125 है और यदि आज की जनसंख्या भी मान लें तो वहां पर 33,000 जनसंख्या ही बनती है। मेरा माननीय सदस्य को यही कहना है कि असंध के साथ जिन गांवों तक एक्सटैंशन होनी है यदि उन गांवों की पंचायतें लिखकर रैजोल्यूशन दे दें और उसके बाद यदि वहां की जनसंख्या 50,000 हो जायेगी तो इसको कंसीडर किया जा सकता है। इसी कमेटी में रहते हुए वह ऐरिया शामिल करना चाहिए तो वह ऐरिया शामिल कर सकते हैं। यदि वहां से परिषद बनाने के लिए क्राइटेरिया पूरा करने के लिए रैजोल्यूशन भिजवा दिया जाये तो इस पर विचार किया जायेगा।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने क्राइटेरिया की बात कही है उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वह पूरा करवाया जाये। मेरी तो यही प्रार्थना है कि असंध का जो नेचूरल ऐरिया है उसको उसमें शामिल किया जाये। असंध जब गांव होता था उस समय इसमें चार पंचायतें होती थी अब इसमें उनको जोड़ दिया जाये और साथ में खंडा खेड़ी गांव भी 2 किलोमीटर पर है वहां तक सेलर भी लगे हुए हैं। उसको भी जोड़ दिया जायेगा तो सारे नार्म्ज पूरे हो जायेंगे।

डॉ कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वहां की पंचायतों से लिखकर भिजवायें, उसके बाद इस पर विचार किया जायेगा।

———————

To Construct Community Centre and to Develop a Park

***1590. Dr. Krishan Lal Middha:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the details of the phases of works completed by the Government in the process to construct the Community Centre and to develop the park on the Horticulture land in front of Jayanti Devi Temple of Jind City as per the announcement of the Hon'ble Chief Minister?

Urban Local Bodies & Housing Minister (Dr. Kamal Gupta): Sir, there is no CM Announcement regarding construction of the Community Centre and to develop the park on the Horticulture land in front of Jayanti Devi Temple of Jind City. However, Municipal Council Jind has identified a sitemeasuring 124 Kanal 4 Marla in front of Jayanti Devi temple for development of park and construction of Community centre.The said land belongs to Horticulture Department and Horticulture department, Haryana has been requested to transfer the said land to Municipal Council,Jind.At present, a temporary Nandishala is functioning on the said land.

Municipal Council, Jind will initiate further steps to materialize the said proposal only after Horticulture Department transfers the land to Municipal Council, Jind and temporary Nandishala on the identified land is shifted.

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि वित्त वर्ष, 2021–22 के बजट सत्र के दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि जयंती देवी मंदिर के सामने बागवानी जमीन पर सरकार द्वारा सामुदायिक केन्द्र तथा पार्क इसी वित्त वर्ष में विकसित किया जायेगा और नंदीशाला को वहां से शिफ्ट किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह तथ्य भी सही है कि रेलवे जंक्शन से लेकर जहाजगढ़ तक एक लाख की आबादी है वहां पर कोई सामुदायिक केन्द्र और बड़ा पार्क नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह भी तथ्य है कि नंदीशाला की बेशकिमती जमीन को कब तक शिफ्ट किया जायेगा। सरकार ने नंदीशाला को शिफ्ट करने के लिए क्या–क्या कदम उठाये हैं मंत्री जी इस बारे में भी बतायें।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह जमीन बागवानी विभाग की है और विधायक जी का यह कहना सही है कि यह जमीन शहर के अंदर है और इस जमीन पर एक अस्थायी नंदीशाला चल रही है जिसमें 3500 नंदी रह रहे हैं। यदि शहर के बाहर हमें इस नंदीशाला को शिफ्ट करने के लिए जगह मिलती है तो वहां पर इसको शिफ्ट करने की योजना बना सकते हैं। उसके बाद हम बागवानी विभाग से रिक्वेस्ट करेंगे कि वे अपनी जमीन शहरी स्थानीय विभाग को कलैक्टर रेट पर ट्रास्फर कर दे। उसके बाद वहां पर सामुदायिक केन्द्र तथा पार्क विकसित किया जा सकता है। यदि हमें इन 3500 नंदी के लिए शहर के बाहर जगह उपलब्ध हो जाये जहां इनकी अच्छी व्यवस्था हो सके उसके बाद ही इस पर आगे कार्य किया जायेगा।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जींद में बहुत सी गौशालाएं हैं और वहां बीहड़ में श्री गौशाला है जिसके पास 100 एकड़ के करीब जमीन है। इस गौशाला ने पहले भी चार–पांच एकड़ जमीन नंदीशाला के लिए मुहैया करवाई थी और वहां नंदीशाला बनी हुई है। श्री गौशाला और दूसरी गौशालयें भी हैं जिनमें गायों की कपेसिटी क्षमता से कम है। वहां गायों को शिफ्ट किया जा सकता है। श्री गौशाला में सर्दियों में 2000 गाय और गर्मियों में 3000 गाय रह सकती हैं। मंत्री जी के पास रिपोर्ट होगी कि अभी वहां 700 से 800 गाय ही हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर अन्य गौशालाएं भी हैं। जहां पर नंदियों को शिफ्ट किया जा सकता है। मेरी यही अर्ज है कि श्री गौशाला से जमीन ले ली जाये और वहां पर इन नंदियों को शिफ्ट कर दिया जाये। इस जमीन को शहरी स्थानीय विभाग में ट्रास्फर करने के लिए पत्राचार भी हुआ है। 01.12.2020 को नगर परिषद् ने जमीन ट्रास्फर के लिए बागवानी विभाग को पत्र लिखा था। जो डी.जी. बागवानी के कार्यालय में एक साल से पैंडिंग पड़ा हुआ है और उन पत्रों को दबाया जा रहा है। दूसरा पत्र 11.01.2021 को वर्दी सी.पी.एस., सी.एम. द्वारा डी.एम.सी. जींद को एस्टीमेट के लिए पत्र लिखा गया था। इसी तरह से दिनांक 17.02.2021 को दोबारा और 16.06.2021 को तीसरी बार बागवानी विभाग को जमीन ट्रास्फर के लिए पत्र लिखा गया था लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। यह मांग मेरे स्वर्गीय पूज्य पिता जी ने 2015 में रखी थी कि यहां पर सामुदायिक केन्द्र और पार्क बनाया जाये और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था । मैं यही उम्मीद करूंगा कि शहर में कोई दूसरी ऐसी जगह नहीं है इसलिए यहां से नंदीशाला को

शिफ्ट करवाकर जल्द ही यहां पर समुदायिक केन्द्र और पार्क बनाया जाये ताकि लोगों को सुविधा हो सके।

डॉ कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है और विभाग वहां पर सामुदायिक केन्द्र और पार्क बनाने के लिए तैयार है। यक्ष प्रश्न यही है कि इन 3500 नंदियों की ठीक से व्यवस्था कहीं दूसरी जगह हो जाये। उसके बाद कोई खास समस्या नहीं रहेगी। 70 करोड़ कलैक्टर रेट के हिसाब से बागवानी विभाग को देकर हम जमीन ले लेंगे। पहले नंदीशाला के लिए मास्टर प्लान करके जमीन उपलब्ध करवा दें। उसके बाद इनका कार्य करवा दिया जायेगा।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं लेकिन यह वहां के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है और पुरानी मांग है इसका हल निकाल कर इसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाये।

———————————

To Construct a Road

***1551. Shri Sombir Sangwan :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road in place of unutilized RD No. 1 minor from Charkhi-Ghasola link road to Bhiwani-Rohtak bye-pass road via Mejban Chowk in Dadri Assembly Constituency; if so, the details thereof ?

@Urban Local Bodies & Housing Minister (Dr. Kamal Gupta): Sir, the ownership of the said minor vests with Irrigation Department and the total length of this minor from Charkhi-Ghasola link road to Bhiwani-Rohtak bye-pass road via Mejban Chowk is approximately 4.5 KM. A portion of 2315 Mtr. of this stretch falls in the limit of Municipal Council Charkhi Dadri and rest of the length is outside municipal limit. Out of 2315 Mtr. length 740 Mtr. was constructed by the municipality and is in good condition. Funds for construction of 675 Mtr. road length by Municipal Council Charkhi Dadri have been sanctioned and

---

@Replied by the Deputy Chief Minister

necessary action will be taken for construction of this portion after getting NOC from Irrigation Department. Municipal Council Charkhi Dadri has no proposal for construction of remaining 900 Mtr length road.

Municipal Council Charkhi Dadri cannot execute any development work outside municipal limit. PWD B&R has also intimated that they have no proposal for construction of road about 2 KM length which is outside municipal limit.

श्री सोमबीर सांगवानः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह माइनर 40 साल से बंद पड़ा हुआ है और एच.एस.वी.पी. ने वहां जमीन एक्वायर कर ली है। यह माइनर शहर के बीच में 3–4 किलोमीटर पड़ता है मेरी उप–मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वहां रोड बना दिया जायेगा तो लोगों को बहुत सुविधा होगी। दादरी इनका कर्म स्थल है इनको तुरंत सिंचाई विभाग से पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में यह जमीन ट्रास्फर करवाकर वहां पर रोड़ बनवाया जाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों मैं दादरी गया था । यह 04.50 किलोमीटर का पंच इरीगेशन कैनाल का हुआ करता था। आज यह पूरे तौर पर बंद है। इसके लिए डी.सी. को आदेश दिये गये हैं कि सिंचाई विभाग से एन.ओ.सी. लेकर यह जमीन पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को ट्रांसफर करवाई जाये। इसमें 2.3 किलोमीटर हिस्सा शहर में है और 2.2 किलोमीटर हिस्सा शहर के बाहर का है। जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दादरी हमारा कर्म स्थल है, ये विश्वास रखें एक महीने में एन.ओ.सी. लेकर अगले वित्त वर्ष में यह रोड कम्पलीट कर देंगे।

श्री सोमबीर सांगवानः धन्यवाद, स्पीकर सर।

Number of Stone Crushers

***1577 Dr. Abhe Singh Yadav**: Will the Mines & Geology Minister be pleased to state-

(a) the number of stone crushers functioning in Nangal Chaudhary Assembly Constituency in Mahendragarh district;

(b) the number of units complying with the environmental parameters;

(c) the number of unit not complying with such parameters;

(d) the details of action taken by the Government against defaulters; and

(e) the time by which compliance of environmental parameters by all the abovesaid units is likely to be ensured by the Government?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान्, बयान सदन के पटल पर रखा गया है।

ब्यान

(क) जिला महेन्द्रगढ़ के नांगल चौधरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 90 स्टोन क्रैशर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.एस.पी.सी.बी.) की सहमति से स्थापित है।

(ख) तथा (ग) बोर्ड की सहमति से स्थापित 90 क्रैशरों में से 61 स्टोन क्रैशर पर्यावरणीय मानकों की पालना करते हुए पाए गए हैं तथा 25 स्टोन क्रैशरों साइटिंग मापदण्डों तथा उत्सर्जन के पर्यावरणीय मानकों की पालना न करते हुए पाए गए हैं। चार ईकाइयों के संचालन की सहमति समाप्त हो गई है तथा ईकाईयां अपने आप बन्द हो गई हैं।

(घ) पर्यावरण मानकों का पालन न करने वाले स्टोन क्रैशरों के विरूद्ध हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण अनुबन्ध–क में दिया गया है।

(ड.) एच.एस.पी.सी.बी. प्रदूषण फैलाने वाली इकाईयों सहित स्टोन क्रैशरों के प्रदूषण नियंत्रण करने वाले यंत्रों की जांच नियमित रूप से अपने अधिदेश और नीतियों के तहत करता रहता है। अनिवार्य नियमित निरीक्षण के अलावा एच.एस.पी.सी.बी. को जब भी कभी विनिर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती है अथवा निरीक्षण के लिए माननीय न्यायालय/राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की निर्देशों की प्राप्ति होती है तो वह मामलों में विशेष निरीक्षण भी करता है। बोर्ड केवल उन्हीं इकाईयों को चलाने की अनुमति देता है जो निर्धारित पर्यावरणीय मानको की पालना करती है और उल्लंघन करने वाली इकाईयों के विरूद्ध कार्यवाही करता है जिसमें उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए बंद करना और मुकदमा चलाना शामिल है।

नांगल चौधरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 25 स्टोन क्रैशर जो पर्यावरणीय मानकों की पालना नहीं करते है, के विरूद्ध हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाहीः–

1. 22 ईकाईयां हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.05.2016 की अनुसूची–1 में अधिसूचित, स्टोन क्रैशरों के साईटिंग मापदण्डों के मानकों को पूरा नहीं करती है।

क. 13 इकाईयों को चलाने की सहमति बोर्ड द्वारा रद्द की गई है। इन 13 इकाईयों में से 6 इकाईयों ने माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय से स्थगन (स्टे) प्राप्त किया है, 2 इकाईयों ने माननीय अपील प्राधिकरण से स्थगन (स्टे) प्राप्त किया है तथा 5 ईकाईयाँ बन्द पड़ी है।

@ Replied by the Education Minister

ख. 2 इकाईयों नें चलाने की सहमति के प्रतिसंहरण से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन (स्टे) प्राप्त किया है।

ग. 4 इकाईयों को चलाने की सहमति बोर्ड द्वारा रद्द की गई है तथा उन्हे बंद भी किया गया है।

घ. 3 इकाईयों की चलाने की सहमति पहले ही समाप्त हो गई है तथा ईकाई अपने स्तर पर बन्द पड़ी है।

2. 3 ईकाई जो हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 11–05–2016 की अनुसूचि–2 में अधिसूचित उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करती पाई गई थी, बोर्ड द्वारा बन्द कर दी गई थी।

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है इसमें उन्होंने बताया है कि वहां पर कुल 90 स्टोन क्रशर चल रहे हैं जिनमें से 61 स्टोन क्रशरों को पर्यावरणीय नॉर्म्स के मुताबिक चलता बताया है। मैं पहली बार यह प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। सरकार के पिछले कार्यकाल में भी मैंने यह प्रश्न उठाया था। उस समय श्री विपुल गोयल जी मंत्री थे और उन्होंने मुझे सदन में यह आश्वासन दिया था कि यह इंश्योर किया जायेगा कि कोई भी स्टोन क्रशर बिना पर्यावरणीय नियमों का पालन किये न चले लेकिन बड़े दुख की बात है कि हर बार लीपा–पोती करके जवाब दे दिया जाता है। मैं 2 बातें कहता हूं कि आप विधान सभा के सदस्यों की कमेटी बना कर वहां भेज दें और जो अधिकारी यह जवाब भिजवा रहे हैं कि वहां पर सबकुछ ठीक–ठाक है, वे वहां एक रात सो कर दिखा दें मैं मान जाऊंगा कि वहां पर कुछ भी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि गांव मेघोत बिंजा में 5 दिन पहले साइक्लोसिस का एक मामला आया है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों में धूल जम जाती है और मरीज बिना ऑक्सीजन के जिन्दा नहीं रह सकता। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर हैल्थ डिपार्टमैंट की कोई टीम भेज कर उन गांवों के लोगों के फेफड़े चैक करवाये जायें कि कितने प्रतिशत लोग ठीक हैं। वहां पर 3 गांव मेघोत बिंजा, धौलेड़ा तथा बीगोपुर के लोगों में यह बीमारी फैली हुई है इसलिए चैक करवाया जाये कि कितने प्रतिशत लोगों में यह शिकायत है? अध्यक्ष महोदय, हम प्रजातंत्र में रहते हैं और प्रजातंत्र में उत्तरदायित्व होता है, इस तरह से समस्या को टालना नहीं चाहिए। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस काम को गम्भीरता से किया जाये।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 2 इकाइयों को हमें बंद करना था लेकिन उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से स्टे ले लिया है। वे पहले ही कोर्ट में चली गई और उनको स्टे मिल गया। इसी प्रकार से बोर्ड द्वारा 4 इकाइयों के संचालन की सहमति निरस्त करते हुए उनको बंद कर दिया गया। इसी तरह से 3 इकाइयों की चलाने की सहमति पहले ही समाप्त हो गई है तथा ये इकाइयां भी बंद पड़ी हैं। 3 इकाइयां जो हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.05.2016 की अनुसूचि–2 में अधिसूचित उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करती पाई गई थी, बोर्ड द्वारा उनको भी बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार से 13 इकाइयों को चलाने की सहमति बोर्ड द्वारा रद्द कर दी गई है जिनमें से 6 इकाइयों ने माननीय उच्चतम न्यायालय से स्टे ले लिया है। 2 इकाइयां अपीलेट अथॉरिटी के पास चली गई और वहां से स्टे ले लिया है तथा 5 इकाइयां हमने बंद कर दी हैं। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों जिनमें स्टोन क्रशर भी हैं, बनाये गये नियमों के तहत नियमित जांच करता रहता है। इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना और संचालन की जांच नियमित रूप से की जाती है। प्रदूषण डिस्चार्ज निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं इसकी भी जांच की जाती है। नियमित जांच के अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्पेशल जांच भी की जाती है। समय–समय पर माननीय न्यायालय और एन.जी.टी. से प्राप्त आदेशों पर विशेष निरीक्षण किया जाता है। बोर्ड केवल उन्हीं इकाइयों को चलाने की अनुमति देता है जो निर्धारित पर्यावरण मानकों का पालन करती हों। उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरूद्ध कार्रवाई करता है जिसमें इकाई को बंद करना तथा उनके खिलाफ मुकदमा चलाना शामिल हैं। पिछले एक–डेढ़ साल से वहां पर हमने कोई नई एन.ओ.सी. नहीं दी है।

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा बताये गये डाटा से डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं और मैं विकास के भी खिलाफ नहीं हूं कि क्रशर नहीं चलने चाहिएं, क्रशर चलने चाहिएं। मंत्री जी इतना बता दें कि वहां पर जो धूल उड़ती है उसको रोकने के लिए कितनी डिवाइसिज लगाई हैं तथा धूल को रोकने के लिए कितनी इकाइयों की दीवार ऊंची की गई हैं या धूल को रोकने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म बनाया गया है?

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, अभी 61 स्टॉन क्रैशर को ठीक पाया गया है जो नियमों का पालन कर रहे हैं। वहां केवल 29 स्टॉन क्रैशर ऐसे हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने डिटेल वाईज भी बता दिया है कि कितने क्रैशर हमने बंद कर दिये हैं और कितने ऐसे हैं जो स्टे ले रहे हैं। माननीय सदस्य ने वहां एक कमेटी गठित करने की बात कही है जो उनको देखती रहे। मैं उनको आश्वासन देता हूं कि हम इस प्रकार की एक कमेटी गठित करके वहां जांच करवा देंगे।

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने हमारे नांगल चौधरी में आना भी है उसी दिन मैं इनको वहां ले जाकर वहां की हालत भी दिखा दूंगा।

———————

To Provide Electricity Connections

***1725. Shri Mohan Lal Badoli**: Will the Power Minister be pleased to state-

whether it is a fact that the electricity connections to the residents of EWS Flats in housing project of TDI at village Nangal, Omaxe city, villages Kamaspur and Fazilpur have not been provided by the Government so far; if so, the reasons thereof togetherwith the time by which the electricity connections to the abovesaid residents are likely to be provided?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह): श्रीमान्, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा यथा अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के आवास पॉलिसी के तहत, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने टीडीआई सिटी सोनीपत की लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी में 2385 ईडब्ल्यूएस फ्लैट और ओमेक्स सिटी में 1739 फ्लैटों का निर्माण किया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएन) द्वारा बिजली कनैक्शन जारी नहीं किए जा सके क्योंकि बार–बार नोटिस देने के बाद कॉलोनाईजर ने आवश्यक बिजली ढ़ांचा भी नहीं बनाया है। एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को विद्युतीकरण के उद्देश्य से अलग योजना/इकाई के रूप में अधिसूचित करेगा और

अलग बिजली बुनियादी ढांचे का निर्माण हाउसिंग बोर्ड हरियाणा द्वारा किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड द्वारा किये गये ऐसे खर्च की वसूली टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा कॉलोनाईजरों से की जायेगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अपने आदेश दिनांक 12.03.2022 के तहत विद्युतीकरण के उद्देश्य के लिए एक अलग इकाई के रूप में हाउसिंग बोर्ड को ट्रांसफर किए गए ईडब्ल्यूएस प्लॉटों को अधिसूचित किया है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा बिजली बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के बाद, यूएचबीवीएन द्वारा ईडब्ल्यूएस प्लॉट धारकों को व्यक्तिगत रूप से कनैक्शन जारी किए जाएंगे।

श्री मोहन लालः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि प्राईवेट बिल्डर्स की कॉलोनीज के अन्दर हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन के द्वारा गरीब लोगों को मकान अलॉट किये गये थे लेकिन उनको बिजली का कनैक्शन नहीं दिया जा रहा है। उन लोगों को बिजली का कनैक्शन दिया जाए क्योंकि बिना बिजली और पानी के वे लोग कैसे रहेंगे? उसी की वजह से वहां अलॉट किये हुए 1786 मकान खाली पड़े हुए हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि हमें यह बताया जाए कि सरकार उनको बिजली का कनैक्शन देगी तो कैसे देगी?

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन फलैट्स की बात कर रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी हमारी मीटिंग हो गई है। डिस्ट्रिक्ट टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग और हाउसिंग बोर्ड से मिलकर उन बिल्डर्स के खिलाफ यह निर्णय लिया गया है कि जिन बिल्डर्स ने ऐसा किया है उनके खिलाफ जो प्लॉट्स व फलैट्स के मालिक थे उन्होंने एफ.आई.आर दर्ज करवा दिया है। हम उनके इंफ्रास्ट्रैक्चर को बना रहे हैं और इंफ्रास्ट्रैक्चर बनाते ही जल्दी ही उन सभी को बिजली कनैक्शन दे दिये जाएंगे।

———————

To Regularize the Illegal Colonies

***1662. Shri Surender Panwar:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) the total number of colonies which have been declared illegal by the Government in Sonipat Assembly Constituency; any

(b) the time by which these are likely to be regularized by the Government togetherwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ० कमल गुप्ता): श्रीमान्,

(क) सोनीपत विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा किसी भी कॉलोनी को विनिर्दिष्टतः अवैध घोषित नहीं किया गया है।

(ख) नगर निगम, सोनीपत से प्रस्ताव प्राप्त होते ही" हरियाणा नागरिक सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले नगर क्षेत्र (विषेष प्रावधान) संषोधित अधिनियम, 2021" के मानदंडो अनुसार कॉलोनियों को अधिसूचित करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, सोनीपत हल्के में किसी भी कॉलोनी को स्पसिफिक्ली इल्लीगल घोषित नहीं किया गया है। उस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारियां देना चाहता हूं कि टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश में हमें केवल 1300 कॉलोनीज की ऐप्लीकेशंज मिली हैं जिनको रैगुलराईज करने का प्रस्ताव है। उनमें से 845 कॉलोनीज हमारे अर्बन लोकल एरिया में आती हैं। उसमें सोनीपत हल्के की 27 कॉलोनीज हैं जिन्होंने हमें आवेदन किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन 27 कॉलोनीज ने रिप्रजैंट किया है अगर वे वहां के एम.सी. के माध्यम से रैजोल्यूशन पास करवाकर/ एप्रूव करवाकर हमें भेजेंगे तो हम उन कॉलोनीज को रैगुलर करने का काम करेंगे।

श्री सुरेन्द्र पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जो बताना चाहूंगा कि सोनीपत हल्के में करीब तीन दर्जन कॉलोनीज ऐसी हैं जिनको अवैध घोषित किया हुआ है। मैं यहां उन कॉलोनीज के नाम बताना चाहूंगा–सिद्धार्थ कॉलोनी, जीवन विहार, मुरथल रोड, कलावती विहार, दहिया कॉलोनी, जीवन नगर, मोहन नगर, विकास नगर, अम्बेडकर कॉलोनी, देवी लाल कॉलोनी, संत कबीर नगर, राजीव कॉलोनी, मुरथल रोड सहित लगभग तीन दर्जन ऐसी कॉलोनीज हैं। ये वे लोग हैं जो सैक्टर्ज में प्लॉट नहीं ले सकते हैं क्योंकि आज सैक्टर्ज के जो रेट हैं वे 50 हजार या 1 लाख रुपये गज से शुरू होते हैं। ये वे गरीब लोग हैं जिन्होंने 4–5 लाख रुपये में प्लॉट लेकर 50 व 100 गज जमीन में अपने मकान बनाए हुए हैं। सही मायने में इनको सुविधा की बहुत ज्यादा जरूरत है। वे लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, उनकी गलियां कच्ची पड़ी हुई हैं जबकि वे लोग हाऊस टैक्स भी दे रहे हैं। नगर पालिका/कॉरपोरेशन सोनीपत उनसे हाऊस टैक्स भी वसूल कर रही है लेकिन जब वहां डिवैल्पमैंट करवाने की बात कही जाती है तो उनको

यह जवाब दिया जाता है कि यह अवैध कॉलोनी है। जहां तक अभी मंत्री जी ने बताया है कि ऐसी सभी कॉलोनीज की सूची मांगी गई है। उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वे इस तरीके से बनाए गये हैं कि टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग उन कॉलोनीज की सूची आपके पास भेजेगा ही नहीं क्योंकि वहां सारी कहीं 10 फीट की गली है, कहीं 15 फीट की गली है या 20 फीट की गली है। कहीं 50 प्रतिशत बनी हुई है, कहीं 40 प्रतिशत लोग रह रहे हैं लेकिन सरकार ने यह नियम बनाया हुआ है कि जो कॉलोनीज 75 प्रतिशत बसी हुई है उन्हीं को वैध करेंगे। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि जितनी भी कॉलोनीज हैं उन सभी का सर्वे करवाकर सभी को ही नियमित किया जाए।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय की चिंता वाजिब है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब इस संदर्भ में सब चीजें क्लीयर कर दी हैं। वर्ष 2016 तक ऐसी कालोनियों में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के संदर्भ में पांच साल की नियमितता तथा 50 परसेंट कंस्ट्रक्शन वाली एक कंडीशन हुआ करती थी जिसको अब 2022 तक खत्म करने का काम किया गया है और अब सरकार के द्वारा 50 परसेंट कंस्ट्रक्शन की कंडीशन के स्थान पर 25 परसेंट कंस्ट्रक्शन को भी रैगुलराइजेशन के श्रेणी में रखने का काम किया गया है। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ ऐसे नियम–कानून बना दिए जाते हैं जिनकी वजह से कालोनियों को रेगुलराइज करने में दिक्कत आती है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि अब सरकार द्वारा ऐसे नियम–कानूनों को समाप्त करने का काम किया गया है क्योंकि जो व्यक्ति इस धरती पर रह रहा है, उसको बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधायें तो मिलनी ही चाहिए और ये सुविधायें उनको लगातार मिलती रहे इसके लिए डिवेलपमैंट चार्जिज आदि का प्रावधान किया गया है और इसका फायदा यह भी होगा कि अगर आगे जाकर ये कॉलोनियां रैगुलराइज होती है, तो डिवेलपमैंट चार्जिज के माध्यम से यहां रहने वाले लोगों को दैनिक जीवन की आम सुविधायें जस की तस मिलती रहेंगी। अगर डिवेलपमैंट चार्जिज इसी तरह से जमा कराया जाता रहा तो निश्चित तौर पर हम इन कॉलोनियों को रैगुलराइज कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी आश्वस्त करता हूँ कि उन्होंने चाहे इन कॉलोनियों के संबंध में तीन दर्जन की संख्या होने की बात कही है लेकिन हमारे पास 27 कॉलोनियों से रैगुलराइजेशन संबंधी आवेदन प्राप्त हुए हैं। माननीय सदस्य ने जिस प्रकार कॉलोनियों की संख्या तीन दर्जन बताई है, यह तीन दर्जन

कॉलोनियां हो सकती हैं लेकिन यदि कॉलोनियों के रैगुलराइजेशन के संदर्भ में संबंधित म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल कारपोरेशन, रैजोल्यूशन पास करके संबंधित डी.एम.सी., तथा कमिश्नर, म्युनिसिपल कारपोरेशन के माध्यम से उसे एप्रूव कराकर हमारे पास भेजती है तो माननीय सदस्य की चिंता को दूर करने का पूरा प्रयास किया जायेगा।

श्री सुरेंद्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मेरा माननीय मंत्री जी से एक निवेदन यह भी है कि इन कालोनियों की एन.ओ.सी. जारी नहीं हो पा रही है। अगर कोई व्यक्ति यहां पर अपना प्लॉट बेचना चाहता है तो वह बेच नहीं पा रहा है तो मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी को कम से कम एन.ओ.सी. जारी करने के संदर्भ में तो तुरंत आश्वासन दे ही देना चाहिए।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, एन.ओ.सी. की जो रिक्वॉयरमैंट्स होती हैं, यदि ये कालोनियां उन रिक्वॉयरमैंट्स को पूरी करेंगी तो एन.ओ.सी. जरूर मिलेगी। अब तो सारा सिस्टम ऑन लाइन कर दिया गया है इसमें अब कोई दिक्कत की बात भी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, इन कॉलोनियों में एक बार तो रजिस्ट्री हो चुकी है और लोगों ने यहां पर मकान बना लिए हैं। अतः माननीय मंत्री जी एन.ओ.सी के विषय पर जरूर गौर करें।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य का कोई पार्टीकुलर मामला है तो उसके बारे में बता सकते हैं, निःसंदेह उसका समाधान करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई निजी मामला नहीं है बल्कि इस तरह की समस्या जो मैं आज सदन के माध्यम से बता रहा हूँ, ऐसी समस्या पूरे हरियाणा प्रदेश की है। ये वे कालोनियां हैं जोकि कारपोरेशन में शामिल ही नहीं हैं।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जैसे ही ये कालोनियां एप्रूव्ड होंगी वैसे ही इन कालोनियों का एन.ओ.सी. चालू हो जायेगा।

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, एप्रूव्ड होने में तो पांच साल भी लग सकते हैं और इससे ज्यादा का भी समय लग सकता है।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य संबंधित कमेटी या कारपोरेशन से रेजोल्यूशन पास कराकर कालोनियों के रेगुलराइजेशन संबंधी प्रस्ताव

हमारे पास भेजेंगे तो इन कालोनियों को रेगुलराइज करने का काम भी जल्दी किया जा सकेगा।

श्रीमती शुकंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी बात है तो जब तक ये कालोनियां एप्रूव्ड नहीं हो जाती तब तक इनका हाउस टैक्स माफ करने का काम किया जाना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, जो लोग इन कालोनियों में रहते हैं, उनकी संख्या हजारों में है और पूरे प्रदेश में यह संख्या लाखों में है। अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन कालोनियों के लिए जल्द से जल्द एन.ओ.सी. जारी करने की हिदायत जारी की जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, आज इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण सूचना भी लगी हुई है। जब उस ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा होगी तो यह सारे विषय आटोमैटिकल उस चर्चा के दौरान आ जायेंगे लेकिन सरकार की तरफ से जो अनअथोराइज्ड कॉलोनियों के संदर्भ में कुछ नियम व कानून बनाये गए, वे सिर्फ इसलिए बनाये गए थे क्योंकि लोग भारी संख्या में अनअथोराइज्ड कॉलोनियों की तरफ आकर्षित हो रहे थे और इसी वजह से 7–ए की धारा और एन.ओ.सी. न देने वाली जो शर्ते थी, यह केवल इसलिए ही लगाई गई थी ताकि अनअथोराइज्ड कॉलोनियां आगे न बढ़ सकें। अनअथोराइज्ड कॉलोनियों में तभी एन.ओ.सी. मिलेंगी जब ये कॉलोनियां अथोराइज्ड हो जायेंगी। अगर सरकार इस दिशा में नियम कानून नहीं बनाती तो यह अनअथोराइज्ड कॉलोनियों का सिलसिला ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा।

———————————

Total Number of Sanskarti Model Schools

***1735. Shri Ghanshyam Dass:** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) total number of Sanskriti Model Schools in state-

(b) the total number of sanctioned posts of teaching and non teaching staff in the abovesaid schools together with the number of vacant posts;

(c) the time by which the vacant posts in abovesaid schools are likely to be filled up?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): (क) श्रीमान जी, राज्य में 138 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा 1418 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय हैं।

(ख) राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक स्टॉफ के कुल स्वीकृत पद 5275 जिनमें से 1688 रिक्तियां हैं तथा राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या 12883 जिनमें से 2386 पद रिक्त हैं। गैर शैक्षणिक स्टॉफ के 912 स्वीकृत पदों में से 495 रिक्त हैं।

(ग) राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना कठिन चयन परीक्षा के बाद की जाती है। राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक पदों को सामान्य पद माना जाता है और इन्हें प्रतिनियुक्ति और सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाता है। गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को पदोन्नति, सीधी भर्ती और स्थानांतरण के माध्यम से भरा जाएगा। इन रिक्तियों को निकट भविष्य में भर लिया जाएगा।

श्री घनश्याम दास: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी में एक महत्वपूर्ण बात यह लाना चाहता हूँ कि हमने जो मापदंड स्कूलों को बनाने के लिये तैयार किये हैं और जिस प्रकार से विद्यार्थियों की शिक्षा वहां पर होंगी, उन स्कूलों के माध्यम से उन विद्यार्थियों का भविष्य बिना शिक्षक के कैसे उज्ज्वल होगा? यदि स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक ही नहीं होंगे, तो हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे अपना सपना पूरा करेंगे? जैसे बताया गया है कि राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 31 पद शिक्षकों के रिक्त पड़े हुए हैं जो एक तिहाही बैठते हैं। राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 19 प्रतिशत पद शिक्षकों के रिक्त पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के पद आधे से ज्यादा खाली पड़े हुए हैं। गैर शैक्षणिक कर्मचारी न होने की वजह से न तो स्कूलों की प्रॉपर सफाई हो पाती है और न ही पीरियड खत्म होने के बाद कोई घंटी बजाने वाला होता है। स्कूल का प्रिंसिपल या टीचर किसी विद्यार्थी को एक पीरियड का समय ओवर होने के बाद घंटी बजाने के लिये भेजता है, आज हमें स्कूलों में ऐसी नौबत देखने को मिल रही है। क्या हमने जो मॉडल संस्कृति स्कूलों की परिकल्पना की है, वह इसी पैरामीटर को देखते हुए की थी? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि यदि हमने इन मापदंडों को इसी पैरामीटर में परिकल्पना नहीं की है तो स्कूलों में शिक्षण

व गैर शिक्षण कर्मचारियों के पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि बड़ी कठिन परीक्षा के बाद ही अध्यापक भेजे जाते हैं। हमारे यहां बहुत ही योग्य अध्यापक हैं जो कठिन परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो जायेंगे। यदि सरकार परीक्षा लेगी तभी तो उत्तीर्ण होंगे। यदि उनकी परीक्षा ही नहीं ली जायेगी तो कैसे उत्तीर्ण होंगे और कैसे रिक्त पद भरे जायेंगे? अध्यक्ष महोदय, गैर शैक्षणिक पद आधे से ज्यादा खाली पड़े हुए हैं, उनमें तो कोई कठिन परीक्षा का फॉर्मूला नहीं है। नई नियुक्ति हो सकती है और ट्रांसफर के माध्यम से भी रिक्त पद भरे जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिक्त पदों को निकट भविष्य में भर लिया जायेगा। माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर निकट भविष्य की परिभाषा बता दें या फिर इसके लिये कोई समय–सीमा निर्धारित कर दें कि इस समय–सीमा में यह काम कम्पलीट कर लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जब यह काम कम्पलीट हो जायेगा तो हमारे राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल्ज को जिस उद्देश्य के लिये स्थापित किये गये हैं, तभी वह सपना पूरा हो पायेगा।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हैडमास्टर से प्रिंसिपल की प्रमोशन हेतु केस एफ.डी. को भेजा जा चुका है। इन स्कूलों में टीजिंग पद सेंटा के माध्यम से भरे जा रहे हैं। यह एजेंसी टीचर्ज का टैस्ट लेकर उनका सलैक्शन करती है और यह प्रक्रिया जारी है। अध्यक्ष महोदय, टी.जी.टी. से पी.जी.टी. पदों की प्रमोशन के लिये मीटिंग हो चुकी है। इनकी जल्दी ही प्रमोशन के बाद राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यममिक स्कूल अलॉट कर दिये जायेंगे। इन स्कूलों में गैर शैक्षणिक पद सीधी भर्ती और ट्रांसफर के माध्यम से भरे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी कहता हूँ कि टीचर्ज की सीधी भर्ती का प्रोसैस हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा हुआ है और प्रमोशन के केसिज के लिये फिर से आवेदन मांगे गये हैं। क्लास फोर्थ के लिये राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल और राजकीय प्राथमिक मॉडल संस्कृति स्कूलों में शिक्षण व गैर शिक्षण रिक्त पद सामान्य ट्रांसफर द्वारा भरे जायेंगे।

श्री घनश्याम दासः अध्यक्ष महोदय, रिक्तियों को निकट भविष्य में भर लिया जायेगा, माननीय मंत्री जी इसके लिये कोई समय–सीमा भी जरूर बता दें।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। फोर्थ क्लास की भर्ती कौशल विकास के माध्यम से भरी जायेंगी।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस संबंध में पिछले सत्र में हमारे से भी वायदा किया गया था तो उस वायदे को भी पूरा किया जाये। भर्ती की प्रक्रिया को हुए चार महीने हो गये हैं लेकिन माननीय मंत्री जी ने एक महीने का वायदा किया था, इसलिए माननीय मंत्री जी को अपने कहे हुए वायदे को निभाना चाहिए। हमारे इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां हैं उसे जल्दी से जल्दी पूरी करवाई जाये। धन्यवाद।

———————

Construction of Roads

***1503. Shri Lila Ram:** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state–

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in Kaithal Assembly Constituency:–

(i) village Manas to Farsh Majra;

(ii) village Kutubpur to village Rahediya via Railway Station, Kutubpur; and

(b) if so, the time by which the abovesaid roads are likely to be constructed?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

ब्यौरा

(क) एवं (ख)–प्रस्तावित सड़कों का विवरण निम्न प्रकार है–

(i) गांव मानस से फर्श माजरा :– इस कच्चे रास्ते की लम्बाई 2.06 किलोमीटर है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार इस रास्ते की चौड़ाई 5 करम है तथा इस सड़क के बनने पर नजदीकी मंडी फर्श माजरा की दूरी 1.32 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस सड़क के निर्माण का प्रस्ताव बोर्ड की सड़क निर्माण नीति के अंतर्गत आता है। इस सड़क के निर्माण का कार्य वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान बजट घोषणा के अंतर्गत किया जाएगा।

(ii) गांव कुतुबपुर से गांव राहेडिया वाया रेलवे स्टेशन, कुतुबपुर :– इस प्रस्तावित सड़क की लम्बाई 0.80 किलोमीटर है। इस सड़क के निर्माण के लिए 46.02 लाख रुपये की

प्रशासनिक स्वीकृति 02.02.2022 को प्रदान की गई तथा निविदांए 08.03.2022 के लिए आमंत्रित की गई। इस कार्य के 31.07.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र की दोनों सड़कों के निर्माण करने की बात कही है । उन्होंने मेरे क्षेत्र की एक सड़क के लिए तो 46.02 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत कर दी है । मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग है कि मेरे हल्के में मानस बहुत बड़ा गांव है । इसके नजदीक ही फर्श माजरा की मंडी भी है । गांव मानस से फर्श माजरा की सड़क बनने से इनके बीच की दूरी 1.32 किलोमीटर कम हो जाएगी । अध्यक्ष महोदय, गांव मानस से फर्श माजरा की सड़क के निर्माण के लिए माननीय मंत्री जी ने हामी भी भरी है लेकिन मेरी आपके माध्यम से एक मांग है कि इसको जल्द–से–जल्द पूरा किया जाए ।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमने गांव मानस से फर्श माजरा की सड़क को अगले बजट में पूरा करने का उत्तर दिया है । हम इस प्रक्रिया को और जल्दी पूरी करके सड़क को जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे ।

श्री लीला राम : धन्यवाद जी ।

———————

To Start Registration and Mutation of Land

***1655. Shri Neeraj Sharma**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether the registration and mutation of houses within 100 meter outside Municipal Corporation Area of NIT Faridabad Assembly Constituency has been banned by the Hon'ble High Court; if not, the orders under which the process of registration and mutation of houses in above said area has been banned by the Government; and

(b) the time by which the said process of registration and mutation of houses in abovesaid area is likely to started togetherwith the details thereof ?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): (a) Yes, Sir. Gazette Notification of India, Ministry of Defence dated 13.01.2010 was published to impose restrictions upon the land in the vicinity of Air Force Stations and installations that such land shall be kept free from

buildings and other obstructions and directed that no building or structures shall be constructed or erected or no tree shall be planted on any land within 100 meters from the outer parapet of Indian Air Force Stations. In compliance of the above notification dated 13.01.2010 a public notice dated 10.02.2011 was issued by the District Collector, Faridabad exercising the power under sub-section (f) of section 2 and sub section (2) of section 3 of the Indian Works of Defence Act, 1903 for concerned land owners located within 100 meters vide restricted belt around Dabua Air Force Station Faridabad that no building or structures shall be constructed or erected or no tree shall be planted within 100 meters. In the meantime, CWP No. 15171 of 2010 titled as Suresh Kumar Goyal V/s Union of India and others was filed in the Hon'ble Punjab and Haryana High Court, Chandigarh and orders were passed by the Hon'ble High Court regarding stopping of illegal construction around the Air Force Station Faridabad and steps taken by the authorities in this regard. Status reports regarding steps taken to curb the unauthorized construction were filed in the Hon'ble High Court by the District Magistrate, Faridabad.

In view of the Gazette Notification of India, Ministry of Defence dated 13.01.2010 and public notice dated 10.02.2011 and Hon'ble High Court orders, several steps were taken to curb the illegal construction around the 100 meters restricted belt of Air Force Station Faridabad. Out of which one step was to stop the sale deeds and not to enter the mutation around the 100 meters restricted belt of the Air Force Station Faridabad. In this regard, directions to concerned Sub-Registrar vide memo no. LFA/2011/500 dated 04.04.2012 and memo no. LFA/2013/1355, dated 01.10.2013 were issued by the Deputy Commissioner, Faridabad.

(b) The matter is sub-judice and the next date in said writ petition is fixed for 11.03.2022 in the Hon'ble High Court. Further action will be

taken after the decision of the said writ petition. (Annexure-R-I, A, R-VI & related documents are attached)

Annexure – R-I

Gazette of India, January, 23, 2010 Magha 3, 1931

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 13th January, 2010

S.R.O.4- In exercise of the pores conferred by Sections 3 and 7 of the works of Defense Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient to impose restrictions, upon the use and enjoyment of land in the vicinity of the Indian Air Force Stations and Installations, hereby declares that such land shall be kept free from buildings and other obstructions and directs that:-

(a). no building of structure shall be constructed, created or erected or no tree shall be planted on any land within the limits of 100 meters from the crest of the cuter parapet of Indian Air Force Stations and Installations as given in the Annexure 'A' to this notification.

(b). no building of structure shall be constructed, created or erected or no tree shall be planted on any land within the limits of 900 meters from the crest of the cuter parapet of Indian Air Force Stations and Installations as given in the Annexure 'B' to this notification.

(c). no building of structure shall be constructed, created or erected or no tree shall be planted on any land within the limits of 100 meters from the crest of the cuter parapet expect that the limit 100 meters will extended to 900 meters from and in line with the boundary of the bomb dump at Indian Air Force Stations and Installations as given in the Annexure 'C' to this notification.

(d). for the purpose of this notification, the Air Officer Commanding or Commanding Officer of the concerned Indian Air Force Stations or Installation, as the case may be, shall provide all the relevant details including land holdings to the Collector/Magistrate for inclusion in the public notice to be given by him under sub-section (2) of section 3 of the Works of Defense Act, 1903 (7 of 1903).

2- This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Annexure 'A'

STATIONS WHERE RESTRICTION TO BE IMPOSED UPTO 100 METERS

Name of Air Force Station	District	State
Force Station Palam	Western Air Command South west Delhi	Delhi
Force Station Rajokri	South west Delhi/ Gurgaon	Delhi/Haryana
Air Force Station Bikaner	Bikaner	Rajasthan
Air Force Station Bhagwansar	Ganganagar	Rajasthan
Air Force Station Barnala	Sangrur	Punjab
Air Force Station Arjangarh	South Delhi/Gurgaon	Delhi/Haryana
Air Force Station Badgampura	Badgampur	Jammu & Kashmir
Air Force Station Barwala	Mohali/ Ambala	Punjab/Haryana
Air Force Station Nathatop	Udhampur	Jammu & Kashmir
Air Force Station Basant nagar	South-west Delhi	Delhi
Air Force Station Mullan pur	Mohali	Punjab
Air Force Station Dhansa	South west Delhi	Delhi
Air Force Station Narela	North west Delhi	Delhi
Air Force Station Dadri	Gautam Budh Nagar	Uttar Pradesh
Air Force Station Chandigarh	Bagpat	Uttar Pradesh
Air Force Station Mamun Cantt.	Gurdaspur	Punjab
Air Force Station Faridabad	Faridabad	Haryana
Western Air Command, Subroto Park	South west Delhi	Delhi

True Copy

Annexure – R-IV

OFFICE OF THE COLLECTOR, FARIDABAD

Dated 10-02-2011

PUBLIC NOTICE

In exercise of the power under sub-section (f) of section-2 of the Indian Works of Defence Act. 1903 and as per requirement of sub-section (2) of section-3 of the Act concerned land owners located within 100 Mt. wide restricted belt around Dabua Air Force Station Faridabad measured from the outer boundary of Air Force Station that no building or structure shall be constructed, erected or re-erected or no tree shall be planted on any part of the restricted belt which has been notified by the Ministry of Defence Govt. of India vide Notification No-SRO-4 dated 13-1-2010 published in Govt. Gattete dated 23-02-2010 under Section 3&7 of the Act ibid. The details of Khasra Nos. falling within 100 MT. wide restricted well are as under.

ra Nos, Village Dabua:

45//6,7.8,12,13,14,15,18,22,23
46//6 to 16/1, 25/2, 47//11, 19 min, 20, 21, 22 min
49//1, 2 min, 9 min, 10, 11,12min, 19min, 20,21min, 22 min
51//2min, 3, 7 min, 8, 9, 13, 17min, 18
57//1 min, 10 min.

Khasra Nos, Village Gazipur:

4//7min, 8 min,13min,14min,17, 18 min,23 min, 24
11//3 min, 4.7,8 min, 13min, 14, 15, 16, 17,18min, 23 min, 24
16//3min, 4,7,8min,13min,14,15,16,17,18min,23min,24
25//4min, 5, 6, 7min, 8 min.

Khasra Nos, Village Nagla Gujran:

3//3min,8min,13min,14min,16min,17min,18min,23min,24min,25min
8//4min, 5, 6, 7 min, 15 min
9//1min, 9, 10, 11, 12min, 19, 20, 21min, 22, 23

Khasra Nos. Village Saran:

18//21min, 22
30//1, 2min, 9min, 10, 11,12min, 20
31//6min, 15, 16, 25
33//1min,10min,11min,20min,21min,22min
32//5, 6,15,16,25
44//1,2,3,4min,7,8,9,10,13,14,17,18,23,24
45//5
48//3,4min,7min,8,13,14min,17min,18,23,24min
57//3,4min,7min,8,13,14min,17min,18,19,20,21,22,23,24
58//16, 17, 18, 19,23,24,25

All the concerned are hereby directed not to raise any construction in the above restricted belt and in case any unauthorized construction has been raised at site then the same be removed immediately falling which action for removal of such unauthorized construction shall be taken by the Administration at the risk and cost of the concerned land owner.

Sd/-
(Praveen Kumar I.A.S)
Collector, Faridabad

TRUE COPY

EXECUTIVE MAGISTRATE
FARIDABAD
31/3

312

प्रेषक

उपायुक्त, फरीदाबाद ।

सेवा में

सब रजिस्ट्रार
फरीदाबाद ।

कमांक एल0एफ0ए0/2011/ 500 दिनांक 4/4/12

विषय : CWP NO. 15171 OF 2010 SURESH GOYAL V/S UNION OF INDIA AND OTHERS

महोदय :

उपरोक्त विषय पर आप्को निर्देश दिये जाते है कि ऐयर फोर्स स्टेशन, डबुआ फरीदाबाद के चारो ओर 100 मीटर प्रतिबन्धित क्षेत्र में स्थित मकानो / प्लाटों / दुकानों आदि के कोई भी दस्तावेज पंजीकृत नही किये जावे और न ही इनके इन्तकाल दर्ज किये जावे । इसके अलावा आपको यह भी लिखा जाता है कि आप उक्त ऐरिया के पटवारी को निर्देश देवे कि वह उक्त निर्देशों बारे अपने रपट रोजनामचा में भी दर्ज करे तथा उक्त निर्देशें की पालना रिपोर्ट भी इस कार्यालय मे भिजवाना सुनिश्चित करें ।

यदि आप द्वारा ऐयर फोर्स स्टेशन, डबुआ फरीदाबाद के चारो ओर 100 मीटर प्रतिबन्धित क्षेत्र में स्थित मकानो / प्लाटों / दुकानो आदि के कोई भी दस्तावेज पंजीकृत करने व इन्तकाल दर्ज करने बारे कोई भी केस इस कार्यालय के नोटिस मे आया तो आपके विरुद्व नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।

0/c कृते उपायुक्त, फरीदाबाद ।
4/4/12

पृ0 कमांक एल0एफ0ए0/2011/ 501 दिनांक 4/4/12

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही / पालानार्थ एवं रिपोर्ट हेतू प्रेषित है :–

1– उप मंडल अधिकारी (ना0), फरीदाबाद ।
2– कार्यभारी अधिकारी, रजिस्ट्रेशन शाखा / एस0के0 शाखा ।

0/c कृते उपायुक्त, फरीदाबाद ।
4/4/12

3– स्टेशन कमाण्डर, 56 ए0एस0पी0 एयर फास स्टेशन, डबुआ फरीदाबाद ।

0/c कृतेः उपायुक्त, फरीदाबाद ।
4/4/12

From

Deputy Commissioner,
Faridabad.

To

Tehsildar, Faridabad.

No. LFA/2013, 1355, dated 01.10.13

Subject:- Banning of the registry of Sale deeds of houses around the 100 meters Restricted Zone around the Dabua Air Force Station, Faridabad.

It is intimated that in this regard the Civil Writ Petition No. 15171 of 2010 is pending in the Hon'ble High Court. The Hon'ble Court has passed the directions for banning the illegal new constructions around the Air Force Station, Faridabad. Therefore, you are directed not to register the sale deeds of the houses which fall in the 100 meters restricted area around Air Force Station, Faridabad.

For Deputy Commissioner,
Faridabad.

Seen, after issue

D.C., Fbd.

Sr. No: 203

Civil Writ Petition No. 15171 of 2010 (O&M)

Suresh Goyal **Vs.** **Union of India and others**

Present : Mr. Atul Lakhanpal, Senior Advocate with
Mr. Arjun Lakhanpal, Advocate, for the petitioner.
Mr. B.S.Rana, Addl. Advocate General, Haryana,
for respondents No.1 to 3, 5 and 6.
Mr. Vinod S.Bhardwaj, Advocate, for
Municipal Corporation Faridabad i.e. respondent No.4.
Mr. Arun Walia, Advocate for HUDA/respondent No. 7.
Mr. O.S.Batalvi, Standing Counsel for UOI with
Ms. Kamla Malik, Central Govt. Standing Counsel
for respondents No. 8 and 9.
Ms. Kulwant Kaur Kahlon, Senior Panel Counsel for
respondent No.6.
Mr. Deepak Sibal, Advocate for applicants in CM No. 3060 of 2011
Mr. S.K.Garg Narwana, Sr. Advocate with
Mr. Naveen Gupta, Advocate for the applicants
in CM No. 3667 of 2011.
Mr. S.K.S.Bedi, Advocate.
Mr. Amit Singh, Advocate.
Mr. Chetan Mittal, Sr. Advocate with
Mr. Vishal Garg, Advocate for the applicant

****

Municipal Commissioner, Faridabad as well as Municipal Commissioner, Gurgaon and Secretary, Local Bodies, Haryana, are present in Court. Municipal Commissioner, Faridabad as well as Municipal Commissioner, Gurgaon have filed their respective affidavits wherein they have stated about the measures which they are going to take in the respective areas in Faridabad and Gurgaon to ensure that no construction comes up within 900 meters of Ammunition Depot, Gurgaon and within 100 meters of Air Force Station, Faridabad. The reports of the steps taken on the lines suggested in these affidavits shall be filed on the next date of hearing.

It cannot be denied and there cannot be any argument that within 900 meters of Ammunition Depot in Gurgaon and within 100 meters of Air Force Station in Faridabad, any construction or habitation is permissible. Therefore, the first task that is required is to demarcate

::: Downloaded on - 01-03-2022 12:09:13 :::

the land around the aforesaid Ammunition Depot and the Air Force Station at Gurgaon and Faridabad, respectively. This task shall be undertaken by both the Municipal Corporations in their respective areas and reports in this regard be submitted on the next date of hearing. However, while carrying out the demarcation of the land around the Air Force Station and the Ammunition Depot, the officers of the Air Force Station and the Ammunition Depot shall also be associated.

On the next date of hearing, learned counsel for the parties shall also address on the issue of constructions which already exist within the prohibited areas. It can again be divided into two parts, namely, constructions which were already there when the notifications prohibiting any construction within the restricted area were issued and the constructions which have come up after these notifications. The Court has to decide as to what to do with these constructions which are existing in the prohibited areas. If it is found that it is in the larger public interest and in the interest of the Air Force Station and the Ammunition Depot to remove these constructions, then the next question would be for rehabilitation of the persons who are residing within the prohibited areas. Learned counsel for the parties agree that this issue involves larger public interest and therefore, cannot be treated as adversarial and they all will give suggestions on the aforesaid aspects on the next date of hearing while making their submissions.

List alongwith connected matters for hearing on 27.02.2013.

(A.K.SIKRI)
CHIEF JUSTICE

18.12.2012
'ravinder'

(RAKESH KUMAR JAIN)
JUDGE

::: Downloaded on - 01-03-2022 12:09:13 :::

CWP No. 15171 of 2010 (O&M)

Suresh Goyal

Vs.

Union of India and others

Present: None for the petitioner
Mr.Kulvir Narwal,Addl.A.G,Haryana
Mr.Vinod.S.Bhardwaj,Advocate, for respondent No.4
Mr.Arun Walia,Advocate,for respondent No.7
Mr.O.S.Batalvi,Standing Counsel for UOI with
Mrs.Kamla Malik,Advocate, for respondent Nos.8 and 9.
Mr.Deepak Sibal,Advocate.
Mr.Vishal Garg,Advocate.

At one point of time, State of Haryana was directed not to allow any construction to be raised within 900 meters of Ammunition Depot, Gurgaon and within 100 meters of Air Force Station, Faridabad. Mr.Batalvi states that noticing that constructions are still going on at Faridabad, letters were written to the Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad, but nothing has been done so far. It is on record that vide order dated 13.8.2012, it was made clear that the Deputy Commissioners of Faridabad and Gurgaon would be held responsible in case they failed to stop the on going old constructions/ commencement of the new constructions in the area and it was further made clear that action shall be taken against them if they failed to do so. Inspite of the direction issued by this Court many times, constructions are still going on. We feel that time has come to take strict action.

Under these circumstances, we adjourn the case to 29.4.2013. Both the Deputy Commissioners of Faridabad and Gurgaon

::: Downloaded on - 01-03-2022 12:11:53 :::

are directed to come present in the Court on the next date of hearing to explain as to why contempt proceedings be not initiated against them for not complying with the order passed by this Court. Further they would submit status reports regarding on going construction and what action they have taken.

(Jasbir Singh)
Acting Chief Justice

(Rakesh Kumar Jain)
Judge

23.4.2013
rr

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो प्रश्न है ये लाखो लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने देश के रक्षा राज्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा था । माननीय

मंत्री जी के जवाब में माननीय अदालत के निर्णय का और एल.ए.सी. एक्ट, 1903 इन दो बातों का बार–बार जिक्र आया है । इसमें माननीय अदालत का निर्णय आया है कि–

"If such unauthorized construction is going on at any place, steps should be taken to get the same stopped forthwith. A report in this behalf shall be filed within one week.

We make it clear that it is the duty of the said Committee to ensure that no such construction comes up and in case it is found that some un-authorized constructions have been carried out during this period, the committee shall be squarely responsible for the same and apart from any other action that may be taken, it will also be treated as contempt of the orders of this Court."

अध्यक्ष महोदय, इस ऑर्डर में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वहां पर रजिस्ट्री रोक दो । वहां पर किसानों की भी 10–10 एकड़ जमीन है, गरीब लोगों के भी प्लॉट्स हैं । माननीय अदालत ने कहा है कि वहां पर अनअथॉराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से वहां पर बहुत दयनीय स्थिति है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय को वहां की एक–एक चीज के बारे में पता है कि हमारे एरिया को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है । इसका दुष्प्रभाव यह है कि जो एरिया 100 मीटर में भी नहीं है वहां के लागों को भी ब्लैकमेल किया जाता है । मैं इससे संबंधित कागजात टेबल करूंगा । खजान सिंह जी की पिछले एक साल से कम्पलेंट है और उसका अब म्यूटेशन हुआ है । उसकी जगह तो 100 मीटर में भी नहीं थी । वह बेचारा दर–दर की ठोकरें खा रहा है । हमारे क्षेत्र के सारंग गांव के मुझे खसरे नंबर दिये हैं । सारंग गांव का 51/21 नंबर खसरा इस 100 मीटर एरिया में डाला हुआ है जबकि वह एरिया कम से कम 900 मीटर दूर है । अतः यह लाखो लोगों की जिन्दगी का सवाल है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से यह दरख्वास्त करूंगा कि कोर्ट का ऑर्डर अनअथॉराइज्ड कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, इसलिए गरीबों की जमीन की रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन पर रोक मत लगाओ जिससे रैड टैपिजम को बढ़ावा मिले । यह मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं ।

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा था वह इनकी पूरी कांस्टीच्युएंसी के बारे में था । इनकी पूरी कांस्टीच्युएंसी में इस तरह का प्रतिबंध कहीं भी नहीं है । गवर्नमैंट की रिस्ट्रीक्शन है कि 7'ए' का जो अर्बन एरिया है उसमें पहली अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट से और दूसरी टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट से दो परमीशन लेनी पड़ती हैं । अगर कोई इन दोनों परमीशंज को ले लेता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन परमीटिड है । माननीय सदस्य अपने सवाल में जो पूछना चाह रहे थे हालांकि वे लिखित रूप में वह नहीं पूछ पाए कि क्या एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर एरिया के अन्दर कोई इस तरह का प्रतिबंध है । हमने माननीय सदस्य के सवाल लगाने के बाद स्पैसिफिकली एग्जामिन करवाया था । कई वर्ष पूर्व वहां पर कोई अधिकारी रहे हैं जिन्होंने गवर्नमैंट की परमीशन के बगैर अपने लैवल पर हाई कोर्ट के ऑर्डर को reiterate करते हुए एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगते 100 मीटर के एरिया में रजिस्ट्रेशन पर स्टौपेज लगा दी थी । मैं एश्योर करता हूं कि उसको 48 घण्टे के अंदर एग्जामिन करवाकर पुनः खोला जाएगा । आने वाले समय में अगर किसी को भी अपनी लैंड सेल/परचेज करनी है तो वह कर सकेगा फिर चाहे वह 15 एकड़ भूमि की हो या 15 गज की भूमि हो । एक एकड़ भूमि के लिए तो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट की एन.ओ.सी. की जरूरत पड़ेगी और एक एकड़ से कम भूमि के लिए टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट की एन.ओ.सी. की भी आवश्यकता पड़ेगी जोकि नियम 7'ए' को फुलफिल करेगा ।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 48 घंटे का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि जिस ऑफिसर ने ऐसा काम किया है जिससे लाखों लोगों की जिदंगी से खिलवाड़ हुआ है, उसके खिलाफ जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त एन.ओ.सी. वाली बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि शायद हरियाणा प्रदेश की सबसे पहली पास कॉलोनी उस 100 मीटर के अन्दर है और उसका नाम कपड़ा कॉलोनी है। अब एयर फोर्स स्टेशन ने भी हमें रिपेयरिंग का काम करने के लिए और सीवरेज का काम करने के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी है ताकि वहां के लोगों की जिंदगी अच्छी हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर और लाखों लोगों की जिंदगी का वास्ता देते हुए दरखास्त करूंगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने माननीय रक्षा मंत्री

जी को पत्र लिखा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक ऐसी कमेटी बनायी जाए जो एयर फोर्स के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके आपको हर महीने रिपोर्ट दे। उसकी 1 महीने में एक बैठक हो और मौके पर जाकर भी देखें। जैसे 100 मीटर का कुछ एरिया छोड़ दिया है कि इस– इस एरिया में डिवलैपमैंट हो सकती है। मेरा कहना यह है कि बाकी एरिया में भी डिवैलपमैंट हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं लोगों के लिए सीवरेज की व्यवस्था करना और पानी की व्यवस्था करना अनअथॉराईज कन्स्ट्रक्शन नहीं मानता। अनअथॉराईज कंस्ट्रक्शन तो बिना नक्शे के मकान बनाना हो सकता है, परन्तु पीने का पानी और उस पानी की निकासी करना अनअथॉराईज कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मामले की इन्क्वायरी की बात है तो यह देखना पड़ेगा कि क्या सिविल सर्विस रूल्ज के तहत उनकी रिटायरमैंट के बाद कोई प्रतिबंध लग सकता है ? जब माननीय सदस्य की कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में सरकार थी तो उस समय के अधिकारियों ने यह प्रतिबंध लगाया था। अगर कोई कानून में प्रावधान होगा तो हम उसके खिलाफ इन्क्वायरी शुरू करवा देंगे। जहां तक एयर फोर्स के साथ कॉऑर्डिनेशन की बात है तो यह सवाल बिल्कुल अलग है। यह प्रतिबंध एक शहर में ही नहीं है बल्कि अंबाला, सिरसा, गुरूग्राम और फरीदाबाद में भी है। हरियाणा सरकार पत्राचार और बैठकों के माध्यम से केन्द्र सरकार के साथ निरंतर चर्चा करती रहती है। जैसे ही इस पर कोई रैजोल्यूशन निकलेगा तो उसकी कॉपी माननीय सदस्य को भी दे दी जाएगी।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरे इसी विषय से संबंधित कुछ लिखित कागजात हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि उनको आप प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बनवा देना।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

***श्री नीरज शर्मा**: अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागजात सदन के पटल पर रख देता हूं।

चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित कागज पत्रों को प्रौसिडिंग्ज कर पार्ट बनाया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या– 1799

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Payment of Rs. 7 Crore Without Any work

***1727. Shri Sudhir Singla:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a huge amount of rupees 7 crore has been paid by the Government without conducting any work for shifting the sewerage line passing under the IFFCO chowk flyover in Gurugram; and

(b) if so, the action taken by the Government against the officers involved in the said matter togetherwith the details thereof?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): सर, प्रश्न का प्वायंटवाईज जवाब निम्न प्रकार है–

(ए) गुरूग्राम में इफको चौक फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने वाली सीवरेज लाईन को शिफ्ट करने का कार्य एनएचएआई द्वारा वर्ष 2017 में एचएसवीपी की देखरेख में कराया गया था। इस कार्य का भुगतान एनएचएआई द्वारा ठेकेदार को अपने फंड से किया गया था। इस कार्य के भाग के रूप में इफको चौक पर एनएच–48 पर फ्लाईओवर के निर्माण के कारण लगभग 1700 मीटर लंबाई की मौजूदा मास्टर सीवर लाईन को स्थानांतरित करना आवश्यक था। हालांकि, इस स्थानांतरण का कार्य का केवल आन्शिक हिस्सा एनएचएआई द्वारा पूरा किया गया है। जब इस काम के आंशिक रूप से पूरा होने का तथ्य जीएमडीए के ध्यान में आया, तो इसेसितंबर–2020 में एनएचएआई के ध्यान में लाया गया और बाद में मार्च–2021, अगस्त–2021 और दिसंबर–2021 में एनएचएआई से पत्राचार किया गया। इन पत्राचारों के बाद, एनएचएआई द्वारा अब मौजूदा सीवर को साइट की स्थिति के अनुसार सीवर लाईन को स्थानांतरित करने व उसे पहले से लगी हुई सीवर लाईन से जोडने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार, इस कार्य के लिए 7 करोड़ रूपये का भुगतान जारी करने का मामला एनएचएआई से संबंधित है और उन्हें उसी के लिए विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया है।

(बी) एचएसवीपी का एक एसडीई, जो अब जीएमडीए में प्रतिनियुक्ति पर था, ने

@ Replied by the Agriculture & Farmers Welfare Minister

प्रथम दृष्टया ठेकेदार को एनएचएआई द्वारा भुगतान के लिए बिलों का सत्यापन किया है। उसे उसके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है।

श्री सुधीर सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इनके उत्तर के अन्दर ही मेरा प्रश्न लगा हुआ है। यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। इन्होंने कहा है कि इस कार्य के भाग के रूप में इफको चौक पर एन.एच.– 18 पर फ्लाई ओवर के निर्माण के कारण लगभग 1700 मीटर लम्बाई की मौजूदा मास्टर सीवर लाईन को स्थानांतरित करना आवश्यक था। हालांकि, इस स्थानांतरण का कार्य केवल आंशिक हिस्सा एन.एच.ए.आई. द्वारा पूरा किया गया है। इन्होंने वर्ष 2017 में लिखा था कि यह कार्य कर दिया गया है। अब वर्ष 2017 के बाद वर्ष 2022 आ गया है। जब मैंने यह प्रश्न लगाया तो एन.एच.ए.आई. के ऑफिसर्ज ढूंढने लग गये कि सीवरेज लाईन कहां पर है और सीवरेज लाईन को कनैक्ट करने की कोशिश करने लग गये हैं।। मैं पूछना चाहूंगा कि यह 7 करोड़ रुपये की पेमैंट किसके कहने से हुई है ? क्या यह पेमैंट करने से पहले साईट इंस्पैक्शन हुई थी ? क्या उस बिल का भुगतान हो गया है ? माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि बिल का भुगतान हो गया है तो जिसने उस बिल को वैरिफाई किया है उसका नाम भी बता दें। क्या इसमें केवल एस.डी.ई. ही जिम्मेवार है और बाकी दूसरे ऊपर वाले कोई अधिकारी जिम्मेवार नहीं हैं ?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं इनकी बात पर ही अपनी बात कहना चाह रही हूं।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी शक्ल देखते ही इनकी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि शिफ्टिंग का काम एन.एच.ए.आई. के द्वारा करना था और उन्होंने आंशिक रूप से काम किया है लेकिन इन्होंने कनैक्शन का काम पूरा नहीं किया था और इस काम की पेमैंट भी एन.एच.ए. आई. ने की है। हमें जब बाद में इस बात का पता लगा कि पूरा काम नहीं हुआ है तो यह बात उनके नोटिस में लाई गई थी। अब उन्होंने अपनी बात मान ली है और वे इस काम को जोड़कर पूरा कर रहे हैं।

श्री सुधीर सिंगला : अध्यक्ष महोदय, आपने लिखा है कि एस.डी.ई. को स्थानांतरित कर दिया गया है। क्या इसमें इससे भी कोई ऊपर का अधिकारी मौजूद था या इस अधिकारी की जिम्मेवारी खाली साइड इन्सपैक्शन करने की थी? मुझे यह बतायें कि क्या उसने बिल वैरीफाई किया था? क्या सरकार उस पर किसी किस्म की

जिम्मेवारी ठहरायेगी या नहीं? मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वह एच.एस.वी.पी. विभाग का अधिकारी है।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, काम करना, ठेका देना और बिल वैरीफाई करना एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों का काम है। इसमें हमारे एस.डी.ई. की यह देखने की जिम्मेवारी थी कि उन्होंने सीवर पूरा जोड़ा या नहीं। वह काम अधूरा था, इसलिए उसको शिफ्ट कर दिया गया था और बाकी का काम वे पूरा करवा रहे हैं।

श्री सुधीर सिंगला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि मंत्री जी ने लिखा है कि वैरीफाई एस.डी.ई. ने किया है।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, अगर अधिकारी ने गलत वैरिफिकेशन की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, जिस ने भी गलत काम किया है हमने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, आपने तो उसकी ट्रांसफर कर दी है।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, यह काम एन.एच.ए.आई. ने करवाया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, यह बात नहीं है। हमारे विभाग के संबंधित अधिकारी ने वैरिफिकेशन का काम किया है। उसने अगर गलत वैरिफिकेशन की है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारे अधिकारी का काम तो यह देखने का था कि उसने काम पूरा किया या नहीं ।

श्री सुधीर सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने आंसर में लिखा है कि एस.डी.ई. अधिकारी है, उसने पृथम दृष्टि से उसको भुगतान किया है।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, उसने भुगतान नहीं किया है उसने बिलों को वैरीफाई किया है।

श्री सुधीर सिंगलाः अध्यक्ष महोदय, उस अधिकारी ने वैरीफाई गलत तरीके से किया है।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, उसने कहा है कि काम पूरा हो गया है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ था।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि उस एस. डी.ई. के खिलाफ इन्क्वायरी करवाकर जो भी दोष होगा, उसके मुताबिक सजा दी जायेगी।

———————————

Acquisition of Ghaggar Land

***1522. Shri Ram Kumar Gautam**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the details of Ghaggar land adjoining sector-23 to sector-28, Sector-31 and other sectors, if any, acquired by the HSVP (HUDA) alongwith the details of period the land was acquired;

(b) the details of the persons who are compensated in lieu of acquisition of abovesaid land alongwith their ownership record;

(c) the reasons(s) of acquisition of abovesaid land approved by the then competent Authority;

(d) the present status of abovesaid land as on file today;

(e) the name of the land acquisition officer (LAO) at that time in whose supervision the abovesaid land was acquired ; and

(f) whether the purpose of acquisition of abovesaid land has been fulfilled; if so, the details thereof?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) गांव बन्ना मदनपुर की 486.97 एकड, रामगढ की 655.93 एकड, नग्गल मोगीनन्द की 3.08 एकड और गॉव झुरीवाला की 5.01 एकड भूमि को सैक्टर–25 से 28 के लिए अवार्ड नम्बर 5, 6, 7 व 8 दिनॉक 17.06. 1992 द्वारा अर्जित किया गया था । गॉव नाडा की 169.50 एकड भूमि को अवार्ड न0 07 दिनॉक 11.03.1998 द्वारा सैक्टर 23 के लिए अर्जित किया गया था । इन अवार्डो में रैवन्यु रिकार्ड अनुसार घग्गर नदी के नाम दर्ज किसी भूमि को अर्जित नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त सैक्टर–31 घग्गर के साथ नहीं लगता ।

(ख) सैक्टर 25 से 28 के लिए अवार्ड न0 5, 6, 7 व 8 दिनॉक 17.06.1992 द्वारा कुल 2577 व्यक्ति लाभार्थी थे । जिनमें से 1405 व्यक्ति रैवन्यु रिकार्ड अनुसार

@Replied by the Agriculture & Farmers Welfare Minister

भू–मालिक थे तथा 1172 व्यक्ति ऐसे थे जिनको रैवन्यु रिकार्ड अनुसार जुमला मुस्तरका मालकान/आबादी देह का लाभ दिया गया था । जुमला मुस्तरका मालकान/आबादी देह की भूमि का भुगतान तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी, पंचकूला की ओर से प्राप्त भूमि के हिस्से अनुसार किया गया था ।

सैक्टर 23 के लिए अवार्ड नम्बर 7 दिनॉक 11.03.1998 में कुल 474 व्यक्ति लाभार्थी थे, जिनमें से 270 व्यक्ति रैवन्यु रिकार्ड अनुसार भू–मालिक थे तथा 204 व्यक्ति ऐसे थे जिनको रैवन्यु रिकार्ड अनुसार जुमला मुस्तरका मालकान/ आबादी देह का लाभ दिया गया था । जुमला मुस्तरका मालकान/आबादी देह की भूमि का भुगतान तत्कालीन तहसीलदार, पंचकूला की ओर से प्राप्त भूमि के हिस्से अनुसार किया गया था ।

(ग) सैक्टर 25 से 28 की भूमि को रिहायशी, वाणिज्य एवं संस्थागत उद्देश्य के लिए अर्जित किया गया था तथा सैक्टर 23 की भूमि को रिहायशी, वाणिज्य, संस्थागत एवं औधोगिक उद्देश्य के लिए अर्जित किया गया था । उपरोक्त उद्देश्य का अनुमोदन अर्जन से पहले सरकार से प्राप्त किया गया था ।

(घ) सैक्टर 25 से 28 के लिए अर्जित भूमि का कब्जा दिनॉक 17.06.1992 को तथा सैक्टर 23 के लिए अर्जित भूमि का कब्जा दिनॉक 11.03.1998 को अवार्ड के समय ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दे दिया गया था ।

(ड़) उक्त भूमि को अर्जित करने के दौरान दिनॉक 26.06.1989 से 30.06.1998 तक नियुक्त भूमि अर्जन अधिकारियों की सूची **एनैक्चर–ए** पर संलग्न है ।

(च) सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला की ओर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमॉक 4232 दिनॉक 16.12.2021, जो कि **एनैक्चर–बी** पर संलग्न है, अनुसार उक्त भूमि को अर्जित करने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है । प्रश्नाधीन भूमि पर सैक्टर 25 से 28 तथा 23 पंचकूला को विकसित किया जा चुका है । मौका पर सड़क, हस्पताल, ग्रुप हाऊसिंग सोसाईटी व अन्य आवश्यक सेवाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

एनैक्चर – ए

क्रमॉक	अधिकारी का नाम	अवधी	धारा–4, 6 व अवार्ड की तिथि
1.	खाली	26.06.1989 से 27.09.1989	धारा–4 26.06.1989 धारा–6 25.06.1990 व अवार्ड 17.06.1992
2.	श्री आर0पी0 कौशिक	28.09.1989 से 26.12.1989	
3.	श्री प्रवीन कुमार	29.01.1990 से 02.03.1990	
4.	श्री विमल चन्द्रा	01.04.1990 से 10.07.1990	

	एच0सी0एस0		
5.	श्री सुभाष चन्द्र, एच0सी0एस0	12.07.1991 से 23.07.1991	
6.	श्री के0के0 शर्मा	23.08.1991 से 11.11.1991	
7.	श्री एच0सी0 भाटीया, डी0आर0ओ0	12.11.1991 से 30.07.1993	
8.	श्री वी0पी0 चौहान, एच0सी0एस0	30.07.1993 से 31.05.1994	धारा–4 04.05.1995 धारा–6 02.05.1996 व अवार्ड 11.03.1998
9.	श्री एच0एस0 अरोडा, डी0आर0ओ0	16.06.1994 से 12.07.1994	
10.	श्री चन्द्र प्रकाश, एच0सी0एस0	29.07.1994 से 28.11.1994	
11.	श्री रूप सिंह, एच0सी0एस0	22.08.1994 से 28.11.1994	
12.	श्री सुरज सिंह, डी0आर0ओ0	13.02.1995 से 10.08.1995	
13.	श्री एच0एस धन्कड, एच0सी0एस0	13.09.1995 से 07.11.1995	
14.	श्री एन0एस0 ढुल, डी0आर0ओ0	08.11.1995 से 22.12.1995	
15.	श्री एम0आर0 भगवारी, डी0आर0ओ0	15.01.1996 से 29.02.1996	
16.	श्री एच0एस0 अरोडा, डी0आर0ओ0	11.03.1996 से 30.06.1998	

एनैक्चर – बी

प्रेषक

सम्पदा अधिकारी,

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण,
पंचकूला ।

सेवा में

प्रशासक,
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण,
पंचकूला ।

यादी क्रमॉक : दिनॉक :

विषयः विधान सभा प्रश्न नम्बर 1522 – श्री राम कुमार गौतम, विधायक ।

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमॉक 16.12.2021 के सन्दर्भ में ।

विधान सभा प्रश्न क्रमॉक 1291 के बिन्दु एफ में वर्णन के जवाब में कथन है कि उक्त भूमि को अर्जित करने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है । प्रश्नाधीन भूमि पर सैक्टर 25 से 28 तथा 31 पंचकूला को विकसीत किया जा चुका है । मौका पर सड़क, हस्पताल, ग्रुप हउसिंग सोसाईटी व अन्य आवश्यक सेवाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

हस्ता0
सम्पदा अधिकारी,
हरियाणा शहरी विकास प्रधिकरण,
पंचकूला ।

पृ0क्रमॉक : 4232 दिनॉक : 16.12.2021

उपरोक्त की एक प्रति निदेशक, शहरी सम्पदा विभाग, हरियाणा, पंचकूला को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

हस्ता0
सम्पदा अधिकारी,
हरियाणा शहरी विकास प्रधिकरण,
पंचकूला ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूं जो जवाब माननीय मंत्री ने दिये हैं कि कौन सा किस तरह का मालिक था और किसको किस तरह का मुआवजा दिया गया। इसमें सारी अनापशनाप कमियां हैं लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपने वचन दिया था, वायदा किया था कि जो फालतू का घग्गर का एरिया है जिसका सैक्टर 24 या किसी अन्य सैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। घग्गर की जमीन है उसका मुआवजा सरकार जितने भी अलॉटी हैं, उन पर सरकार न लादें,

यह बिल्कुल नाजायज हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई कोर्ट के जजिज की कमेटी बनाई थी और कमेटी ने दिनांक 1.10.2018 को कमेटी ने रिपोर्ट दी थी घग्गर की जमीन से सैक्टरवासियों का कोई लेना देना नहीं है। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला दिया था। मैं इनके फैसले की याद दिलाता हूं। आपने कहा था कि "The cost of this land can either be provided by the State Government through Mangal Nagar Vikas Yojana or be directed to be absorbed by the H.S.V.P. from its own sources." माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपना वचन याद कीजिए इसको लटकाओ न। मैं जब से इस हाउस में आया हूं तब से मैं आपसे बार–बार आग्रह कर रहा हूं कि 25–25, 30–30 लाख रुपये एक आदमी का आ रहा है। वह कैसे देगा और क्यों देगा? इसलिए आप मेहरबानी करके इस मामले को सुलझाओ और इनको इनकी कम्पलीशन दे दो। इसमें आपकी वाह वाही हो जायेगी, लोग आपके गीत गायेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत ही काबिल स्पीकर बने हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है और आपकी पार्टी के भी है । हम तो आपकी पार्टी से इस वक्त दूर के हैं लेकिन झाड़ू वाले का ख्याल रखना क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणवी में एक बहुत पुरानी कहावत है जिसको मैं बताना चाहता हूं, कोई भाई महसूस न करे । कहते हैं कि सांप लड़े, बिच्छू लड़े, झाड़ा लाग जए पर जिसको लड़ जाए * तड़फ तड़फ मर जाएं । तो केजरीवाल को छोटा मोटा* मत मानना । सारे पंजाब को पी गया जबकि उसका पंजाब से कोई लेना देना नहीं है । वह हमारे पड़ोस सिवानी कां रहने वाला है, हिसार में पढ़ा है लेकिन दिल्ली पर कब्जा कर गया । उसका अगला टारगैट हरियाणा है इसलिए मुख्यमंत्री जी, सबको साथ लेकर चलें ।

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, यहां जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ।

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जो जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है उनको आप सदन की कार्यवाही से निकलवा दें ।

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।**

श्री अध्यक्षः गौतम जी द्वारा जो जातिसूचक शब्द टिप्पणी में यूज किए हैं उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं यह शब्द वापिस लेता हूं । किसी को चोट पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है । मेरा मकसद तो केवल केजरीवाल को याद दिलाने के अलावा कुछ नहीं था ।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, यह जो जमीन एक्वायर हुई थी इसमें विषय यह था कि घग्घर के अंदर जो जमीन उपयोग में नहीं आई उसके उपर भी ई.डी. सी. और इन्हांसमैंट लोड कर दी गई । गौतम जी भी इससे प्रभावित हैं क्योंकि इनको मिलने वाले वहां पर बहुत हैं ।उनको ज्यादा चार्जिज देने पड़ रहे हैं । इस विषय में सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और जल्दी ही कोई न कोई फैसला इस विषय पर लेंगे । हमारी कोशिश होगी कि इनको कोई न कोई रियायत दी जाए ।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, आप इसको टाइमबाउंड कर दें तभी यह काम होगा क्योकि इस विषय को चलते हुए 10—15 साल हो गए हैं । यह बहुत अहम मुद्दा है ।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न का जवाब दलाल साहब से नहीं चाहता । इसका डायरैक्ट कंसर्न हमारे आनरेबल मुख्यमंत्री महोदय से है । ये इस बारे में कुछ कहकर जवाब देंगें तो अच्छा भी लगेगा और प्यारे भी लगेंगे । मुख्यमंत्री जी, प्लीज, स्टैंड एण्ड रिप्लाई ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, यह विषय पहले से मेरी जानकारी में है। गौतम जी से मेरी पहले इस विषय पर चर्चा हुई है । वास्तव में यह केस आज का नहीं है । यह जमीन 1992 में एक्वायर हुई थी । 1992 में अधिकारियों ने जमीन एक्वायर की थी, चाहे डी.आर.ओज. हों या पूरी टीम जिन्होंने जमीन की इंस्पैक्शन की थी । लेकिन घग्घर की जमीन वास्तव में किसके नाम है, घग्घर नदी की है, व्यक्तिगत है या शामलात की है या घग्घर नदी के नाम है । वह जमीन घग्घर नदी की तो है नहीं वह शामलात देह है । लेकिन उसको एक्वायर किया गया और उसकी पेमैंट भी हो गई फिर उस पर इन्हांसमैंट आ गई । पेमैंट की जा चुकी है कुछ प्लॉट बिक गए हैं तथा कुछ प्लॉट बाकी हैं । जहां तक इन्हांसमैंट का विषय है तो उसका लोड प्लॉट होल्डर्ज पर नहीं पड़ेगा ।

———————————

Scheme of Constructing Three Pond System

***1768. Shri Varun Chaudhry:** Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state whether the scheme of constructing three pond/five pond system implemented by the Government in the State is serving its purpose; if not, the reasons thereof?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): हाँ श्रीमान्। इस अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब प्रणाली में मौजूदा तालाब को तीन या पांच तालाबों में विभाजित किया जाता है। यह वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश के माध्यम से होने वाली एक प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया है। इस प्रणाली में अन्य उपचार प्रणालियों की तरह किसी रसायन, बिजली या कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार संचालन और रखरखाव की लागत बहुत कम है। यह प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा अनुशंसित की गई है।

श्री वरूण चौधरी : स्पीकर सर, पानी की निकासी की समस्या आज लगभग हर गांव की है। उसी कारणवश मैंने यह प्रश्न लगाया था। जहां तक तीन और पांच तालाब की बात है जितने भी मेरे मुलाना विधान सभा क्षेत्र में ये बने हैं उन्होंने तो आज तक पानी नहीं देखा कि पानी गीला होता है सूखा होता है क्योंकि न तो वहां तक पानी आने का कोई रास्ता है और न ही वहां से पानी निकालने का ही कोई रास्ता है। जब उन्होंने पानी ही नहीं देखा तो मैं तो कहूंगा कि एक समिति बनाई जाये और जांच करवाई जाये कि कितने उसमें काम करते हैं और कितने काम नहीं करते हैं। इसमें प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जितने भी हमारे गांव हैं प्रदेश में भी और खास तौर पर मुलाना विधान सभा क्षेत्र में वहां पर जो पानी की निकासी की समस्या है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाये।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जो 5 और 3 पौंड प्रणाली है इसको हम सम्बंधित ग्राम की आबादी के हिसाब से और जो हमारा ग्रे वॉटर है उसके प्रबन्धन को देखते हुए ही इम्पलीमैंट करते हैं। इन तालाबों में गांव की नालियों के पानी को एक बड़े नाले के माध्यम से लाया जाता है। पहले पानी दो तालाबों में गिरता है उन दो तालाबों में पानी की गाद नीचे बैठ जाती है उसके बाद पानी क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें तालाब में जाता है। यह हमने फर्स्ट फेज में किया है। सैकिण्ड फेज में हम इस पानी की निकासी का भी प्रबन्ध करेंगे। पहले फेज में हमने प्रदेश के 3400 गांवों

का टारगैट रखा है। पहले हमने पांच साल के मैंटीनैंस का प्रॉविजन नहीं किया था लेकिन भविष्य में हम इसका पांच साल का मैंटीनैंस भी सम्बंधित एजेंसी को देने का काम करेंगे। प्रदेश के जिन–जिन तालाबों में समस्यायें हैं उनकी रिपोर्ट लेकर उनको भी तुरंत ठीक करवाया जायेगा।

श्री वरूण चौधरी : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से बार–बार यही निवेदन है कि प्रदेश के गांवों की यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है इसलिए इस समस्या का जल्दी से जल्दी कारगर और स्थायी समाधान किया जाये। धन्यवाद।

———————

To give the Financial Assistance

***1545. Shri Aseem Goel:** Will the Chief Minister be pleased to state whether any financial assistance has been provided by the Government to the Advocates/Chartered Accountants/ Architects of the State during the last two years in COVID-19 Pandemic; if so the details thereof?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं महोदय, राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान कोविड–19 महामारी में विशेष रूप से राज्य के अधिवक्ताओं/चार्टर्ड एकाउंटेंट/वास्तुकार को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है।

श्री असीम गोयलः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन है कि कोविड–19 की महामारी से दो साल पूरा समाज त्रस्त रहा। समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रहा। मुझे एडवोकेट, सी.ए. और आर्कीटैक्ट के बहुत से डैलीगेशंज आकर मुझसे मिलते हैं। उन सभी का यही कहना होता है कि समाज के सभी वर्गों को सरकार की तरफ से किसी न किसी रूप में सहायता मिली है लेकिन हमारा काम कोविड–19 की वजह से बहुत प्रभावित रहा और मेरा निवेदन है कि उसमें से चिन्हित करके इन तीनों वर्गों में जो जरूरतमंद लोग हैं राज्य सरकार की तरफ से उनको कुछ न कुछ सहायता जरूरत उपलब्ध करवाई जाये।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष जी, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग की तरफ से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके तहत 03.03.2022 तक 10967 आवेदन प्राप्त हुए। अब तक 6925 लाभार्थियों को अनुग्रह सहायता राशि के रूप में 34.62 करोड़ रूपये

———————————————————————————

@Replied by the Co-operation Minster

जारी किये गये हैं। इसके अलावा 1860 आवेदनों के भुगतान की प्रक्रिया चल रही। इनमें से कुछ रिजैक्शन भी हुई हैं। इनमें से कुछ लाभार्थी या उनके परिवार अधिवक्ता, सी.ए. या नक्शा नवीस हो सकते हैं उनको भी इसमें अनुग्रह सहायता राशि मिली है लेकिन स्पैशल इन वर्गों को अलग से अनुग्रह सहायता राशि नहीं मिली है।

To Open A Roadways Sub-Depot

***1637. Momd. Ilyas:** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a roadways sub-depot in Punhana; if so, the details thereof?

परिवहन मन्त्री (पण्डित मूलचन्द शर्मा): नहीं, श्रीमान् जी।

मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, मुझे यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेवात का जब भी कोई क्वैश्चन आता है चाहे उसको चौधरी आफताब जी ने लगाया हो, चाहे चौधरी मामन खान ने लगाया हो या मैंने लगाया हो हमेशा सरकार का जवाब "ना" में आता है। पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने अपने पुन्हाना हल्के में रोडवेज का एक डिपो मांगा है उसका जवाब भी "नहीं" में ही आया है। इसका कारण मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। अगर सरकार पुन्हाना में रोडवेज का डिपो नहीं बना सकती तो कम से कम पिनगवां में बस स्टैण्ड ही बना दिया जाये क्योंकि वह भी मेरा ही हल्का है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि उनका ध्यान मेवात की तरफ है इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेवात का विकास चाहते हैं लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि वे विकास कागजों में चाहते हैं या आसमान में चाहते हैं या फिर मेवात में चाहते हैं। परकली मेवात का अहम स्टेशन है। वहां पर नूंह, पुन्हाना और फिरोजपुर से भी यात्री आते–जाते हैं लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहां पर बस स्टैण्ड नहीं है। मेवात के लोगों ने आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेवात से हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए। सरकार द्वारा बजट में भी मेवात के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई। मेवात को रेलवे में भी कुछ नहीं मिला। इसी प्रकार से हमारे मेवात को कोई फोर लेन का प्रोजैक्ट भी नहीं मिला। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि हमें यह तो बताया जाये कि आखिर हमसे क्या बुरा हो गया?

बड़खली से तिजारा के लिए जो रोड बन रहा था उसका काम भी बंद हो गया। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम उसके लिए सरकार से माफी मांगते हैं लेकिन मेवात के चहुंमुखी विकास की ओर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कृपा करें।

पण्डित मूल चंद शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य मोहम्मद इलियास जी को यह कहना चाहूंगा कि पूरे मेवात जिले में जितना विकास हमारी सरकार के समय में हुआ है वह उससे पहले कभी भी नहीं हुआ। मेवात से ही नैशनल लैवल के सड़क और रेल मार्ग के अहम प्रोजैक्ट्स पर कार्य चल रहा है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम पिनगवां में बस स्टैण्ड की फिजीबिलिटी चैक करवा लेंगे और अगर वहां पर बस स्टैण्ड का निर्माण सभी निर्धारित नॉर्म्ज पूर्ण करता होगा तो हमारा विभाग वहां पर जल्दी से जल्दी बस स्टैण्ड का निर्माण करवाने की कार्यवाही शुरू कर देगा। मैं माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहूंगा कि भविष्य में हम मेवात को ज्यादा से ज्यादा नई बसें और अधिक से अधिक बस सर्विस देने का भी काम करेंगे।

मोहम्मद इलियास : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को यही कहना है कि जब गांव बसेगा तभी तो मंगते आयेंगे यानि अगर हमारे पिनगवां में बस स्टैण्ड बनेगा तभी तो बसें आयेंगी और अगर बस स्टैण्ड ही नहीं होगा तो फिर बसें कहां से आयेंगी? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इलियास जी, आपके प्रश्न का जवाब आ गया है इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें।

मोहम्मद इलियास : ठीक है स्पीकर सर। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

————————

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Upgrade Village as Municipal Committee

***1817. Shri Bishamber Singh**: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade village Kharak Kalan of Bawani Khera Assembly Constituency as Municipal Committee; and

(b) if so, the time by which it is likely to be upgraded?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता): नहीं, श्रीमान् जी।

———————

To Hold Draw of Lots For The Plots

***1804. Shri Subhash Gangoli**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to hold draw of lots for the residential plots in Sector-8 and 9 of Safidon; if so, the details thereof togetherwith the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): नहीं श्रीमान् जी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के शहरी सम्पदाओं में आवासीय भूखंडों का आवंटन अब केवल ई–नीलामी के माध्यम से ही किया जाता है, न कि ड्रा के माध्यम से। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर–8 व 9 सफीदों में भी आवासीय भूखंडों की ई–नीलामी निकट भविष्य में की जाएगी।

———————

Number of New Industries in the State

***1722. Shri Balraj Kundu:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

the total number of new industries setup in the State during the last two years togetherwith the total number of youth who have got employment in private industries so far after the implementation of the provision of the Government for 75 percent reservation to local youth in private industries in State togetherwith the district wise details thereof ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): महोदय, राज्य में पिछले 2 वर्षों के दौरान 41107 उद्योग स्थापित किए गए है। जहां तक राज्य में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिषत आरक्षण का प्रावधान लागू होने का संबंध है, **"हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020"** को दिनांक 02.03.2021 को अधिसूचित किया गया है और यह प्रभावी रूप से 15.01.2022 को राज्य में लागू है। इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सभी नियोक्ताओं को अपने मौजूदा कर्मचारियों जिनका सकल मासिक वेतन/ मजदूरी 30,000/–रू0 से अधिक नहीं है, उन्हें अधिनियम के शुरू होने की तारीख 15.01.2022 से तीन महीने की अवधि के भीतर नामित पोर्टल पर पंजीकृत करना आवष्यक है। चूंकि अधिनियम के कार्यान्यवन की पहली तिमाही अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस स्तर पर अधिनियम की धारा 6 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

————————

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Outcome of Haryana Enterprises and Employment Policy 2020

716. Shri Varun Chaudhry: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the outcome of Haryana Enterprises and Employment Policy, 2020 since its inception in State?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): श्रीमान जी, हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2020 में औद्योगिक नीति के तहत हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति (HEEP) की शुरूआत की है। इस नीति का उद्देश्य हरियाणा को एक प्रतिस्पर्धी और पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना, क्षेत्रीय विकास प्राप्त करना, निर्यात में विविधता लाना और लचीले आर्थिक विकास के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना है। हरियाणा उद्यम और रोजगार 2020 नीति 01ण01ण2021 को प्रभावी हुई।

उद्योग और वाणिज्य विभाग ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और बढ़ते निर्यात में सुधार करने के लिए काफी प्रगति की है। राज्य को नए व्यवसायों की स्थापना और विस्तार से संबंधित 24000+ निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विभिन्न निवेशकों जैसे मारूति, ग्रासिम पेंट्स, फ्लिपकार्ट, जीएलएस पॉलीफिल्म्स आदि ने हरियाणा में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है।

हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति (HEEP) ने 5 वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित कार्य मदों को प्रमुख उद्देश्यों के रूप में परिभाषित किया है–

1. 5 लाख नौकरियां उत्पन्न करना ।
2. 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना ।
3. निर्यात को दोगुना करके 2 लाख करोड़ रूपये करना ।
4. कम से कम 100 राज्य विधियों (अधिनियमों, नियमों, और दिशानिर्देशों) का पुनर्मूल्यांकन करना और उन्हें निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल बनाना ।
5. 22 जिलों में आपूर्ति श्रृंखला सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना

उपर्युक्त नीति के उद्देश्यों की वर्तमान प्रगति इस प्रकार है–

1. **5 लाख नौकरियां उत्पन्न करना** – HEEP –2020 के संचालन के पहले वर्ष में, हरियाणा ने मेगा, लार्ज और MSME श्रेणियों में निवेश को आकर्षित किया। मेगा निवेश श्रेणी के तहत प्रस्तावित रोजगार सृजन 31,386 है। (अनुलग्नक–1)

2. **1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना** – HEEP –2020 के संचालन के पहले वर्ष में, हरियाणा ने 23,204 करोड रुपये के निवेश प्रस्तावों को आकर्षित किया। जिसमें मेगा (अनुलग्नक –1), लार्ज और MSMEs शामिल हैं।

3. **निर्यात को दोगुना करके 2 लाख करोड़ रूपये करना** – हरियाणा में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, राज्य ने HEEP & 2020 में निर्यात प्रोत्साहन के तहत अतिरिक्त छूट दी है। हरियाणा ने जनवरी 2021 से सितंबर 2021 के दौरान 5000 वस्तुओं में 36.89ः की वृद्धि (जनवरी '20– सितंबर '20 की तुलना में) के साथ 80,400 करोड रुपये के माल का निर्यात किया। वर्ष 2021 के अंत तक हरियाणा से यह निर्यात 107,200 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। 2021–22 का सेवा निर्यात डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि , वर्ष 2020–21 में, हरियाणा से कुल वार्षिक सेवाओं का निर्यात 88,840 करोड रुपये है।

4. **कम से कम 100 राज्य विधियों (अधिनियमों, नियमों, और दिशानिर्देशों) का पुनर्मूल्यांकन करना और उन्हें निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल बनाना**– 2020–21 में, भारत सरकार के ''न्यूनतम नियामक अनुपालन बोझ'' की परियोजना के तहत, हरियाणा ने व्यवसायों के लिए 450 बोझिल अनुपालनों को कम किया है, और इस प्रकार से व्यवसाय को और अधिक आसान बना दिया है।

5 **22 जिलों में आपूर्ति श्रृंखला सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना –** हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में आपूर्ति श्रृंखला सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए Programme to Accelerate Development for MSME Advancement (PADMA) कार्यक्रम शुरू किया है। PADMA का उद्देश्य हरियाणा के 22 जिलों के सभी 140 ब्लॉकों तक, ब्लॉक स्तर पर एक ''विशिष्ट उत्पाद'' के अनुरूप एक गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढाँचा बनाना है।

आईएमटी सोहना में 500 एकड़ से अधिक भूमि पर एक ''इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर'' आ रहा है। पार्क को संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के तहत भारत सरकार के समर्थन से स्थापित किया जा रहा है, और इसमें औद्योगिक भूखंड, तैयार कारखाने, अच्छी तरह से सुसज्जित टूल रूम, स्टार्ट–अप सुविधा केंद्र, गोदाम, कौशल विकास केंद्र और विभिन्न उद्योग प्रतिभागियों के लिए अपने स्वयं के संचालन को स्थापित करने के लिए आवश्यक अन्य समर्थन बुनियादी ढांचे शामिल होंगे।

खरखोदा (सोनीपत) के पास लगभग 3,218 एकड़ भूमि का एक अत्याधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक टाउनशिप और सोहना में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) 1545 एकड़ से अधिक में आ रहा है।

HEEP & 2020 से संबंधित अन्य प्रयास –

कारोबार में सुगमता

सरकार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), भारत सरकार द्वारा कारोबार में सुगमता में सुधार के लिए अनिवार्य सुधारों को क्रार्यान्वित करने में सक्रिय रही है। हरियाणा ने राज्य सुधार कार्य योजना के तहत 301 सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया। क्च्प्प्ज द्वारा अब तक 99.3ः सुधार बिंदुओं को मंजूरी दी गई है।

रसद सुधार

सरकार राज्य में लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। रसद क्षेत्र की उत्कृष्टता और दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने राज्य रसद समन्वय समिति और राज्य रसद समन्वय सेल का गठन किया है जो सभी रसद संबंधित हितधारकों को एक मंच पर लाता है। सरकार के प्रयासों के

परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों के लॉजिस्टिक्स ईज ;स्म्।वैद्ध इंडेक्स में राज्य के रैंक में सुधार हुआ है। हरियाणा ने स्म्।वै 2021 रिपोर्ट के तहत भारत में लॉजिस्टिक्स की सुगमता में दूसरा स्थान हासिल किया।

नीति आउटरीच

HEEP 2020 नीति को बढ़ावा देने और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही औद्योगिक स्वीकृति से संबंधित डिजिटल सेवाओं के बारे में निवेशकों को जागरूक करने के लिए सरकार ने सभी 22 जिलों में निवेशक कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

HEEP 2020 एक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करके एक समग्र औद्योगिक वातावरण बनाने की इच्छा रखता है जिसमे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं के बराबर और उससे भी अधिक हो। यह न केवल राज्य में स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र को गति प्रदान करेगा बल्कि हरियाणा को वैश्विक निवेश केंद्र बनने में भी मदद करेगा। घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह नीति सही दिशा में है।

अनुलग्नक– 1

हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020 के तहत प्रस्तावित मेगा परियोजनाएंः–

क्र. सं.	कंपनी का नाम	जिला	प्रस्तावित रोजगार	प्रस्तावित निवेश (रु. करोड़)
1	इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	गुरुग्राम	13,286	1,389
2	जीएलएस पॉलीफिल्म्स	रेवाड़ी	600	650
3	जेबीएम इलेक्ट्रिक वाहन	पलवल	7,000	637.79
4	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	पानीपत	500	1,140
5	मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड	सोनीपत	10,000	18,000
कुल			31,386	21,816.79

––––––––––

Details of Installed Street Lights

736. Shri Neeraj Sharma: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the wardwise details of Street Lights and High Mask Lights installed by the Government from the year 2014 to December, 2021 in Faridabad City?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता): नगर निगम फरीदाबाद द्वारा 2014 से 2021 तक लगाई गई स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क लाइट का वार्ड वार विवरण इस प्रकार है–

वार्ड न0	हाई मास्ट पोल	फ्लड लाइट पॉइंट	एल0ई0डी0 प्वाइंट
1.	3	24	1363
2.	14	0	1526
3.	2	3	1162
4.	4	0	1397
5.	5	0	1213
6.	17	3	750
7.	6	3	1297
8.	7	18	1215
9.	8	39	1401
10.	22	54	1318
11.	18	0	1523
12.	3	0	1725
13.	0	0	1105
14.	4	0	1170
15.	0	0	1719
16.	13	6	1398
17.	3	0	1308
18.	0	0	936
19.	4	0	2076
20.	1	0	1247
21.	3	0	694
22.	13	0	4669
23.	4	0	1961
24.	0	0	1544
25.	2	0	1220
26.	8	0	2114
27.	28	0	2662
28.	0	0	1448
29.	0	0	1333

30.	0	0	1819
31.	0	0	2168
32.	0	0	2382
33.	1	0	2466
34.	0	0	1460
35.	9	0	1451
36.	3	0	1769
37.	4	0	2517
38.	2	0	1806
39.	0	0	1457
40.	0	0	2225
कुल	**211**	**150**	**66014**

————————

To Develop HUDA Sector

807. Shri Amit Sihag: Will the Chief Minister be pleased to state the time by which a new HUDA Sector is likely to be developed in Dabwali Assembly Constituency togetherwith the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): हाँ, श्रीमान् जी, आवासीय सैक्टर–6 (पार्ट), 9 (पार्ट), एवं सैक्टर–10, डबवाली विकसित करने के लिए पहले से अधिग्रहित 197.90 एकड़ भूमि का प्रस्ताव एच0एस0वी0पी0 में विचाराधीन है। जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग से आवंटियों के लिए पेयजल की उपलब्धता होने पर निविदा आवंटन होने के बाद सैक्टर के विकास में लगभग 3 साल का समय लगेगा।

————————

To Lay Down the Sewerage Line

685. Dr. Krishan Lal Middha: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) the details of the phases of work which have been completed to lay down the sewerage line from Ahirka STP to Kalwa Kinana drain in Jind city togetherwith the time by which the said work was likely to be completed according to DNITE; and

(b) whether it is a fact that the Agency has not completed the abovesaid work on time; if so, the action taken by the Government against the Agency so far ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) 5 एम.एल.डी. मल शोधन संयत्र (अहिरका) से कालवा किनाना रोड ड्रेन तक उपचारित अपशिष्ट के निस्तारण के लिए दिनांक 18.09.2019 को मैसर्ज जैन इरिगेश्न् को 1600.00 लाख रुपये की राशि का एक कार्य आबंटित किया गया था जिसकी समय सीमा 12 माह की थी। तदानुसार उक्त कार्य को 30.09.2020 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था। एच.डी.पी.ई. सीवर लाइन बिछाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और शेष कार्य जैसे इनलैट कनैक्शन, आउटलेट कनैक्शन, गैन्ट्रि, रेलिंग और अन्य विद्युत व यांत्रिक कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य 31.05.2022 तक पूरा होने की संभावना है।

(ख) हां, एजेन्सी ने अनुबंध के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर उक्त कार्य को पूर्ण नही किया गया, जिसके लिए अनुबंध के कलौज–2 के अनुसार एजेन्सी के विरूद्व 160.00 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

———————

To Construct Sports Stadium in School

797. Shri Sita Ram Yadav: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is no Sports Stadium in the Secondary School of village Navdi of Ateli Assembly Constituency; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the abovesaid Sports Stadium for which the Panchayat is ready to provide land togetherwith the time by which it is likely to be constructed?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

————————

Details of Adulterated Food Samples

744. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Deputy Chief Minister be pleased to State-

(a) the districtwise details of the samples of food found adulterated by the Government in State from April, 2016 till to date;

(b) the number of cases registered for abovesaid adulterated samples togetherwith the year wise number of accused sentenced to imprisonment; and

(c) the districtwise targets set by the Government for taking food samples in State during the abovesaid period togetherwith the reasons for not achieving that targets alongwith the action taken by the Government for not achieving the said targets?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): (क) एंव (ख) श्रीमान जी, एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

(ग) प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए प्रति माह खाद्य नमूनें लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खाद्य एंव औषधि प्रशासन विभाग ने अपने संबंधित जिले से खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रति माह 30 खाद्य नमूनें लेने का लक्ष्य दिनांक 07.03.2012 द्वारा निर्धारित किया गया था जिसे पत्र दिनांक 18.09.2018 द्वारा स्पष्ट किया गया है। परन्तु इस मामले पर केन्द्रीय सलाहकार समिति (भारत सरकार) में नियमित रूप से चर्चा की गई और देखा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कई अन्य कर्तव्यों का पालना करना पडता है जैसे कि अदालती मामलों में भाग लेना, अतिरिक्त उपायुक्त न्यायालय में अधिनिर्णयन (adjudication cases) मामलों के निपटान हेतू भाग लेना, निरीक्षण करना, जागरूकता के लिए कार्यशालाएं लगवाना, औचक निरीक्षण करना, विशेष अभियान चलाना, वी0वी0आई0पी0 डियूटीज करना, खाद्य कारोबारकर्ताओं के पंजीकरण करना और संबंधित राज्यो में खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 को लागू कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बहुत सी योजनाओं को बढावा देना होता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्राधिकरण, भारत सरकार ने प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रति माह 08 से 14 खाद्य नमूने लेने की सलाह दी है।

खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त किये गये लक्ष्यों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है:–

विवरण

वर्ष	हरियाणा राज्य के लिए खाद्य नमूनो का लक्ष्य	हरियाणा राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गये खाद्य नमूने	% कमी (-)/ अधिकता (+)
2016—17	——	2217	खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्राधिकरण द्वारा लक्ष्य निर्धारित नही किये गये।
2017—18	——	2545	खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्राधिकरण द्वारा लक्ष्य निर्धारित नही किये गये।
2018—19	3500	2992	(-) 14.6
2019—20	3000	2409	(-) 20
2020—21	1500	2547	(+) 69

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अत्यधिक कमी के कारण हरियाणा राज्य में खाद्य एंव औषधि प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त नही किये जा सकें। खाद्य नमूनों के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 11 पदों पर अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर लेकर भरा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा वर्ष 2020—21 में खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्राधिकरण, भारत सरकार निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि अब हरियाणा राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे है। फिर भी, विभाग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 41 रिक्त पदों का मांग पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा हुआ है, जो विचाराधीन है।

————————

Details of Roads Constructed by PWD

768. Shri Abhay Singh Chautala: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of roads constructed/repaired by the Government in Ellenabad Assembly Constituency from January, 2021 till to date;

(b) whether any financial assistance has been received from any private organization, particular person or helping group etc. for construction/maintenance/repair of abovesaid roads; and

(c) if so, the details thereof ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): (क) ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र मे जनवरी, 2021 से अब तक लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा कुल 10 सड़कों की मरम्मत का कार्य किया गया है, विवरण सलंग्न है।

विवरण

क्र0सं0	सड़क का नाम	सड़क की लम्बाई (कि0मी0 में)	परिवहन मार्ग (मीटर में)	स्वीकृत राशि (रूपये लाखों में)
1	जिला सिरसा में गुसाईयाना से कछुआना सड़क के चौड़ा व सुदृढीकरण का कार्य। (रोड़ आई डी 5853) कि0मी0 0.00 से कि.मी. 3.00	3.00	5.5	145.38
2	जिला सिरसा में बाईपास ऐलनाबाद, सिरसा ऐलनाबाद सड़क से ऐलनाबाद हनुमनगढ टिब्बी सड़क तक सुदृढीकरण का कार्य। (रोड़ आई डी 5909) कि0मी0 0.00 से 3.90	3.90	7.0	79.27
3	जिला सिरसा में अरनियांवाली से निर्बाण सड़क के चौड़ा व सुदृढीकरण का कार्य। (रोड़ आई डी 9610) कि0मी0 0.00 से 0.64, 0.84 से 1.10, 1.48 से 5.60 (मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 24719 दिनांक 10.01.2019)	4.48	5.5	217.42
4	जिला सिरसा में ऐलनाबाद से जीवननगर सड़क समयबद्ध नवीनीकरण 30 एम.एम. बी.सी. द्वारा। (रोड़ आई डी 5897 व 5898) कि0मी0 0.00 से कि.मी. 13.20	13.20	5.5	193.91
5	जिला सिरसा में ऐलनाबाद से धोलपालिया वाया ढाणी नाईयां सड़क के चौड़ा व सुदृढीकरण का कार्य (पीएमजीएसवाई –।।। बेच – 1 कि0मी0 0.00 से 10.175	10.17	5.5	687.72
6	जिला सिरसा में शहिदावाली से जोगीवाला, राजस्थान सीमा तक वाया धिंगतानियां, अरनियांवाली, रंधावा, रूपाना खुर्द, लुदेसर, हंजीरा, रामपुरा ढिल्लों, गुसाईआना, खेड़ी , कुम्हारिया ,कागदाना, रामपुरा बागड़िया, चाहरवाला सड़क के चौड़ा व सुदृढीकरण का कार्य।(पीएमजीएसवाई	32.36	5.5	2247.46

	–।।। बेच – 1) कि0मी0 0.00 से 36.00			

7	जिला सिरसा में डिंग से चाहरवाला वाया माखोसरानी, शकरमंदोरी सड़क के चौड़ा व सुदृढीकरण का कार्य।(पीएमजीएसवाई –।।। बेच – 1) कि0मी0 0.00 से 25.52	25.52	5.5	1250.13
8	जिला सिरसा में तलवाड़ा से कुताबढ वाया थोपरिया, बुढीमेड़ी, पटटी कृपाल, हमायु खेड़ा रत्ता खेड़ा सड़क के चौड़ा व सुदृढीकरण का कार्य।(पी.एम.जी.एस. वाई. –।।। बेच – 1) कि0मी0 0.00 से 3.56	3.56	5.5	241.19
9	जिला सिरसा में ढाणी जाटान से बुढीमेड़ी वाया खारी सुरेंरा, मिटठी सुरेंरा, ममेरा सड़क के चौड़ा व सुदृढीकरण का कार्य।(पी.एम.जी.एस.वाई. –।।। बेच – 1) कि0मी0 0.00 से 5. 945	5.95	5.5	444.67
10	जिला सिरसा में दड़बा रूपाना से बकरियांवाली सड़क के चौड़ा व सुदृढीकरण का कार्य। (नाबार्ड –26 वर्श 2020–21) कि0मी0 0.00 से 0.56, 1. 01 से 9.50 (रोड़ आई डी 5849)	9.05	5.5	525.23
	कुल	**111.19**	**-**	**6032.38**

(ख) नहीं, श्रीमान।

(ग) इसलिए इस भाग का कोई प्रश्न नहीं उठता।

———————

To Reconstruct the Minor

803. Shri Gopal Kanda: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the amount of rupees 123 Lacs has been sanctioned by the NABARD to reconstruct the New Mochi Wali Minor of Sirsa Assembly Constituency which is 35 year old and is damaged but its work has not been started so far; and

(b) if so, the time by which it is likely to be reconstructed ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):

(क) नहीं श्रीमान जी, यह परियोजना अनुमोदन के लिए नाबार्ड को प्रस्तुत की गई है लेकिन अभी तक स्वीकृत नही हुई है।

(ख) नाबार्ड से परियोजना को मंजूरी मिलते ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

———————

To Reconstruct the Buildings of Health Centres

783. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the buildings of Health Centres in villages Kandha and Rudrol of Badhra Assembly Constituency are dilapidated and there is also shortage of Doctors and Health workers in abovesaid Health Centres; and

(b) if so, the time by which the abovesaid buildings are likely to be reconstructed/renovated togetherwith the shortage of staff is likely to be met out?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): (क) श्रीमान जी, गांव रूदरोल में कोई उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। कांधा में उप स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत के भवन में चल रहा है जो जर्जर अवस्था में नहीं है। उप स्वास्थ्य केन्द्र कांधा में नार्म अनुसार सभी स्वीकृत अमला नियुक्त है।

(ख) ग्राम पंचायत से भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानांतरित होने उपरान्त कांधा में उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। इस उप स्वास्थ्य केन्द्र में अमले की कमी नहीं है।

——————

Number of Beneficiaries under Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna

717. Shri Varun Choudhry: Will the Welfare of SCs/BCs Minister be pleased to state the district wise number of total applicants and the number of beneficiaries who got the benefit of Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna before the date of marriage or on the date of marriage in their respective accounts in the last two years?

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल): श्रीमान जी, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में प्राप्त आवेदनों तथा लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार से है:–

विवरण

1. वित्तीय वर्ष 2020–2021

क्रं0 सं0	जिले का नाम	कुल प्राप्त आवेदन पत्र	उक्त स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या जिन्हे शादी से पहले या शादी की तारीख पर लाभ दिया गया है (कॉलम 4 में दिखाए गए लाभार्थियों में से)
1	2	3	4	5
1	अम्बाला	2314	1796	89
2	भिवानी	1902	1904	15
3	चरखी दादरी	722	581	54
4	फरीदाबाद	1030	571	118
5	फतेहाबाद	2131	1850	509
6	गुड़गांव	1177	794	714
7	हिसार	2334	1779	450
8	झज्जर	1543	1268	0
9	जीन्द	1633	1448	324
10	कैथल	2099	1675	359
11	करनाल	2721	2003	0
12	कुरूक्षेत्र	2858	2582	773
13	नूंह	872	850	496
14	नारनौल	1619	1496	0
15	पंचकूला	424	403	28
16	पलवल	2006	1721	0
17	पानीपत	1274	1006	443
18	रिवाड़ी	1881	1068	41
19	रोहतक	1506	1294	02
20	सिरसा	2507	2094	793
21	सोनीपत	1900	1407	291
22	यमुनानगर	2751	2488	1806
	कुल	**39204**	**32082**	**7310**

वित्तीय वर्ष 2021–2022 (दिनांक 31.01.2022 तक)

क्रं0 सं0	जिले का नाम	कुल प्राप्त आवेदन पत्र	उक्त स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या जिन्हे शादी से पहले या शादी की तारीख पर लाभ दिया गया है (कॉलम 4 में दिखाए गए लाभार्थियों में से)
1	2	3	4	5
1	अम्बाला	2189	1521	885
2	भिवानी	1757	1179	163
3	चरखी दादरी	678	394	11

4	फरीदाबाद	975	383	170
5	फतेहाबाद	1790	1199	286
6	गुड़गांव	810	538	460
7	हिसार	2318	1250	288
8	झज्जर	1206	1163	494
9	जीन्द	1734	828	379
10	कैथल	1910	1534	350
11	करनाल	2383	1973	487
12	कुरूक्षेत्र	2930	1811	817
13	नूंह	856	239	117
14	नारनौल	1605	817	161
15	पंचकूला	443	299	32
16	पलवल	1665	636	0
17	पानीपत	1277	845	334
18	रिवाड़ी	1739	918	153
19	रोहतक	1486	1024	156
20	सिरसा	2041	1492	550
21	सोनीपत	1726	1450	556
22	यमुनानगर	2534	1990	575
कुल		**36052**	**23483**	**7424**

————————

To Construct the Road

737. Shri Neeraj Sharma: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state–

(a) whether it is a fact that the road from village Dhauj to village Tikri Khera in Faridabad is in very bad condition; and

(b) if so, the time by which the said road is likely to be constructed ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): (क) जी हाँ श्रीमान्, इस सड़क पर मरम्मत की आवश्यकता है;

(ख) सड़क की विशेष मरम्मत का कार्य 31.07.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

————————

Number of Beneficiaries under PMAY

808. Shri Amit Sihag: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the year wise and Assembly Constituency wise number of BPL card holders who have received funds under the Pradhan Mantri Awas Yojana since 2014 in district Sirsa?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता): श्रीमान् जी, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों, जिनके पास भारत के किसी भी हिस्से में पक्का घर नही है, को उनकी बी.पी.एल. स्थिति को ध्यान में न रखकर, घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत ऐसे लाभार्थियों जिनके पास सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणना–2011 के अनुसार 0, 1 व 2 कमरे का कच्चा मकान है, को उनकी बी.पी.एल स्थिति ध्यान में न रखकर, आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। सिरसा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के दोनों घटकों के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त बी.पी.एल. कार्ड धारकों की विधानसभा क्षेत्र–वार संख्या निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) के अंतर्गत सहातया प्राप्त बी.पी.एल. व्यक्तियों की संख्या
1.	ऐलनाबाद	198
2.	कालांवाली	299
3.	डबवाली	96
4.	रानियां	218
5.	सिरसा	189
	कुल	**1000**

————————

Renovation of Sewerage Treatment Plant

686. Dr. Krishan Lal Middha: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the time by which the renovation work of 15 MLD sewerage treatment plant (STP) situated at Hansi road in Jind was likely to be completed togetherwith the action taken by the Government against the Agency for not completing the abovesaid work on time;

(b) the time by which the disposal points for the sewerage system in Joginder Nagar-Loco Colony-Amethi-Rohtak road were likely to be constructed; and

(c) whether it is a fact that the company has left the abovesaid work incompleted; if so, the action taken by the Government against the Agency ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) हांसी रोड, जींद पर स्थित 15 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के नवीनीकरण/उन्नयन के लिए 840.00 लाख रुपये की लागत का कार्य मैसर्ज शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी जींद को 11.05.2018 को 15 महीने की समय अवधि के साथ आबंटित किया गया था। तदानुसार, उक्त कार्य को दिनांक 15.08.2019 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था। हांलांकि, एजेंसी ने अनुबंध के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर उक्त कार्य को पूर्ण नही किया गया, जिसके लिए अनुबंध के क्लौज–2 के अनुसार एजेंसी के विरूद्ध 84.00 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

(ख) जोगिन्द्र नगर–लोको कॉलोनी–अमेठी–रोहतक रोड के निस्तारण के लिए, 926.84 लाख रुपये की राशि का कार्य डिकाडला सहकारी समिति लिमिटेड को 16.11.2017 को आबंटित किया गया था, जिसकी समय सीमा 18 माह थी जो कि 24.11.2017 से शुरू होनी थी। तदानुसार, उक्त कार्य को दिनांक 23.05.2019 तक पूर्ण किया जाना था व उक्त समय सीमा को 31.12.2020 तक बढ़ा दिया गया था।

(ग) एजेंसी ने निर्धारित समय के अन्दर उक्त कार्य को पूर्ण नही किया, जिसके लिए अनुबंध के क्लौज–2 के अनुसार एजेंसी के विरूद्ध 92.68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। अब एजेंसी ने उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए 18.02.2022 को अपनी सहमति दी है व उक्त कार्य 31.08.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

————————

To Construct Boundary Wall of School

798. Shri Sita Ram Yadav : Will the Education Minister be pleased to state Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the boundary wall of Primary School of village Navdi of Ateli Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be constructed?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): हां, श्रीमान जी राजकीय प्राथमिक पाठशाला, नावदी में चारदीवारी के निर्माण के लिए 770000/– की स्वीकृति जारी की गयी है। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्ण कर लिया जाएगा।

————————

Repair of Roads

745. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Deputy Chief Minister be pleased to State-

(a) whether it is a fact that the following link roads of Gohana Assembly Constituency are in very bad condition:-

(i) Juan to Machhari;

(ii) Juan to Mohana;

(iii) Salarpur Majra to Pinana;

(iv) Salarpur Majra to Naina Tatarpur;

(v) Guhna to Salimsar Majra;

(vi) Kailana Khas to Khanpur Kalan;

(vii) Salimpur Trauli to Chatia;

(viii) Bohla to Rolad;

(ix) Kasanda to Kakana;

(x) Jagsi to Gohana Sonepat Road Links; and

(b) if so, the time by which these are likely to be repaired?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : सड़कों की स्थिति इस प्रकार हैः–

(i) **जुआं से माछरी (आई.डी–2550)**:– यह हरियाणा राज्य कृषि विप्पणन बोर्ड की मौजूदा सड़क है, जिसकी लंबाई 3.36 किलोमीटर है। इस सड़क की अंतिम विशेष मरम्मत 25.04.2017 को की गई थी। इस सड़क पर पैच वर्क 31.03.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ii) **जुआं से मोहाना (आई.डी–2583)**:– यह हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मौजूदा सड़क है, जिसकी लंबाई 3.16 किलोमीटर है। नवंबर, 2017 के दौरान इस सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया था। इस सड़क पर पैच वर्क 31.03.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(iii) **सालारपुर माजरा से पिनाना (आई.डी–2553)**:– यह हरियाणा राज्य कृषि विप्पणन बोर्ड की मौजूदा सड़क है, जिसकी लंबाई 1.85 किलोमीटर है। इस सड़क की अंतिम विशेष मरम्मत दिसम्बर, 2015 के दौरान की गई थी। इस सड़क की विशेष मरम्मत के लिए 42.37 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति

दिनांक 28.02.2022 को प्रदान की गई है, इस सड़क की विशेष मरम्मत का कार्य 30.09.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(iv) **सालारपुर माजरा से नैना ततारपुर (आई.डी–2569):–** यह हरियाणा राज्य कृषि विप्पणन बोर्ड की मौजूदा सड़क है, जिसकी लंबाई 2.50 किलोमीटर है। इस सड़क की अंतिम विशेष मरम्मत नवंबर, 2015 के दौरान की गई थी। इस सड़क पर पैच वर्क 31.03.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(v) **गुहना से सालीमसर माजरा (आई.डी–4970):–** यह हरियाणा राज्य कृषि विप्पणन बोर्ड की मौजूदा सड़क है, जिसकी लंबाई 3.72 किलोमीटर है। इस सड़क की अंतिम विशेष मरम्मत मार्च, 2021 के दौरान की गई थी और सड़क दोष दायित्व अवधि के अंतर्गत है। समय बीतने के साथ, इस सड़क पर कुछ खड्डे विकसित हो गए हैं। पैच वर्क 31.03.2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(vi) **केताना खास से खानपुर कलां (आई.डी–4963):–** यह हरियाणा राज्य कृषि विप्पणन बोर्ड की मौजूदा सड़क है, जिसकी लंबाई 2.52 किलोमीटर है। इस सड़क की अंतिम विशेष मरम्मत नवंबर, 2020 के दौरान की गई थी और सड़क दोष दायित्व अवधि के अंतर्गत है। समय बीतने के साथ, इस सड़क पर कुछ खड्डे विकसित हो गए हैं। पैच वर्क 31.03.2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(vii) **सलीमपुर तरौली से चेतिया (आई.डी–6652):–** यह हरियाणा राज्य कृषि विप्पणन बोर्ड की एक मौजूदा सड़क है, जिसकी लंबाई 2.17 किलोमीटर है। इस सड़क का निर्माण जुलाई, 2018 के दौरान किया गया था। समय बीतने के साथ, इस सड़क पर कुछे खड्डे विकसित हो गए हैं। पैच वर्क 31.03.2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(viii) **बोहला से रोलद (आई.डी–4971):–** यह हरियाणा राज्य कृषि विप्पणन बोर्ड की एक मौजूदा सड़क है, जिसकी लंबाई 1.82 किलोमीटर है। इस सड़क की अंतिम विशेष मरम्मत दिसंबर, 2016 के दौरान की गई थी। समय बीतने के साथ, इस सड़क पर कुछ खड्डे विकसित हो गए हैं। इस सड़क पर पैच वर्क 31.03.2022 तक पूरा होने की संभावना है।

(ix) **कासन्डा से ककाना (आई.डी–6493):–** यह हरियाणा राज्य कृषि विप्पणन बोर्ड की एक मौजूदा सड़क है, जिसकी लंबाई 2.97 किलोमीटर है। इस सड़क

का निर्माण नवंबर, 2015 के दौरान किया गया था। इस सड़क की विशेष मरम्मत के लिए 57.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 28.02.2022 को प्रदान की गई है। इस सड़क की विशेष मरम्मत का कार्य 31.10.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(x) **जागसी से गोहाना सोनीपत योजक सड़क (आई.डी–6142) :–** गोहाना विधानसभा क्षेत्र में जागसी से गोहाना सोनीपत रोड तक ऐसा कोई लिंक रोड नहीं है। हालांकि, गोहाना निर्वाचन क्षेत्र में गढ़ी जाजी से गोहाना सोनीपत रोड तक 2.00 किमी की लंबाई वाली एक सड़क मौजूद है। इस सड़क की पक्की चौड़ाई 3.66 मीटर है। वर्क प्रोग्राम 2015–16 में 150 एम.एम. डब्ल्यू.बी.एम. + 20 एम.एम. पी.सी. द्वारा इस सड़क को मजबूत किया गया था। इस कार्य की दोष दायित्व अवधि 08/2021 में समाप्त कर दी गई थी। यह सड़क चलने योग्य स्थिति में है। पैचवर्क द्वारा नियमित रूप से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है। इस सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए अनुमान तैयार किया जा रहा है तथा इसे सरकार की सड़क अनुरक्षण नीति एवं वित्त की उपलब्धता के अनुसार सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा। इसलिए, इस समय कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

Details of loans

778. Shri Abhay Singh Chautala: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total amount of loans taken by the Government from the year 2014 to 2019 and year 2019 till to date togetherwith the name of the organization from which the said loans have taken; and

(b) the amount of loan incurred for payment of installments togetherwith the extent of amount which have been spent on development works in State during the abovesaid period alongwith the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) हरियाणा राज्य द्वारा वर्श 2014 से वर्श 2019 तक विभिन्न एजेंसियो/संगठनों से सरकार द्वारा लिए गए ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है:–

(₹ करोड़)

क्र0सं0	वर्ष	ऋण राशि
1.	2014.15	18858.75
2.	2015.16	37998.43 रु
3.	2016.17	28169.52 /
4.	2017.18	21489.76
5.	2018.19	34264.97

2019 से आज तक विभिन्न एजेंसियों से सरकार द्वारा लिए गए ऋणों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1.	2019.20	44431.82
2.	2020.21	49464.72
3.	2021.22 (संशोधित अनुमान)	46499.99

नोटः– रु इसमें 17,300.00 करोड़ रूपये उदय ऋण के षामिल हैं। / इसमें 8650.00 करोड़ रूपये उदय ऋण के षामिल हैं।

उपरोक्त में यह ऋण शामिल हैः

1. भारतीय रिर्जव बैंक के माध्यम से राज्य के विकास के लिए ऋण।
2. राष्ट्रीय कृशि और ग्रामीण विकास बैंक व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड के माध्यम से लिया गया ऋण।
3. भारतीय रिर्जव बैंक व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से मुद्रा ऋण।
4. राश्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विषेश प्रतिभूतियां।
5. बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं ऋण–ब्लॉक ऋण।
6. उदय बॉड।
7. अर्थोपाय अग्रिम।

इस अवधि के दौरान विभिन्न एजेंसियों/संगठनों से लिए गए ऋणों का विवरण अनुलग्नक–1 पर है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिए गए ऋणों की अदायगियों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(₹ करोड़)

क्र0सं0	वर्ष	मूलधन	ब्याज	कुल
1.	2014.15	8227.41	5999.45	14226.86

2.	2015.16	7214.68	7303.69	14518.37
3.	2016.17	5275.84	9528.73	14804.57
4.	2017.18	6338.85	10706.83	17045.68
5.	2018.19	17183.87	12128.69	29312.56
6.	2019.20	15775.51	14011.83	29787.34
7.	2020.21	29497.60	15557.15	45054.75
8.	2021.22 (संषोधित अनुमान)	28161.73	17689.80	45851.53

कुछ लिए गए ऋण जैसे कि नैगोसिएटिड ऋण, नकदी ऋण सीमा, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं ऋण, बंधित ऋण है, जबकि राज्य विकास ऋण व अर्थोपाय अग्रिम अबंधित ऋण हैं। बंधित ऋण विषिश्ट परियोजनाओं, जबकि अबंधित ऋण राज्य की विभिन्न गतिविधियों पर खर्च किया जाता है, जिसमें विकास कार्यों का खर्च भी शामिल है।

अनुलग्नक–1

(रुपये करोड़ में)

क्र0 सं0	एजेंसियों/संगठनों के नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (संशोधित अनुमान)
1.	भारतीय रिर्जव बैंक (आर0बी0आई0)	13200.00	14099.99	15800.00	16718.97	21265.00	24676.85	30000.00	30820.00
2.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1078.92	1000.00
3.	भारतीय स्टेट बैंक (एस0बी0आई0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6449.60	12560.00
4.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन0सी0डी0सी0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6651.05	524.00
5.	मुआवजा तथा अन्य बॉड (उदय बॉड)	0.00	17300.00	8650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण (एन0सी0आर0पी0बी0)	4102.79	4641.45	3412.39	4525.43	12344.13	18275.07	183.15	164.00
7.	राष्ट्रीय लघु बजट कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ (एन0एस0एस0एफ0)	1251.31	1721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	अन्य ऋण	173.89	138.36	183.87	104.35	25.98	115.76	0.00	0.00
9.	भारत सरकार (ई0ए0पी0)	130.76	97.23	123.26	141.01	124.83	102.39	124.68*	215.00
10-	भारतीय रिर्जव बैंक (अर्थोपाय अग्रिम)	0.00	0.00	0.00	0.00	505.03	1261.75	4977-33	1216.99
Total		**18859**	**37998**	**28170**	**21490**	**34265**	**44432**	**49465**	**46500**

* जीएसटी शार्टफाल के बदले बैंक–टू–बैंक लोन रूपये 4352/– करोड रूपये शामिल नहीं है।

स्त्रोतः– बजट दस्तावेज एवं वित्त लेखे महालेखाकार (लेखा0 एवं हक0), हरियाणा।

To Regularize the Unauthorized Colonies

804. Shri Gopal Kanda: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the unauthorized Colonies in Sirsa city; and

(b) if so, the time by which the abovesaid colonies are likely to be regularized?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ० कमल गुप्ता): (क) श्रीमान, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अपने पोर्टल पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएषन और डेवलपर्स से आवेदन आमंत्रित किए थे और राज्य में लगभग 1300 कॉलोनियों के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 845 कॉलोनियां नगरपालिकाओं की सीमा में आती हैं।

(ख) नगर परिषद, सिरसा से सिरसा शहर में अनाधिकृत कॉलानियों को नियमित करने के लिए अभी तक काई विषिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। नगर परिषद, सिरसा से इस तरह का प्रस्ताव प्राप्त होते ही जारी दिषा–निर्देषों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

———————

To Upgrade the Veterinary Dispensaries as Veterinary Hospitals

784. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the veterinary dispensaries of the villages Kari-Rupa, Naurangabad Rajputan and Bass of Badhra Assembly Constituency as Veterinary hospitals togetherwith the details thereof?

पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): श्रीमान् जी, नहीं।

———————

Haryana Solar Power Policy, 2016

718. Shri Varun Choudhry: Will the New and Renewable Energy Minister be pleased to state the action by the Government on Haryana Solar Policy, 2016 togetherwith the details of megawatt level

projects/solar park established by the Government in the State alongwith their capacity?

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह): महोदय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने 2016 में हरियाणा सौर नीति अधिसूचित की है। यह नीति संशोधन के लिए विचाराधीन है।

नीति के तहत, राज्य में 191.1 मेगावाट की कुल क्षमता की 21 मेगावाट स्तर की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित किया गया है (सूची संलग्न है) । साथ ही,विभाग द्वारा 310 मेगावाट की कुल क्षमता के सौर पार्कों की स्थापना के लिए 06 निजी उद्यमियों को एन.ओ.सी. जारी की गई है (सूची संलग्न है)।

निजी उद्यमियों द्वारा सौर पार्क की स्थापना के लिए फरवरी, 2022 में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही, मेगावाट स्तर की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए संशोधित दिशा निर्देश विचाराधीन है।

LIST OF INSTALLED GROUND MOUNTED SOLAR POWER PROJECTS

Sr. No.	Installer Firm	Site Address	Capacity (MW)	Year of Installation
1	Panipat Thermal Power Plant	Panipat	10	2016-17
2	M/s Ultimate Sun Systems (P) Ltd.,	Bhakhri, Mahendergarh,	1	2016-17
3	M/s Subhash Infra Engineers (P) Ltd.	Khatoti, Mahendergarh	1	2016-17
4	M/s JBM Solar (P) Ltd.,	Barwa, Bhiwani,	20	2017-18
5	M/s Balarch Energy (P) Ltd.		1	2017-18
6	M/s Orbit Resorts Limited, Gurgaon	V. Balasar, Sirsa	7.5	2019-20
7	M/s Merino Panel Products Ltd, Jhajjar, Haryana,	V. Budak, Hisar	5	2019-20
8	M/s Asain paints Limited, Mumbai, Maharashtra	V. Bhera, Bhiwani,	5	2019-20
9	M/s L R Energy, New Delhi	V. Dudhiawali, Sirsa,	10	2019-20
10	M/s Goodrich Carbohydrates ltd., Karnal	Rays Power Expert Solar Park, Vill. Rupana, Siwani, Distt. Bhiwani	2.5	2019-20
11	M/s Blow Packaging (India) Pvt Ltd., 55-D Chennai	-DO-	1.3	2019-20
12	M/s Kamna Industries pvt ltd., Soneapt Haryana	-DO-	0.3	2019-20
13	M/s Dorset Industries Pvt. Ltd., Gurugram	-DO-	1	2019-20
14	M/s KRBL Ltd., Noida -201301	-DO-	2	2019-20
15	M/s G.S. Spinning Mills, Panipat, Haryana,	-DO-	1	2019-20
16	M/s Garg Spinning Mills, Panipat, Haryana	-DO-	1	2019-20
17	M/s Bhartiya Spinners, Karnal,	-DO-	1	2019-20
18	Skycity Hotels Private limited, Gurugram	Jhajjar-Bahadugarh Road, Jhajjar	0.5	2019-20
19	Amplus Sun Solutions Pvt Ltd.,	Khanak, Bhiwani	50	2021-22
20	Avaada Green HN Project Pvt Ltd.,	Mithisurera, Sirsa	50	2021-22
21	LR Energy Pvt Ltd.,	Tosham, Bhiwani	20	2021-22
		Total	**191.1**	

LIST OF SOLAR PARKS

Sr. No.	Name of Solar Power Park Developer	Capacity (MW)	Location of Solar Park
1	M/s Solis Ortum Energy (P) Ltd. Gurugram	50	Nangal Choudhary Mahendergarh
2	M/s UPC Solar India (P) Ltd., Gurgaon	60	Nangal Choudhary Mahendergarh
3	M/s Rays Expert, Jaipur	50	Rupana, Bhiwani
4	M/s Strawberry Sunrays Energy (P) Ltd., Raipur (CG)	50	Khurangwali, Sirsa
5	M/s CMES Power 2 (P) Ltd. Mumbai	50	Shymalkhera, Nuyawali, Sirsa
6	M/s UVM Enterprises (P) Ltd, Chennai	50	Odhan, Sirsa
	Total	310	

Repair of Roads

779. Shri Neeraj Sharma: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

(a) the time by which the construction work of road from Nangla road to Himalaya School road in Ward No. 6 of Faridabad Assembly Constituency is likely to be completed;

(b) whether it is a fact that the water remain accumulated without rainy season on the Kali Mandir 27 feet road in Ward No. 9; if so, the time by which the road is likely to be repaired and arrangements for drainage of water is likely to be made; and

(c) whether the work order which was issued vide letter no. MCF/EE-1/2017/170 on dated 05.05.2017 of Municipal Corporation Faridabad has been completed; if not, the time by which the abovesaid work is likely to be completed ?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता) : (क) श्रीमान, नगर निगम फरीदाबाद में इस सड़क के निर्माण के लिए कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) नहीं श्रीमान, उक्त सड़क पर पानी जमा नहीं होता है।वर्तमान में, नगर निगम फरीदाबाद में इस सड़क के निर्माण के लिए कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी श्रीमान। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा मैसर्स एस एंड पी कंस्ट्रक्शन को रु. 3.17 करोड़ का वर्क आडर जारी किया गया जिसमें से ठेका एजेंसी ने रु. 2.61 करोड़ का काम मौके पर कर दिया है। काम में देरी 68.00 लाख रुपये का ठेका बिलों का भुगतान न होने के कारण हुई है। कार्य 31.08.2022 तक पूरा होने की संभावना है।

———————

To Provide Ultrasound Machine

809. Shri Amit Sihag: Will the Health Minister be pleased tostate the time by which Ultrasound Machine is likely to be provided in CHC Dabwali?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): श्रीमान जी, वर्तमान में उप मण्डल नागरिक हस्पताल, डबवाली में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, पी.पी.पी. प्रणाली के अन्तर्गत अल्ट्रासाउंड सेवाओं की सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रक्रियां चल रही हैं, जोकि 6 महीने में शुरू होना संभावित है।

———————

To Construct Bye-Pass

799. Shri Sita Ram Yadav: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct bye-pass connecting Hansi road to Loharu road via Tosham road in Bhiwani; If so, the route map and details thereof togetherwith the time by which abovesaid bye-pass is likely to be constructed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला): श्रीमान् जी, उपरोक्त बाईपास के लिए डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदाएं प्राप्त हो गई हैं और निविदा आधारित अनुमान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी.एच.) को पत्र दिनांक 07.03.2022 के माध्यम से स्वीकृति के लिए भेजा गया है। एम.ओ.आर.टी.एच. से मंजूरी के बाद डी.पी.आर. का काम सलाहकार को आवंटित किया जाएगा। एम.ओ.आर.टी.एच. के दिशा–निर्देशों के अनुसार डी.पी.आर. कार्य को

पूरा करने की समयावधि 300 दिन है। सलाहकार द्वारा बाईपास का संरेखण अभी तक तैयार नहीं किया गया है, इसलिए, इस स्तर पर कोई रूट मैप नहीं दिया जा सकता है। अभी कार्य को एम.ओ.आर.टी.एच. ने स्वीकृत नहीं किया है, इसलिए, इस स्तर पर निर्माण के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

Increase in Crime Rate in the state

657. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Home Minister be pleased to state-

(a) whether the crime rate in state has been increased in the year 2020-2021 in comparison to the year 2019; if so, the district wise details thereof; and

(b) the percentage of increase or decrease in crime rate in state in comparison with the states of rest of India?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): महोदय, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

(क) हरियाणा में वर्ष 2019 में 1,03,276 की तुलना में भा0द0सं0 के तहत दर्ज मुकदमों की संख्या वर्ष 2020 में 1,11,323 और वर्ष 2021 में 1,12,677 थी। वर्ष 2019 में स्थानीय एवं विषेष कानून के तहत 55,013 में दर्ज मुकदमों की तुलना में वर्ष 2020 में 89,119 और वर्ष 2021 में 93,744 दर्ज किये गये। मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियार रखने, शराब की तस्करी, सार्वजनिक स्थान पर षराब पीने व जुआ और बिजली व पानी की चोरी के मुकदमों में पुलिस का अच्छा प्रदर्षन रहा। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में भा0द0सं0 और स्थानीय और विषेष कानूनों के तहत दर्ज मामलों की जिलेवार तुलना इस प्रकार है:

भा0द0सं0 के मुकदमें

जिला	2019	2020	2021	अन्तर (2020-2019)	अन्तर (2021-2019)
अम्बाला	3,766	4,535	4,041	769	275
भिवानी	4,173	3,916	3,535	-257	-638
फरीदाबाद	11,717	9,313	9,751	-2,404	-1,966
फतेहाबाद	3,221	2,690	2,638	-531	-583
जी0आर0पी0	1,479	545	918	-934	-561
गुरूग्राम	14,976	12,117	13,161	-2,859	-1,815

हिसार	4,317	5,350	6,281	1,033	1,964
झज्जर	3,648	3,668	3,860	20	212
जीन्द	4,082	3,771	4,618	-311	536
कैथल	3,211	3,008	3,349	-203	138
करनाल	6,424	5,722	7,563	-702	1,139
कुरूक्षेत्र	4,258	4,187	4,583	-71	325
महेन्द्रगढ़	2,797	2,609	3,242	-188	445
नूहं	3,284	2,948	2,810	-336	-474
पलवल	3,744	3,563	4,380	-181	636
पंचकूला	2,316	2,081	2,331	-235	15
पानीपत	6,545	5,636	6,971	-909	426
रेवाड़ी	4,254	3,973	3,738	-281	-516
रोहतक	5,986	5,864	6,028	-122	42
सिरसा	3,671	3,792	4,010	121	339
सोनीपत	5,159	5,618	5,890	459	731
यमुनानगर	4,576	4,466	5,047	-110	471
बिजली एवं सिंचाई	974	1,019	828	45	-146
चरखी दादरी	1,110	1,103	1,064	-7	-46
हांसी	1,635	1,782	2,040	147	405
कुल	**1,11,323**	**1,03,276**	**1,12,677**	**-8,047**	**1,354**

3

स्थानीय और विशेष कानून के मुकदमें

जिला	2019	2020	2021	अन्तर (2020-2019)	अन्तर (2021-2019)
अम्बाला	1,158	1,129	1,341	-29	183
भिवानी	812	1,006	879	194	67
फरीदाबाद	2,188	2,903	2,873	715	685
फतेहाबाद	857	975	855	118	-2
जी0आर0पी0	402	173	319	-229	-83
गुरूग्राम	6,665	3,337	2,404	-3,328	-4,261
हिसार	595	1,115	1,161	520	566
झज्जर	656	748	1,075	92	419
जीन्द	526	599	994	73	468
कैथल	606	957	1,438	351	832
करनाल	2,492	2,289	2,712	-203	220
कुरूक्षेत्र	1,060	1,309	1,092	249	32
महेन्द्रगढ़	548	521	519	-27	-29
नूहं	932	739	658	-193	-274
पलवल	1,190	969	897	-221	-293
पंचकूला	374	481	625	107	251
पानीपत	977	1,027	966	50	-11
रेवाड़ी	345	653	661	308	316
रोहतक	1,193	1,392	1,591	199	398

सिरसा	1,092	1,361	1,296	269	204
सोनीपत	789	1,077	1,809	288	1,020
यमुनानगर	619	868	1,369	249	750
बिजली एवं सिंचाई	28,328	62,605	65,149	34,277	36,821
चरखी दादरी	296	363	475	67	179
हांसी	313	523	586	210	273
कुल	**55,013**	**89,119**	**93,744**	**34,106**	**38,731**

(ख) शेष भारत के राज्यों की तुलना में प्रदेश में अपराध दर में वृद्धि या कमी का प्रतिषत इस प्रकार है–

वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में भा0द0सं0 के मुकदमों की अंतरराज्यीय तुलना

राज्य	2019	2020	अन्तर (2020-2019)	अन्तर प्रतिषत
हरियाणा	1,11,323	1,03,276	-8,047	-7.23
आन्ध्र प्रदेश	1,19,229	1,88,997	69,768	58.52
अरूणाचल प्रदेश	2,590	2,244	-346	-13.36
असम	1,23,512	1,11,558	-11,954	-9.68
बिहार	1,97,935	1,94,698	-3,237	-1.64
छतीसगढ़	61,256	65,216	3,960	6.46
गोवा	2,465	3,393	928	37.65
गुजरात	1,39,503	3,81,849	242,346	173.72
हिमाचल प्रदेश	14,480	14,803	323	2.23
झारखण्ड	50,048	51,033	985	1.97
कर्नाटक	1,20,165	1,06,350	-13,815	-11.50
केरल	1,75,810	1,49,099	-26,711	-15.19
मध्य प्रदेश	2,46,470	2,83,881	37,411	15.18
महाराष्ट्र	3,41,084	3,94,017	52,933	15.52
मणिपुर	2,830	2,349	-481	-17.00
मेघालय	3,125	2,871	-254	-8.13
मिजोरम	2,379	1,787	-592	-24.88
नागालैंड़	1,117	1,022	-95	-8.50
उड़ीसा	96,033	108,533	12,500	13.02
पंजाब	44,697	49,870	5,173	11.57
राजस्थान	2,25,306	1,93,279	-32,027	-14.21
सिक्किम	632	504	-128	-20.25
तमिलनाडू	1,68,116	8,91,700	723,584	430.41
तेलगांना	1,18,338	1,35,885	17,547	14.83
त्रिपुरा	5,336	4,010	-1,326	-24.85
उत्तर प्रदेश	3,53,131	3,55,110	1,979	0.56

उत्तराखण्ड़	12,081	13,812	1,731	14.33
पश्चिम बंगाल	1,57,506	1,58,060	554	0.35
कुल	**28,96,497**	**39,69,206**	**10,72,709**	**37.03**

वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में स्थानीय एवं विशेष कानून के मुकदमों की अंतरराज्यीय तुलना

राज्य	2019	2020	अन्तर (2020-2019)	अन्तर प्रतिषत
हरियाणा	55,013	89,119	34,106	62.00
आन्ध्र प्रदेश	26,552	49,108	22,586	85.16
अरूणाचल प्रदेश	287	259	-28	-9.76
असम	9,271	10,051	780	8.41
बिहार	71,174	62,814	-8,360	-11.75
छतीसगढ़	35,305	37,957	2,652	7.51
गोवा	1,262	973	-289	-22.90
गुजरात	2,91,563	3,17,770	26,207	8.99
हिमाचल प्रदेश	5,444	5,827	383	7.04
झारखण्ड़	12,158	12,537	379	3.12
कर्नाटक	43,526	43,730	204	0.47
केरल	2,77,273	4,05,625	1,28,352	46.29
मध्य प्रदेश	1,49,149	1,44,165	-4,984	-3.34
महाराष्ट्र	1,68,349	1,44,986	-23,363	-13.88
मनिपुर	831	637	-194	-23.35
मेघालय	772	873	101	13.08
मिजोरम	501	502	01	0.20
नागालैंड़	544	489	-55	-10.11
उड़ीसा	25,492	25,697	205	0.80
पंजाब	28,158	33,005	4,847	17.21
राजस्थान	79,088	67,099	-11,989	-15.16
सिक्किम	189	171	-18	-9.52
तमिलनाडू	2,86,978	4,85,981	1,99,003	69.34
तेलगांना	12,916	11,619	-1,297	-10.04
त्रिपुरा	652	643	-09	-1.38
उत्तर प्रदेश	2,75,447	3,02,815	27,368	9.94
उत्तराखण्ड़	16,187	43,520	27,333	168.86
पश्चिम बंगाल	30,543	24,307	-6,236	-20.42
कुल	**19,04,594**	**23,22,279**	**4,17,685**	**21.93**

तालिका 1ए.1

भा0द0सं0 अपराध (अंतरराज्यीय–वार) 2018–2020

क्र. सं.	राज्य	2018	2019	2020	मध्य–वर्ष की अनुमानित जनसंख्या (लाखो में) 2020	संज्ञेय अपराधों की दर (भा.द.सं.) 2020	चार्जषीटिंग दर (2020)
1	आन्ध्र प्रदेश	126635	119229	188997	526.0	359.3	89.1
2	अरूणाचल प्रदेश	2613	2590	2244	15.2	147.4	52.3
3	असम	112233	123512	111558	347.9	320.6	47.1
4	बिहार	196911	197935	194698	1219.0	159.7	73.6
5	छतीसगढ़	60178	61256	65216	292.4	223.1	81.8
6	गोवा	2740	2465	3393	15.5	218.5	83.9
7	गुजरात	147574	139503	381849	691.7	552.0	97.1
8	हरियाणा	108212	111323	103276	292.1	353.5	47.4
9	हिमाचल प्रदेश	14604	14480	14803	73.6	201.1	84.7
10	झारखण्ड़	45287	50048	51033	381.2	133.9	66.7
11	कर्नाटक	126534	120165	106350	665.0	159.9	78.8
12	केरल	186958	175810	149099	353.7	421.6	94.9
13	मध्य प्रदेश	248354	246470	283881	837.6	338.9	88.1
14	महाराष्ट्र	346291	341084	394017	1236.8	318.6	73.5
15	मनिपुर	2869	2830	2349	31.4	74.8	18.5
16	मेघालय	2921	3125	2871	32.6	88.0	18.1
17	मिजोरम	1774	2379	1787	12.1	148.1	65.3
18	नागालैंड़	1223	1117	1022	21.8	46.9	60.3
19	उड़ीसा	83769	96033	108533	454.7	238.7	70.9
20	पंजाब	41640	44697	49870	301.8	165.2	70.4
21	राजस्थान	171889	225306	193279	786.1	245.9	54.2
22	सिक्किम	620	632	504	6.7	75.0	61.2
23	तमिलनाडू	185912	168116	891700	761.7	1170.7	91.7
24	तेलंगांना	113951	118338	135885	375.4	362.0	83.9
25	त्रिपुरा	5325	5336	4010	40.4	99.2	69.2
26	उत्तर प्रदेश	342355	353131	355110	2289.3	155.1	76.9
27	उत्तराखण्ड़	14739	12081	13812	113.1	122.1	78.8
28	पश्चिम बंगाल	157610	157506	158060	977.2	161.7	89.4
कुल		**2851721**	**2896497**	**3969206**	**13151.8**	**301.8**	**79.6**

तालिका 1ए.1

स्थानीय एवं विशेष कानून अपराध (अंतरराज्यीय–वार) 2018–2020

क्र.सं.	राज्य	2018	2019	2020	मध्य–वर्ष की अनुमानित जनसंख्या (लाखो में) 2020	संज्ञेय अपराधों की दर (भा.द.सं.) 2020	चार्जषीटिंग दर (2020)
1	आन्ध्र प्रदेश	18068	26522	49108	526.0	93.4	95.6
2	अरूणाचल प्रदेश	204	287	259	15.2	17.0	83.9
3	असम	8340	9271	10051	347.9	28.9	57.2

4	बिहार	65904	71174	62814	1219.0	51.5	96.1
5	छतीसगढ़	38055	35305	37957	292.4	129.8	98.1
6	गोवा	1144	1262	973	15.5	62.7	96.7
7	गुजरात	245620	291563	317770	691.7	459.4	99.8
8	हरियाणा	83017	55013	89119	292.1	305.1	29.6
9	हिमाचल प्रदेश	4990	5444	5827	73.6	79.1	94.3
10	झारखण्ड़	10377	12158	12537	381.2	32.9	78.9
11	कर्नाटक	36882	43526	43730	665.0	65.8	95.1
12	केरल	325209	277273	405625	353.7	1146.9	99.6
13	मध्य प्रदेश	156775	149149	144165	837.6	172.1	99.8
14	महाराष्ट्र	169383	168349	144986	1236.8	117.2	96.6
15	मनिपुर	912	831	637	31.4	20.3	36.1
16	मेघालय	561	772	873	32.6	26.7	53.5
17	मिजोरम	577	501	502	12.1	41.6	98.3
18	नागालैंड़	552	544	489	21.8	22.5	95.0
19	उड़ीसा	23639	25492	25697	454.7	56.5	97.7
20	पंजाब	28678	28158	33005	301.8	109.4	96.2
21	राजस्थान	78657	79088	67099	786.1	85.4	95.6
22	सिक्किम	249	189	171	6.7	25.4	96.0
23	तमिलनाडू	313276	286978	485981	761.7	638.0	95.2
24	तेलंगांना	12907	12916	11619	375.4	31.0	80.9
25	त्रिपुरा	753	652	643	40.4	15.9	88.2
26	उत्तर प्रदेश	242802	275447	302815	2289.3	132.3	90.8
27	उत्तराखण्ड़	19976	16187	43520	113.1	384.7	98.8
28	पश्चिम बंगाल	30453	30543	24307	977.2	24.9	78.9
कुल		**1917960**	**1904594**	**2322279**	**13151.8**	**176.6**	**93.7**

————————

To Establish Soil Testing Laboratories

719. Shri Varun Choudhry: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the list of educational institutions wherein soil testing labroatories have been established by the Government in State?

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : राज्य के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के विज्ञान के छात्रों द्वारा 'हर खेत–स्वस्थ खेत' अभियान के अंतर्गत 'अर्न व्हाइल–यू लर्न' कार्यक्रम के तहत मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाने हैं तथा उन्हें 40/– रूपये प्रति नमूना की दर से भुगतान किया जाएगा। 115 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों/व्याख्याताओं को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार और केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा मृदा और सिंचाई जल परीक्षण पर प्रशिक्षण दिया गया है, जो विज्ञान के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 115 शैक्षणिक संस्थानों (75 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और 40 राजकीय महाविद्यालयों) में लघु–मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और सूची अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

(अनुलग्नक–1)

शैक्षणिक संस्थानों की सूची जहां लघु–मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं:

क्र0 सं0	जिला	विद्यालय का नाम
1.	अम्बाला	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, प्रेमनगर, अम्बाला शहर
2.		राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बराड़ा, अम्बाला
3.	पंचकुला	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रायपुर रानी, पंचकुला
4.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पिंजौर, पंचकुला
5.	यमुनानगर	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जठलाना, यमुनानगर
6.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जगाधरी वर्कशॉप, यमुनानगर
7.	करनाल	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ब्याना, करनाल
8.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, संगौहा, करनाल
9.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ऊंचा समाना, करनाल
10.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, घीर, करनाल
11.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कुटैल, करनाल
12.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सुभरी, करनाल
13.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, शामगढ़, करनाल
14.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मॉडल टाउन, करनाल
15.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, करनाल
16.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, उचाना, करनाल
17.	कुरूक्षेत्र	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हरिगढ़ भोरख, कुरूक्षेत्र
18.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बोधनी, कुरूक्षेत्र
19.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, स्योंसर, कुरूक्षेत्र
20.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सम्भालखी, कुरूक्षेत्र
21.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, डीग, कुरूक्षेत्र
22.	कैथल	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सीवन, कैथल
23.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कैथल

क्र0 सं0	जिला	विद्यालय का नाम
24.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुंडरी, कैथल
25.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजौंद, कैथल
26.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चीका, कैथल
27.	पानीपत	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मतलोडा, पानीपत
28.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बापौली, पानीपत
29.		राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जी0टी0 रोड़, पानीपत
30.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, डाहर, पानीपत
31.		राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, समालखा, पानीपत
32.	जींद	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जींद
33.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सफीदों, जींद
34.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अलेवा, जींद
35.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नरवाना, जींद
36.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, उचाना कलां, जींद
37.	रोहतक	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कलानौर, रोहतक
38.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, महम, रोहतक
39.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सांघी, रोहतक
40.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सिंघपुरा खुर्द, रोहतक
41.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भिवानी रोड़, रोहतक
42.	सोनीपत	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, खरखौदा, सोनीपत
43.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मॉडल टाउन, सोनीपत
44.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अकबरपुर बरोटा, सोनीपत
45.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गन्नौर, सोनीपत
46.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गोहाना, सोनीपत
47.	झज्जर	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दूलेहड़ा, झज्जर
48.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झज्जर
49.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, खेड़ी खुमार, झज्जर
50.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मातनहेल, झज्जर
51.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, साहलावास, झज्जर
52.	गुरूग्राम	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भौंडसी, गुरूग्राम
53.		राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सुशांत लोक, गुरूग्राम
54.	फरीदाबाद	राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एन0आई0टी0–5, फरीदाबाद
55.	पलवल	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पलवल
56.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, होडल, पलवल
57.	मेवात	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूंह, मेवात
58.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नगीना, मेवात
59.	रेवाड़ी	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, खोल, रेवाड़ी
60.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मसानी, रेवाड़ी
61.	महेन्द्रगढ़	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, निजामपुर, महेन्द्रगढ़
62.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नारनौल, महेन्द्रगढ़
63.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अटेली, महेन्द्रगढ़
64.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कनीना, महेन्द्रगढ़
65.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, महेन्द्रगढ़
66.	चरखी दादरी	राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चरखी दादरी
67.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बाढ़ड़ा, चरखी दादरी

क्र0 सं0	जिला	विद्यालय का नाम
68.	भिवानी	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ढ़िगावा जाट्टान, भिवानी
69.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बवानी खेड़ा, भिवानी
70.	हिसार	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जहाजपुल, हिसार
71.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नाहर कोठी, बरवाला, हिसार
72.	फतेहाबाद	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गाजूवाला, फतेहाबाद
73.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, फतेहाबाद
74.	सिरसा	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, खारीयां, सिरसा
75.		राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चौटाला, सिरसा
76.	अम्बाला	स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय, अम्बाला छावनी
77.		राजकीय महाविद्यालय, नारायणगढ़, अम्बाला
78.	पंचकुला	राजकीय महाविद्यालय, सैक्टर–1, पंचकुला
79.		राजकीय महाविद्यालय, सैक्टर–14, पंचकुला
80.	यमुनानगर	राजकीय महाविद्यालय, छछरौली, यमुनानगर
81.	करनाल	पं0 चिरंजी लाल शर्मा राजकीय (पी0जी0) महाविद्यालय, करनाल
82.		राजकीय महिला महाविद्यालय, करनाल
83.		राजकीय महाविद्यालय, मटक माजरी, करनाल
84.	कैथल	राजकीय महाविद्यालय, जगदीशपुरा, कैथल
85.	पानीपत	राजकीय महाविद्यालय, पानीपत
86.		राजकीय महाविद्यालय, मतलोडा, पानीपत
87.	जींद	राजकीय महाविद्यालय, नरवाना, जींद
88.		राजकीय महाविद्यालय, जींद
89.	रोहतक	पं0 एन0आर0एस0 राजकीय महाविद्यालय, रोहतक
90.		राजकीय महिला महाविद्यालय, सांपला, रोहतक
91.		राजकीय महाविद्यालय, महम, रोहतक
92.	सोनीपत	राजकीय महिला महाविद्यालय, गोहाना सोनीपत
93.	झज्जर	राजकीय महाविद्यालय, झज्जर
94.	गुरूग्राम	द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय, गुरूग्राम
95.		राजकीय महाविद्यालय, सैक्टर–14, गुरूग्राम
96.	फरीदाबाद	राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद
97.		राजकीय महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद
98.	पलवल	राजकीय महाविद्यालय, होडल, पलवल
99.	रेवाड़ी	राजकीय महिला महाविद्यालय, रेवाड़ी
100.		राजकीय महाविद्यालय, नाहर, रेवाड़ी
101.		राजकीय महाविद्यालय, कोसली, रेवाड़ी
102.	महेन्द्रगढ़	राजकीय महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़
103.		राजकीय महाविद्यालय, नांगल चौधरी, महेन्द्रगढ़
104.		राजकीय महाविद्यालय, सतनाली, महेन्द्रगढ़
105.		राजकीय (पी0जी0) महाविद्यालय, नारनौल
106.	चरखी दादरी	राजकीय महिला महाविद्यालय, बाढ़ड़ा, चरखी दादरी
107.	भिवानी	राजकीय महाविद्यालय, लौहारू, भिवानी
108.		राजकीय महिला महाविद्यालय, भिवानी
109.	हिसार	राजकीय महाविद्यालय, हिसार
110.		राजकीय महिला महाविद्यालय, हिसार
111.		राजकीय महाविद्यालय, आदमपुर, हिसार

क्र0 सं0	जिला	विद्यालय का नाम
112.	फतेहाबाद	राजकीय महिला महाविद्यालय, भोडिया खेड़ा, फतेहाबाद
113.		राजकीय महाविद्यालय, रतिया, फतेहाबाद
114.	सिरसा	राजकीय नैशनल महाविद्यालय, सिरसा
115.		राजकीय महिला महाविद्यालय, सिरसा

————————

To Increase the Salary of Anganwadi Workers and Helpers

780. Shri Neeraj Sharma: Will the Minister of State for Women & Child Development be pleased to state-

(a) whether it is a fact that an announcement has been made by the Government to increase the salaries of Anganwadi workers and Helpers by Rs. 1500 and Rs. 750 on 8 March, 2018; and

(b) if so, the time by which the abovesaid announcement is likely to be completed ?

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (श्रीमती कमलेश ढांडा): श्रीमान जी, कथन सदन के पटल पर रखा गया है।

कथन

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार द्वारा 8 मार्च, 2018 को आंगनवाड़ी वर्करज तथा सहायकों के वेतन में 1500 रू0 तथा 750 रू0 की वृद्धि करने की घोशणा की गई हैय तथा	नहीं श्रीमान, इस प्रकार की कोई घोशणा 8 मार्च, 2018 को नहीं की गई है।
(ख) यदि हां, तो उपरोक्त घोशणा के कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ?	————————

————————

The Details of New Ayushman Card Holders

810. Shri Amit Sihag: Will the Health Minister be pleased to state-

(a) the year wise details of new Ayushman Card holders added in each Assembly Constituency of State since the inception of the scheme.

(b) the current parameters defined by the Government to get an Ayushman Card?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): (क) जी हाँ, योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक राज्य में जोड़े गए नए आयुष्मान कार्ड धारकों का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है–

विवरण

क्रमांक	**जिला**	**(2018–2019)**	**(2019–2020)**	**(2020–2021)**	**(2021–2022) 8 मार्च 2022 तक**
1	अंबाला	37,429	62,808	16,297	10,685
2	भिवानी	50,114	52,776	19,119	15,137
3	चरखी दादरी	9,516	29,062	5,316	2,063
4	जिला एन ए	36,387	33,788	15,920	15,424
5	फरीदाबाद	48,501	35,971	6,381	3,373
6	फतेहाबाद	33,075	61,330	12,534	19,116
7	गुरूग्राम	23,772	61,049	3,458	4,041
8	हिसार	49,697	117,946	33,236	20,292
9	झज्ज्र	26,347	43,175	7,123	4,067
10	जींद	40,100	89,447	17,329	12,486
11	कैथल	49,076	88,446	20,312	29,082
12	करनाल	83,368	77,234	44,741	28,416
13	कुरूक्षेत्र	85,374	36,101	16,835	17,620
14	महेंद्रगढ़	26,967	63,059	9,187	12,716
15	मेवात	35,198	30,850	4,926	5,919
16	पलवल	28,758	54,229	15,317	7,083
17	पंचकुला	15,296	20,813	1,635	1,609
18	पानीपत	31,230	52,215	10,891	12,234
19	रेवाड़ी	29,136	39,311	5,430	8,232
20	रोहतक	25,499	40,263	9,736	10,358
21	सिरसा	32,527	78,620	20,200	16,112
22	सोनीपत	29,723	66,106	20,986	15,148
23	यमुनानगर	65,727	64,701	20,822	20,615
संपूर्ण		**892,817**	**1,299,300**	**337,731**	**291,828**
				कुल कार्ड	**2,821,676**

(ख) NHA के दिशानिर्देशों के अनुसार AB-PMJAY योजना के लिए कुल लाभार्थी आधार–सामग्री SECC—2011 की आधार–सामग्री पर आधारित है। व्यक्तिगत/पारिवारिक पहचान को मान्य करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

1 आधार कार्ड

2 राश्न कार्ड

3 परिवार पहचान पत्र

इस आधार–सामग्री में कोई नया परिवार नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि आधार–सामग्री को स्थिर कर दिया गया है। हालाँकि, मौजूदा परिवार में परिवार के नए सदस्य को विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और गोद लेने के प्रमाण पत्र के आधार पर जोड़ा जा सकता है।

———————

To Widen the Road

819. Shri Sita Ram Yadav : Will the Deputy Chief Minister be please to state whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the road from 7.00 meters to 10.00 meters from Kanina to Kanti-Kheri at Rajasthan Border of Ateli Assembly Constituency, if so, the time by which the said road is likely to be widened?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): (क) श्रीमान् जी, एनसीआरपीबी ऋण योजना के तहत महेन्द्रगढ़ जिले में कनीना से अटेली रोड़ किलोमीटर 68.07 से 94.67 (एमडीआर–124) तक सड़क को 7.00 मीटर से बढ़ाकर 10.00 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इसके निर्माण की संभावित तिथि सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही दी जा सकती है।

———————

To Construct Road

789. Shri Deepak Mangla: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether it is fact that the construction work of approximately 45 meter wide road to connect HUDA Sector-2, 12, 14 and others Sectors of Palwal has not been started so far; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the abovesaid road togetherwith details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान् जी, 45 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य ह.श.वि.प्रा. सैक्टर–2, 12, 14 व अन्य पलवल के सैक्टरों का कार्य आंशिक रूप से शुरू कर दिया गया है, जिसमें 700 मीटर सैक्टर–2 व 8 विभाजीय सड़क के

टुकड़ा का निर्माण वर्ष 2002 में और 900 मीटर विभाजीय सैक्टर–9 व 12 सड़क के टुकडा का निर्माण वर्ष 2013 में पूर्ण कर लिया गया है। शेष 45 मीटर चौड़ी सड़क सैक्टर–8 व 12ए, 11 व 12, 11 व 13 और सैक्टर–11 व 14 के बीच में पड़ने वाली सड़क का कार्य अभी तक नहीं लिया गया है क्योंकि उक्त सड़क के निर्माण के लिये अभी तक भूमि अधिकृत नहीं की गई है।

इस प्रकार, वर्तमान में, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे का समाधान होने तक, उपरोक्त सड़क के शेष हिस्से के निर्माण के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

————————

To Reconstruct/ Renovate Building of CHC

831. Smt. Geeta Bhukkal: Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct/renovate the building of CHC Jamalpur in Jhajjar Assembly Constituency; and

(b) the time by which abovesaid building is likely to be reconstructed / renovated?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज):

(क) श्रीमान जी, नवीनीकरण का कार्य पहले से ही चल रहा है।

(ख) इसके तीन माह में पूर्ण होने की संभावना है।

————————

To Complete the Construction Work of Rivulet

790. Shri Deepak Mangla: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is a fact that the construction work of the rivulet to be constructed in the midst of Palwal City under the announcement of Hon'ble Chief Minister vide No.11180 dated 05.04.2016 has not been completed so far; if so, the time by which it is likely to be completed?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): मुख्यमंत्री घोषणा कोड संख्या 11180 दिनांक 05.04.2016 के तहत पलवल शहर के बीच में स्थित मौजूदा नाले के पुनर्निर्माण का कार्य

242.50 लाख रुपये के स्वीकृत अनुमान के तहत प्रगति पर है। उक्त अनुमान के तहत नाले को ऊपर उठाने/पुनर्निर्माण का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। 90.20 लाख रुपये के अलग अनुपूरक अनुमान के तहत नाले का शेष कार्य प्रगति पर है। हालांकि डी०एच०बी०वी०एन०एल० द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर को स्थानांतरित न करने तथा स्थानीय निवासियों द्वारा किथवाड़ी सड़क पर किए गए अतिक्रमण के कारण कार्य को पूर्ण करने में यह दो बाधाएं है।

विद्युत ट्रांसफार्मर को स्थानांतरित करने के लिए डी०एच०बी०वी०एन० एल० प्राधिकारियों के साथ अनुकरण किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद पलवल के प्राधिकारियों से पहले ही पत्राचार किया जा चुका है। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर के स्थानान्तरण एवं अतिक्रमण हटाने के पश्चात कार्य 30.06.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

————————

To Open a Sainik School

832. Smt. Geeta Bhukkal: Will the Sainik and Ardh Sainik Welfare Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Sainik School in village Matanhail of Jhajjar Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the construction work of abovesaid school is likely to be started ?

सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश यादव): (क) हां, श्रीमान जी, जिला झज्जर गांव मातनहेल में सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) ग्राम पंचायत मातनहेल और रूडियावास ने सैनिक स्कूल मातनहेल की स्थापना के लिए 312 एकड़ भूमि दान में दी थी, लेकिन वह भूमि वन अधिनियम 4–5 के अधीन थी। अब ग्राम पंचायत मातनहेल ने 61 एकड़ भूमि मुफ्त में दान की है जो वन अधिनियम धारा 4–5 से मुक्त है। भूमि के आबंटन से संबंधित मामला विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ के पास विचाराधीन है जैसे ही भूमि आबंटन से सम्बन्धित केस पर अंतिम निर्णय होगा, सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

To Open Branch of Co-operative Bank

791. Shri Deepak Mangla: Will the Co-operation Minister be pleased to state whether it is a fact that land of the Faridabad Central Co-operative Bank is lying vacant in the midst of Palwal city; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open any office or branch of Co-operative Bank on the abovesaid land togetherwith the details thereof?

सहकारिता मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल): यह सत्य है कि दि फरीदाबाद केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, फरीदाबाद के पास पलवल शहर के बीच में 2634.79 वर्ग मीटर की जगह है। उक्त भूमि पर पलवल में बैंक भवन निर्माण का प्रस्ताव रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा के पास विचाराधीन है।

———————

स्वास्थ्य मंत्री तथा हरियाणा विधान सभा के एक सदस्य के जन्मदिन पर शुभकामनाएं

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज बड़ा हर्ष का विषय है श्री अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री एवं डॉ. अभय सिंह यादव, विधायक का जन्म दिन है। इस अवसर पर उनको सदन की तरफ से बहुत–बहुत हार्दिक बधाई। यह सदन उनके स्वस्थ जीवन, उज्ज्वल भविष्य और दीर्घायु की कामना करता है।

———

अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री विनोद भ्याना, विधायक ने मुझे ई–मेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे अपरिहार्य पारिवारिक कार्यों के कारण आज दिनांक 15 मार्च, 2022 को विधान सभा सत्र की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते।

———

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राज्थल, जिला हिसार के अध्यापको तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राज्थल, जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा स्टाफ उपस्थित है। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं।

———————

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

प्रदेश में रजिस्ट्रियों के मामले में घोर अनियमितताएं सामने आने से संबंधित

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा प्रदेश में रजिस्ट्रियों के मामले में घोर अनियमितताएं सामने आने से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–4 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–30 जो कि श्री बलराज कुंडू विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–4 के साथ जोड़ दी गई है। श्री बलराज कुंडू, विधायक भी इस पर सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–42 जो कि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–4 के साथ जोड़ दी गई है। श्री नीरज शर्मा, विधायक भी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–50 जो कि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–4 के साथ जोड़ दी गई है, श्रीमती किरण चौधरी, विधायक भी इस पर सप्लीमैंट्री पूछ सकती हैं। अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने एम.एस.पी. पर एक रैजोल्यूशन दिया था, जो विचाराधीन था, उसका क्या फेट है?

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक काम रोको प्रस्ताव दिया था, उसका भी फेट बताया जाये।

श्री अध्यक्षः आफताब जी, अभी आप बैठिये, मैं इन सभी के बारे में बाद में एक साथ बताऊंगा। अब श्री अभय सिंह चौटाला अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश में रजिस्ट्रियों के मामले में घोर अनियमितता सामने आने बारे इस महान् सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज प्रदेश में आए दिन रजिस्ट्रियों के मामले में घोर अनियमितता सामने आ रही हैं। कोरोना महामारी के शुरूआती दौर में भी सैक्शन 7ए के तहत बिना एन.ओ.सी. लिए रजिस्ट्रियों में बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। करनाल व गुरूग्राम डिवीजन में लगभग 30,774 से अधिक रजिस्ट्रियां गलत तरीके से की गई हैं जिसमें से लगभग 8182 गलत रजिस्ट्रियां करनाल जिले में हुई हैं जो मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जिला भी है तथा गुरूग्राम जिले में लगभग 21 हजार से ज्यादा रजिस्ट्री गलत हुई हैं जिससे

अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी जिलों में भी इस प्रकार के अनेक गलत तरीकों से रजिस्ट्रियां होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। सरकार द्वारा इन पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही अमल में नही लाई गई जिसे लेकर जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 30
स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 के साथ सलंग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 30 के द्वारा, श्री बलराज कुंडू, विधायक प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्रियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश भर में जमीनों की रजिस्ट्रियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार की जांच में भी यह बात साबित हो चुकी है कि पूरे प्रदेश में अधिकारियों द्वारा घोर अनियमितताएं बरती गई हैं। जिस वक्त कोरोना का शुरूआती दौर था तब बिना सैक्शन 7ए के तहत बिना एन.ओ.सी. लिए बड़े स्तर पर रजिस्ट्रियां करके बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। भ्रष्टाचार का आलम यह रहा कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिले करनाल में 8 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां गलत तरीके से की गई और इसी प्रकार से गुरूग्राम में भी लगभग 21 हजार रजिस्ट्रियां तमाम कायदे–कानूनों को दरकिनार करके नियमों के विपरीत गलत तरीके से कर दी गयी। करनाल और गुरूग्राम तो महज उदाहरण मात्र हैं और इस बात से भी कतई इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश के बाकी जिलों में भी इसी तरह से गलत ढंग से रजिस्ट्रियां ना हुई हों, लेकिन इस मामले की गहराई में जाने की बजाय जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है जबकि यह एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया घोटाला नजर आता है जो बिना ऊपरी आशीर्वाद के सम्भव नहीं हो सकता। अतः उनका माननीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर सदन में विस्तार से चर्चा करवाई जाए और सरकार सदन में इस पर अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 के साथ सलंग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42 के द्वारा, श्री नीरज शर्मा, विधायक रजिस्ट्रियों में हुई गडबड़ी बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि सरकार द्वारा सेक्शन 7ए के तहत 64318 रजिस्ट्रियों में हुई

गडबड़ी के मामले में 224 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को नोटिस जारी किए गए हैं सरकार इस महान सदन को अवगत करवाए की उपरोक्त मामले पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई तथा दोषी तहसीलदारों, नायब तहसीलदार, पटवारी, रजिस्ट्री क्लर्क जो इन मामलों में सदिग्ंध है उनको उपरोक्त स्थान पर रखा गया है या हटा दिया गया है? जो 64318 गडबड़ी से रजिस्ट्रियां हुई उन पर सरकार क्या कदम उठा रही है क्या रजिस्ट्रियों को सरकार रद्द करेगी? इस महान सदन को पूर्ण मामले बारे सरकार अवगत करवाए की सरकार इस बाबत क्या कार्रवाई कर रही है। इस पर विस्तृत चर्चा की जाए।

"Calling Attention No. 50 clubbed with Calling Attention No. 4".

"Smt.Kiran Choudhry, MLA want to draw the kind attention of this august House on issue of urgent public importance that the insidious attempts by those in power to save the guilty and push the mammoth registration scam under the carpet. Registration scam in Haryana is the mother of all scams, whereby sale and purchase of immovable properties in the controlled areas of municipalities of Haryana had been allowed by the land revenue department officials without obtaining the requisite NOC from the Town and Country Planning Department officials violating the provisions of notification under section 7-A of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975- the officials unduly enriching themselves and land mafia, but putting the exchequer to a loss of billions of rupees. The scam as we know through details in public domain is mammoth, but what has been unearthed in probe by official agencies so far could be the tip of the iceberg. Despite the scam rocking previous assembly sessions, we are yet to see some concrete government action in the matter, thus reinforcing the public perception that a scam of this size cannot happen without the government connivance. The free run to colonizers and land mafia in Haryana will lead to haphazard planning and growth causing manmade disasters, while putting exchequer to a great loss, Hence this notice for motion under Rule 73 of rules of Procedure, for calling attention to a matter of wide public import. A notification issued under original statutory

provision in section 7 of the Haryana Development and Regulation of urban Areas Act, 1975 required the Sub Registrar/Joint Sub Registrar to obtain NOC form the Town and Country Planning Department in respect of registrations of transactions in immovable lands, whether vacant or agricultural lands measuring less than one hectare in controlled areas hear the municipalities of Haryana. By an amendment in the year 2017, this government diluted the rigor of this provision by getting an amendment to this provision approved, thereby deleting the condition of vacant lands and watering down the condition of one hectare to two Kanals, thus facilitating land sharks and unscrupulous colonizers, opening floodgates for parceling out agricultural lands as commercial or residential pockets. The registration scam forced the BJP-JJP government to bring the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (2nd Amendment and Validation) Bill, approved by the State Assembly in August 2020, fixing the requirement of NOC for land measuring less than one acre. Surprisingly, the Haryana Development and Regulation of Urban Areas. (2 Amendment and validation) Act also seeks to validate the illegalities and patent malfeasance of an unscrupulous colonizer of Haryana, against whom the DB of Punjab and Haryana High Court had been constrained to issue directions for lodging of an FIR. This group had planned and got approved a residential group housing projects for arca measuring 18.98 acres. They allegedly tampered with record in connivance with government officials and obtained a commercial license for 8 acres on 16.01.2001, before getting themselves delicensed on 18.01.2001. The DB of Punjab and Haryana High Court hold that there is no provision of such de-licensing under the rules, such midway change of scheme from residential to commercial would leave the allottees in the lurch. Terming the de-licensing of 8 acres as fraudulent and not in consonance with the rules, the DB of our High Court had ordered lodging of an FIR vide its order dated 10.07.2020 which the amendment abovementioned has sought to undo.

Though the government is in denial mode on this scam, maintaining that there has been no scam and no loss to the exchequer, the ground reality is divergent from the official hike. Going by the news reports, as per the government's own admission about 58000 registration deeds have been found in violation of rules and procedure in an ongoing departmental probe for the period between April 2017 and August 2021, for which 250 officers/ officials are under the scanner of the department. The claim that no loss has been caused to the exchequer as a result of this scam is absurd, as facilitation of parcelling out of agricultural land as commercial or residential pockets without the NOC would deprive the exchequer of the EDC. A scam at such a gigantic scale cannot happen without blessings of those in power. After more than one and a half year, the government is yet to take a serious action in the matter. While the state government has allowed grass to grow under its feet, half a dozen officials out of the 250 officials facing department probe have since retired and half a dozen have expired, Mysteriously, 6 officials out of the 250 officials facing probe have been given promotion, which shows the leverage the guilty have with the government. While, the State government is stalling every opposition demand for a HC monitored CBI probe into the matter, all indications are that the government is determined to save and shield the kingpins of this scam, while catching into its net small fish. If the entire registration and record of rights data is online, why it is taking so long to unearth the scam? Why millions of farmers and villagers have been put through avoidable harassment, if the departmental online sites develop glitches? Why manual by pass in registration is not allowed during such crisis situations? Patwaris association in the state has alleged that they have no pivotal role or leverage in such registrations or issuance of NOCs, yet the government is hounding the innocent junior officials to save the sharks in the scam. It is obvious that the scam is deep rooted and the rot has permeated the vitals of the system. The registration of transactions in immovable

property is an issue that touches the life of common citizen. Through a discussion on this matter in this august house, we could navigate around the landmines of opacity and government inertia to settle for transparency and fair probe pathways. This notice for calling attention to a matter of great public import is in order and does not suffer from any infirmity under the relevant rules. The motion may kindly be allowed and the Minister concerned, may be asked to make a statement on the floor of this august House."

वक्तव्य–

उप–मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित

श्री अध्यक्ष : अब उप–मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Sir, the Registering Authority governs the work of registration of instruments under section 17 and 18 of the Registration Act, 1908. After scrutinized the documents presented to him for registration in view of provisions contained in section 21, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34 and 35 of the Registration Act, 1908 i.e. before acceptance of any instrument of transfer of any property he has to see whether the proper description of property has been defined in the instrument under section 21 and 22 of the said Act. Further, he has to check whether the instrument is presented to him within 4 month of execution of the instrument under section 23 and 24 of the said Act and the property is situated within his jurisdiction of tehsil under section 28 of the said Act. The registering authority is bound to compliance with certain obligations under various Acts before registration of any instrument of transfer of property. NOC was made obligatory to prevent mushrooming of unauthorized colonies under section 7-A of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 for the registering authority for the registration of instrument of sale and lease in the notified area by the TCP department for transfer of vacant land of one hectare prior to the year 2017. In the year 2017 (Haryana Act No. 11 of 2017 notified on 3rd April, 2017) area

was reduced from one hectare vacant land to 2 kanals agriculture land i.e. "agricultural land" including land recorded as Nehri, Chahi, Barani or by any other term in the revenue record". The Act has been further amended by notification dated 14.09.2020 wherein two kanals agriculture land has been substituted by one acre vacant land.

On receipt of the complaints regarding violation of section 7-A of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975, in June, 2020 on conducting preliminary inquiry certain violation were observed and on the basis of the same 03 Sub Registrars and 05 Joint Sub Registrars posted in Gurugram District were charge sheeted under rule-7 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 2016. Six FIRs were also lodged against 01 Sub Registrar and 05 Joint Sub Registrars under section 420 IPC, 10 of the said Act.

Consequently, the inquiry reports regarding violation of section 7-A of the said Act was sought from all the Divisional Commissioner of the State vide D.O. letter dated 13.08.2020 from FCR & ACS. The inquiry reports have been received from all the Divisional Commissioner of the State. Many Sub-Registrars and Joint Sub-Registrars in the State registered the instruments of sale and lease of transfer of land without obtaining No Objection Certificate from the DTP under section 7-A of the of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (Notification dated 3rd April, 2017 by the Town and Country Planning Department, Haryana) in the notified area under the said Act which was obligatory for the Sub-Registrars and Joint Sub-Registrars before registration of instruments of sale and lease.

The State Government has taken serious views regarding the complaints related to registration of instruments of transfer of any property to prevent mushrooming of unauthorized colonies in the State. The new Web-HALRIS for the purpose of registration of instruments of transfer of immovable property has been linked with other departments such as Urban Development departments, T.C.P department, HSVP,

Panchayat and Development Department, Housing Board etc. The inquiry reports from all the Divisional Commissioners of the State regarding total violations in 64577 deeds (Gurugram Division-21716, Karnal Division-9774, Ambala Division-2864, Hisar Division-1016, Rohtak Division-10849 and Faridabad Division-18358) out of which 8182 deeds are related to Karnal district and 14873 deeds related to Gurugram distirct wherein violation of section 7-A of the said Act have been received for the period 03.04.2017 to 13.08.2021 for which explanation have been sought from 133 Sub-Registrars and 97 Joint Sub-Registrars before initiating disciplinary proceedings against them under rule-7 of Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules-2016 within 15 days. Further, all the Deputy Commissioners of the State have been directed to initiate disciplinary proceeding under rule-7 of the Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 2016(Group-C) after obtaining their explanation in the matter against Registration Clerks. It has also been decided to initiate disciplinary action under rule-7 against the Patwaris and Registration Clerks who remained fail to scrutinized the documents, who were involved in instrumental in changing the nature of land (Gair mumkin) in the khasra girdawari which facilitated the large number of registrations for violation of section 7-A, the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2017. In this regard all the Deputy Commissioners of the State have been directed for initiating disciplinary action under rule-7 of Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016(Group-C) against the total 156 Registration Clerks and 381 Patwaris also who were involved with regard to instrumental in changing the nature of land (Gair Mumkin) in the Khasra Girdawari.

Sir, detailed reply of Calling Attention No. 4 has already been given. The following reply may be treated as part of reply of Calling Attention No. 4.

With regard to additional issue raised in Calling Attention No. 50 regarding amendment of Section 7A of the Act of 1975, it is submitted that Act No. 8 of 1975 was brought into force to regulate the use of land in order to prevent ill-planned and haphazard urbanization in or around towns for development of infrastructure sector and infrastructure projects for the benefit of the State of Haryana and for matters connected therewith and incidental thereto. In order to check the sub-division of the land, the provision of Section 7A was inserted by Haryana Act No. 11 of 1989 in the Act No. 8 of 1975.

It is further informed that Section 7A of Act of 1975 was amended by Haryana Act No. 17 of 2020 vide which the existing provisions of 'two kanals and 'agriculture land' requiring NOC before registration of land in the areas notified under Section-7A were replaced by 'one acre' and 'vacant land' respectively in order to provide for an effective deterrence against unauthorized colonization as it was observed that two kanal area was a small threshold which does not discourage illegal sub-division of land for unauthorized colonies. The requirement of NOC for transfer through gift deed was also included along with the requirement of NOC for transfer to sale and lease deeds.

It is pertinent to mention here that as per provision of Section 7A, the 30 days time limit for grant of such NOC has been specified. The software for issuance of such NOC online has been made functional since September, 2020 by NIC, Haryana, which is running smoothly and the applications are being decided within the prescribed timelines.

With regard to the issue raised regarding observations /order of Hon'ble Punjab and Haryana High Court in CWP No. 23330 of 2015, it is submitted that the said CWP stands disposed off vide orders dated 10.07.2020. Sh. Raj Singh Gehlot and others have preferred Special Leave Petition (SLP) No. 11480 of 2020 against the order of Hon'ble High Court. The Hon'ble Supreme Court of India ordered on 08.10.2020 that no coercive action to be taken by any of the authorities. State of

Haryana has also filed SLP No. 14797 of 2020 against the said orders of Hon'ble High Court and same was tagged with SLP No. 11480 of 2020 by Hon'ble Supreme Court of India. The case is likely to be listed on 21.03.2022 as per information available on the website of the Hon'ble Supreme Court of India.

Since, the matter is subjudice in the Hon'ble Supreme Court of India, therefore, it is not required to have a debate on the matter in the Vidhan Sabha.

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, उप–मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे साफ पता चलता है कि सरकार स्वयं यह बात स्वीकार करती है कि रजिस्ट्रियों में बहुत बड़े–बड़े घोटाले हुए हैं। अभी कल का ताजा उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने हलके करनाल के अंदर रजिस्ट्री घोटाले में तहसीलदार को पकड़ने का काम किया गया है। रजिस्ट्रियों में जो गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ियां सरकार स्वयं कराने का काम कर रही है और सरकार के संरक्षण में ही यह सब कुछ हो रहा है। अब मैं एक बड़ा उदाहरण सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश में 22 जिले हैं और इन सभी 22 जिलों में नियुक्त तहसीलदारों को अपने–अपने जिले में रजिस्ट्री करने का काम सौंपा गया है। गुड़गांव जिला सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक जिला है। यहां पर दर्पण सिंह कंबोज नाम का एक तहसीलदार है। इस अकेले तहसीलदार के पास मानेसर, सोहना, पटौदी, फरूखनगर तथा वजीराबाद इन तहसीलों का अतिरिक्त कार्यभार भी इसको दे रखा है जबकि गुड़गांव की हर तहसील के अंदर अलग–अलग तहसीलदार होना चाहिए क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां होती हैं। एक ही आदमी को सारी रजिस्ट्रियों का काम सौंपकर, उससे कमीशन के रूप में पैसा सीधे–सीधे उपर तक जाता है और कमीशन भी 5 परसेंट या 8 परसेंट के हिसाब से फिक्स होता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर आपके पास इनका कोई सबूत हो तो यह सबूत जरूर दे दिए जायें क्योंकि हाउस के अंदर वेग एलिगेशन किसी भी सूरत में नहीं लगाए जाने चाहिए और कोई भी सबूत हो तो वह सबूत जरूर दे दिया जाये।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं सबूत भी दे दूंगा। आपने एक बार सदन में पहले भी जब मैंने ऐलनाबाद इलेक्शन का जिक्र करते हुए बात कही थी तो आपने उस समय भी मुझे सबूत पेश करने की बात कही थी। उस घटना से संबंधित सभी ऐफिडेविट्स तैयार हो रहे हैं, वह भी मैं आपको दूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपको जितने भी सबूत चाहिए, मैं वे सभी सबूत आपको दे दूंगा लेकिन आप उन सबूतों का क्या करोगे ?

श्री अध्यक्षः मैं उन सबूतों को सरकार को सौंपूंगा और सरकार अपनी जिम्मेवारी से उन पर काम करेगी।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं अब नेमवाइज सारी बातें बताउंगा। अध्यक्ष महोदय, 22 तहसीलदारों को अलग–अलग तहसीलें बांटकर दे रखी हैं और उनसे सब चीजें पहले से ही फिक्स की गई हैं। इन सबने 5 से 8 परसेंट पैसा रजिस्ट्रियों के लिए लेने का काम किया है। कईं जगहों पर तो गजों के हिसाब से भी 300 रूपये या 500 रूपये प्रति गज के हिसाब से पैसे लिए जाने का काम किया जा रहा है। बहादुरगढ़ में जो तहसीलदार बैठा है, वह तो गज के हिसाब से ही पैसे लेता है। अब मैं उन तहसीलदारों के नाम बता देता हूँ जिनके पास अतिरिक्त कार्यभार है। संजय तहसीलदार के पास पूंडरी और पेहवा का अतिरिक्त कार्यभार है, अम्बाला कैंट के तहसीलदार के पास शाहबाद का अतिरिक्त कार्यभार है। तहसीलदार रादौर के पास लाड़वा तहसील का अतिरिक्त कार्यभार है। करनाल में राजबख्श तहसीलदार है, जिसके पास नीलोखेड़ी और इंद्री का अतिरिक्त कार्यभार है। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, इस तहसीलदार का काम तो कल कर दिया गया है। माननीय सदस्य मेरी बात को समझ ही गए होंगे।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बातें बता रहा हूँ। अगर आप समय दे देंगे तो सदन के दूसरे सदस्य भी इन तहसीलदारों के नाम बता सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि कितना–कितना पैसा लिया जा रहा है क्योंकि इन सभी सदस्यों का प्रदेश की तहसीलों के तहसीलदारों के साथ रोज वास्ता पड़ता है। इसी तरीके से लोहारू के तहसीलदार के पास सिवानी का अतिरिक्त कार्यभार है। बाढ़डा वाले तहसीलदार के पास चरखी दादरी का अतिरिक्त कार्यभार है। बादली के तहसीलदार के पास बहादुरगढ का अतिरिक्त कार्यभार है, झज्जर वाले तहसीलदार के पास बेरी का अतिरिक्त कार्यभार है। गन्नौर वाले तहसीलदार के

पास गोहाना का अतिरिक्त कार्यभार है। सोनीपत के तहसीलदार के पास खरखोदा का अतिरिक्त कार्यभार है और दर्पण सिंह के पास तो अकेले पाच–छह अतिरिक्त कार्यभार हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया ही है। इसी तरीके से नारनौल वाले तहसीलदार के पास महेन्द्रगढ़ का अतिरक्त कार्यभार है। रेवाड़ी के तहसीलदार के पास बावल का अतिरिक्त कार्यभार है। बड़खल वाले तहसीलदार के पास फरीदाबाद–बल्लभगढ़ का अतिरिक्त कार्यभार है।

श्री अध्यक्षः अभय जी, संबंधित विषय के उपर सप्लीमैंट्री के तौर पर क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से तहसीलदारों को एक–एक जिले के अंदर अलग–अलग सब–डिवीजन दे रखे हैं तो ऐसी अवस्था में वे तहसीलदार सौ फीसदी गड़बड़ करने का काम ही करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या कारण है ? क्या प्रदेश में और तहसीलदार नहीं है ? क्या जो सब–डिवीजन बनाये गए हैं, उनमें जो तहसीलदार लगा रखे हैं, उनको रजिस्ट्रियों का काम क्यों नहीं दिया गया है ? इसी तरह से वर्ष 2017 से लेकर 2021 तक 6 मंडल गुरूग्राम, फरीदाबाद, करनाल, रोहतक, हिसार और अम्बाला ऐसे हैं, जिनमें 64–65 हजार रजिस्ट्रियों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। हरियाणा प्रदेश में लगभग 6 लाख रजिस्ट्रियां एक साल में होती हैं। पिछले समय इसकी जांच करवाई गई थी और वह जांच उस समय के संबंधित डिपार्टमैंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने की थी। उस जांच के दौरान तकरीबन 300 आदमियों के खिलाफ जांच हुई थी। उसमें लगभग 150 के करीब तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल हैं। सरकार ने अब तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है? उन संबंधित अधिकारियों से क्या वसूली की गई है? इस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण के दौरान बिना 7–ए और एन.ओ.सी. के रजिस्ट्रियां बड़े पैमाने पर की गई थी। मैंने इस प्रकार का मामला पहले भी उठाया था और मुझे आश्वासन मिला था कि इसकी जांच करवायेंगे। क्या सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई जांच हुई है? अध्यक्ष महोदय, अकेले गुरूग्राम में 21 हजार रजिस्ट्रियों में गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसे सरकार ने स्वयं माना है। इसी तरह से करनाल में 10 हजार रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पाई गई थी, यह बात भी सरकार ने मानी है। यदि सरकार ने स्वयं माना है कि रजिस्ट्रियों में गड़बड़ियां हुई हैं तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? सरकार ने किसके

खिलाफ कार्रवाई की है? इस संबंध में जो रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव से बनकर आई थी, उस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या संज्ञान लिया है? इस तरह की तमाम बातें सदन के पटल पर आनी चाहिए। उस रिपोर्ट में तहसीलदारों के नाम लिखे हुए हैं, जो इसमें शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, उन सभी दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई या नहीं हुई, सदन के पटल पर बात जरूर आनी चाहिए।

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि केवल 1.99 लाख रुपये रजिस्ट्री के लिये कैश दे सकते हैं लेकिन हमारे मेवात में पांचों तहसीलों में करोड़ों रुपयों की रजिस्ट्रियां कैश में हुई हैं। इतना सफेद व काला धन कहां से आया? इस बात की भी जांच होनी चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पिछले चार साल के तहत लगभग 64–65 हजार रजिस्ट्रियों में गड़बड़ियां हुई हैं। यदि सदन इसका अलग–अलग ब्यौरा चाहेगा तो वह भी बताने के लिये तैयार हूँ। गुरूग्राम में 21 हजार की संख्या है, फरीदाबाद में 22 हजार, करनाल में 10 हजार, हिसार में 1 हजार, रोहतक में 2600 और अम्बाला में भी 2600 रजिस्ट्री घोटाले हुए हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गड़बड़ी करने वाले रेवेन्यू अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा भी बता सकता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, सरकार उन दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सरकार के पास सारा का सारा संबंधित रिकॉर्ड है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इसमें रैवेन्यू अधिकारी 5 शामिल हैं, रजिस्ट्री क्लर्क 87 संलिप्त हैं। सब–रजिस्ट्रार 34 हैं। तहसीलदार 130 हैं, नायब तहसीलदार 94 हैं और पटवारियों की संख्या 176 है। क्या इन सभी संबंधित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? यदि सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है तो उसका क्या कारण रहा है? यह बात भी सदन के पटल पर आनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा घोटाला है। प्रदेश में हर साल तकरीबन 6 लाख रजिस्ट्रियां होती हैं और यदि एक रजिस्ट्री पर एक लाख रुपये की एवरेज आती है तो यह महान सदन स्वयं अंदाजा लगा सकता है कि कितने लाखों करोड़ों रुपयों का इसमें घोटाला हुआ होगा। यह सारा का सारा पैसा कहां पर जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस सारे मामले की जांच

करवायेंगे तो उन्हें स्वयं पत लग जायेगा कि उनकी नाक के नीचे कितना बड़ा घोटाला प्रदेश के अंदर हो रहा है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने इसका विवरण पूरी तरह से दिया हुआ है। यदि माननीय सदस्य एक–एक तहसील का ब्यौरा पूछेंगे तो उसका भी पूरा ब्यौरा दे दूंगा कि कहां–कहां पर वॉयलेशन हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि स्टाम्प शुल्क चोरी एक रुपये की भी नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि वॉयलेशन क्या है, क्या 7–ए की परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी? इस संबंध में डिवीजन कमिश्नर के माध्यम से पूरे हरियाणा में इंक्वॉयरी हुई थी। इसका डाटा विपक्ष ने, किसी विशेष व्यक्ति ने या व्हिसलब्लोअर ने नहीं दिया बल्कि अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने स्वयं इस संबंध में जो लूपहोल थे उनको पकड़ा और उसकी इंवैस्टीगेशन गुरूग्राम से शुरू की और तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर रेवेन्यू क्लर्क व पटवारी तक सबके खिलाफ एक्शन इनीशिएट किया और उसका विवरण पहले भी इस सदन में दो बार डिटेल वाईज दिया गया है। उस इंक्वॉयरी को हमने वर्ष 2020 के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर अर्थात् वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक जितना भी इस संबंध में डाटा था उसको कलैक्ट करने के लिये आदेश दिया था। हर डिवीजन कमिश्नर ने डाटा के आधार पर कितनी रजिस्ट्रियां बिना 7–ए और एन.ओ.सी. के हुई है, उसका डाटा सरकार को दिया गया। अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर बहुत सी ऐसी लैंड हैं जो एग्रीकल्चर लैंड थी। उस समय के हिसाब से जो लैंड का दो कैनाल का एरिया होता था, उसके अंदर परमिटिड थी। उपायुक्त महोदय को 15 दिन का समय दिया गया है कि तमाम तसहीलदारों को डिटेल के साथ शॉकाज नोटिस के साथ जवाब मांगा जाये जहां–जहां गड़बड़ियां पाई गई हैं। उन दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ अंडर रूल–7 जो हरियाणा सर्विसिज के रूल्ज हैं, उसके तहत कार्रवाई करें। अध्यक्ष महोदय, हम सभी ने देखा है कि पिछले दिनों पटवारी धरने पर बैठे थे, कारण केवल यही था कि उनको भी शॉकाज नोटिस दिये गये थे। किसी प्लॉट के अंदर सड़क निकलती है, पहले तो वह एग्रीकल्चर लैंड थी और गैर मुमकिन दिखा दी गई फिर उसकी रजिस्ट्रेशन हुई। जिसने लैंड यूज एक साल के अंदर–अंदर दो बार बदला है तो उनके खिलाफ हम कार्यवाही निश्चित तौर पर करेंगे। अप्रैल, 2017 से जब से यह प्रोसैस में चेंज होकर डीड रजिस्ट्रेशन हुई है अर्थात् जितनी भी डीड हुई हैं सरकार

ने इसमें कोई आंकड़े नहीं छुपाये हैं। सरकार ने इस संबंध में एक–एक तथ्य सदन के पटल पर भी रखा है और इस संबंध में एक्शन भी लिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां तहसीलदारों के संबंध में बात कही कि किसी के पास पुण्डरी का चार्ज है तो उसके साथ वाली तहसील का भी चार्ज दे रखा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस संबंध में यह कहना है कि आज प्रदेश में तहसीलदारों की कमी है और जो 18 नये भर्ती हुए हैं, उनको भी हमने फील्ड में भेजने का काम किया है। गुरूग्राम में कमी इसलिए है कि वहां पर तीन सब रजिस्ट्रार और पांच ज्वाइंट रजिस्ट्रार को सस्पैंड किया हुआ है। सस्पैंशन के बाद जब वे अपने 6 महीने के पीरियड के बाद रिइंस्टेट हुए तो उनकी फाइल पर लिखा गया कि वे कभी भी एन. सी.आर. के चार जिले जो दिल्ली के सराउण्डिंग हैं, जहां बड़े तौर पर मशरूमिंग हो रही है, उन जिलो में पोस्टिड नहीं हो सकते। नई भर्ती के जो तहसीलदार हैं उनको भी जल्द ही उन तहसीलों में नियुक्ति कर दी जायेगी जहां पर पद रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य के पास ऐसा कोई डाटा है कि एक तहसीलदार को दो–तीन एडिशनल चार्ज है तो उसे लिखकर दे दें हम तुरंत उनको एडिशनल चार्ज से हटा देंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2017 से 2021 तक रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी के मामले में सैकड़ों लोगों के नाम आये थे । उसमें 5 रेवेन्यू अधिकारी, 87 रजिस्ट्री क्लर्क, 34 सब रजिस्ट्रार, कुछ ज्वायंट रजिस्ट्रार, 130 तहसीलदार, 94 नायब तहसीलदार और 176 पटवारी शामिल हैं । इस मामले में रिपोर्ट को आये हुए भी काफी समय हो गया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमने कुछ तहसीलदार और रजिस्ट्रार्ज को सस्पैंड किया था और 6 महीने के बाद वे रिइंस्टेट हो गये तो फिर माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की ? सरकार ने इनकी चोरी कहां पकड़ी और चोर को कहां पकड़ा ? माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने तो केवल और केवल उस बात को दबाने के लिए उन लोगो को छोटी–मोटी पनिशमैंट दे दी । पहले उनको सस्पैंड कर दिया और फिर 6 महीने के बाद बहाल कर दिया । इस पर सरकार कह देगी कि इनको बहाल तो हमने नहीं किया बल्कि इनको बहाल तो कोर्ट ने किया है । कोर्ट तो इनको तभी बहाल करेगा जब सरकार पैरवी में कुछ कमियां छोड़ेगी अदरवाइज कोर्ट इनको बहाल कैसे कर

देगा ? मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि जब किसी ने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है ? एक्शन नहीं हो रहा है । उनको कैसे बचाया जाए इसके लिए सफाई दी जा रही है । हम यहां सफाई सुनने नहीं आये हैं । हम तो यह जानने के लिए आये हैं कि सरकार ने उनके खिलाफ क्या एक्शन किया है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास ए.सी.एस. की रिपोर्ट आई थी जिसमें सैकड़ों लोगों पर कार्यवाही करने की मांग की गई थी और उनके दोषी होने का कारण भी बताया गया था । उनके खिलाफ अब तक क्या एक्शन हुआ है ?

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से माननीय सदस्य ने मेरा जवाब ध्यान से नहीं सुना । जो 3 सब रजिस्ट्रार और ज्वॉयंट रजिस्ट्रार गुरूग्राम में चार्जशीट हुए थे हमने उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी । उनके खिलाफ इनवेस्टिगेशन ओनगोइंग है । जैसे–जैसे इनवेस्टिगेशन का कोर्स बढ़ेगा और जो सजा कोर्ट ने देनी है वह तो कोर्ट देगा । जहां तक बात सारी डीड्स पर कितने लोगों की इनवॉल्वमैंट की है तो उसमें 133 सब रजिस्ट्रार, 97 ज्वायंट रजिस्ट्रार, 156 रजिस्ट्री क्लर्क और 381 पटवारी शामिल हैं । इनको तहसीलदारों ने कारण बताओ नोटिस दिया हुआ है और इसका जवाब देने के लिए इनको 15 दिन का समय दिया गया है । जो कारण बताओ नोटिस डिप्टी कमिशनर के लेवल पर जाने थे, वे उसके लेवल पर भेज दिये गए हैं। इसके अतिरिक्त जो कारण बताओ नोटिस एफ.सी.आर. के लेवल पर जाने थे, वे उसके लेवल पर भेज दिये गए हैं। इनकी तरफ से संबंधित कारण बताओ नोटिसिज के जवाब 15 दिनों के अन्दर आते रहेंगे और further proceedings as per rules of Civil Services के अनुसार सरकार आगे कदम उठाएगी।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही चीज जानना चाहता हूं, इसलिए मुझे अपनी बात रखने के लिए एक मिनट का समय दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने क्लीयर कह दिया है कि इसमें एक्शन इनिशिएट हो गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात रखने के लिए 1 मिनट का और समय दे दें।

श्री बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सैनी साहब, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, हाउस में यह बहुत ही इम्पोर्टैंट विषय चल रहा है, इसलिए मैं भी इस पर अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: सैनी साहब, यह इम्पोर्टैंट विषय है तभी तो इस पर चर्चा कर रहे हैं। सदन नियमों के तहत ही चलता है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही बात जानना चाह रहा था कि गुरूग्राम के जिन रजिस्ट्रार्ज और सब रजिस्ट्रार्ज की बात कर रहे थे, सरकार ने उनके खिलाफ एफ.आई.आरज. दर्ज करवा दी हैं। उनको सस्पेंड कर दिया था तो फिर वे बहाल कैसे हो गये ? मैं यह जानना चाहता हूं कि वे बहाल कैसे हो गये ? उनको किस आधार पर बहाल किया गया है ? अगर वे चोर थे, डकैत थे या गलत काम कर रहे थे इसीलिए उनके खिलाफ एफ.आई.आर. लॉज हुई और विभाग ने उनके खिलाफ सस्पैंशन के ऑर्डर किये। अगर उनको बहाल किया है तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई न कोई गड़बड़ हुई है। फिर तो प्रदेश में 5 प्रतिशत या 8 प्रतिशत कमीशन देने वाली जो बात चल रही है, वह गलत नहीं है, वह बिल्कुल सही है। सरकार ने इस प्रदेश को लूटने का एक जरिया बना लिया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताया जाए कि उनको बहाल कैसे किया गया है ? इस बात का जवाब दिया जाए।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में माननीय सदस्य पहले ही खुद बोल कर हटे थे कि वे कोर्ट से बहाल होकर आये हैं। अब खुद ही पूछ रहे हैं कि वे कैसे बहाल होकर आ गये हैं ?

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं यही पूछना चाहता हूं कि अगर उनको सस्पेंड कर दिया था तो वे फिर बहाल कैसे हो गये ? इसका मतलब यह है कि सरकार द्वारा कोई कमी छोड़ी गयी है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य को अपनी बात पर खुद ही विश्वास नहीं है तो मैं इसका जवाब क्या दूं ?

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है। माननीय कोर्ट के आदेशों को सबको मानना पड़ता है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इन्क्वायरी ढंग से करवाकर नहीं भेजेगी तो उसमें कोर्ट क्या कर सकता है ?

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब इस पर माननीय सदस्य श्री बलराज कुंडू जी सप्लीमैंट्री पूछेंगे।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, आप इस पर सिर्फ सप्लीमैंट्री ही पूछें।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले भूमिका बनानी पड़ेगी। इस विषय पर माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी बात रखी है। अभी मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन के पटल पर रखा गया रिप्लाई पढ रहा था। इसमें लिखा हुआ है कि जून, 2020 में रिपोर्ट आ चुकी थी। इस रिपोर्ट में सरकार मानती है कि जून, 2020 में दोष प्रूव हो गया था। यानी पौने 2 साल पहले यह बात प्रूव हो चुकी थी। मेरे पास एक अखबार की कटिंग है जिसमें कल करनाल के तहसीलदार और डी.टी.पी. की मिलीभगत का पूरा खेल लिखा हुआ है। यानी पौने 2 साल का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इस विषय पर मेरे से पूर्व बहुत से माननीय सदस्यों ने पूरा डाटा बता दिया है कि कहां– कहां पर कितनी रजिस्ट्रीज हुई हैं। इस दौरान कम से कम 65,000–70,000 रजिस्ट्रीज हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपने रिप्लाई में लिखा है कि जून, 2020 में उनके पास रिपोर्ट आ गयी थी कि 7– ए के तहत गलत रजिस्ट्रीज की जा रही हैं और उनमें अनियमितताएं बरती जा रही हैं। पौने 2 साल में आज तक या तो सरकार इस चीज को कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं है या इसमें मिलीभगत से सारा खेल खेला जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उनके पास तहसीलदार की कमी है। अगर इनको उस समय तहसीलदार की कमी लग रही थी तो पौने 2 साल तक उनकी रिक्रूटमैंट क्यों नहीं की गई ? यह इस बात का कोई जवाब नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेवारियों से न भागे। इसमें दोनों चीजों में एक चीज को असैप्ट करें। वे इसमें कार्रवाई करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं। यानी इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते या इनकी भी इसमें मिलीभगत है। इसमें दोनों में से एक चीज है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात पूछना चाहता हूं। यह रिपोर्ट मेरी नहीं है बल्कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी की रिटन रिपोर्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जून, 2020 में माना है कि रजिस्ट्रीज

की अनियमितताओं वाली रिपोर्ट उनके पास आयी है। यह रिपोर्ट माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गयी है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि मशरूमिंग का मामला आज का नहीं है। बल्कि सन् 1980 के दशक में कानून बना था जिसमें टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग विभाग द्वारा 7–ए की रिस्ट्रिक्शन लगायी गयी थी। इसमें निरन्तर बदलाव आते रहे हैं जिसमें 1 हेक्टेयर को 2 कनाल किया गया और 2 कनाल को 1 एकड़ किया गया। इस 1 एकड़ को हम सबने सदन में मिलकर पास किया है। माननीय सदस्य जिस वर्ष 2020 की बात कर रहे हैं, उसके बाद कानून है कि प्रदेश में कोई भी डीड रजिस्र्ड करवानी है तो वह ऑटोमैटिक है। इसको WEB-HALRIS Haryana के माध्यम से करवा सकते हैं और इसके माध्यम से हर चीज मॉनिटर्ड है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको दो एन.ओ.सी. लेनी रिक्वायर्ड होती हैं। पहली एन.ओ.सी. अबर्न लोकल बॉडीज की होती है, जिसमें आपके पास प्रोपर्टी आई.डी. होनी चाहिए। आपके हर प्रकार के ड्यूज चाहे प्रोपर्टी टैक्स की बात हो, चाहे डिवैल्पमैंट की बात हो, ये पेड ऑफ होने चाहिएं। उसके बाद आपको एन.ओ. सी. उपलब्ध होगी। एक एन.ओ.सी. दूसरे नम्बर की आपके लिए जरूरी होती है, वह जरूरी सैक्शन 7–ए की एन.ओ.सी. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग देता है और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की एन.ओ.सी. का कानून बनाया गया है कि 30 दिन के अंदर–अंदर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के कंसर्ड ऑफिसर हैं, वे मौके पर जाकर साइट का विजिट करेंगे और विजिट करके वहां पर मौके पर देखेंगे कि यह एग्रीकल्चरल लैंड है या कमर्शियल लैंड है। इसके अलावा ये ऑफिसर्ज यह चीज भी चैक करेंगे कि उसके पास एक एकड़ भूमि से कम है या नहीं है, वह एन. ओ.सी. लीगल है या इल्लीगल है और वहां पर मसरूमिंग तो नहीं है ये सारी चीजें देखी जायेगी। उसके बाद ही उसको एन.ओ.सी. दी जायेगी। वर्ष 2020 के बाद से आज तक का डाटा है, वह मैं माननीय सदस्य को अलग तौर पर उपलब्ध करवा दूंगा, जिसके अंदर हजारों एन.ओ.सीज. की रजिस्ट्रेशन हुई हैं। अभी करनाल का जो मामला सामने आया है क्योंकि यह मामला अभी अंडर इनवेस्टिगेशन है। मैं माननीय सदस्य के साथ इतनी ही बात सांझा कर सकता हूं क्योंकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डी.टी.पी. को हमारी सरकार के विजिलैंस विभाग ने पकड़ा है और जब उसको पकड़ा गया तब इस बात का पता चला कि वह एन.ओ.सी.

अप्रूवल के लिए पैसा लेता था। हमारी सरकार ने उसको तुरन्त रिमांड पर ले लिया है। उस इनवेस्टिगेशन में यह बात भी सामने आई कि उसके साथ कुछ पुराने लेन देन किसी तहसीलदार के थे, कल उस तहसीलदार को भी विजिलैंस की टीम ने अरेस्ट कर लिया है और साथ में जितने और कंसर्ड लोग इस नेक्सेस में जुड़े हुए हैं, उनको भी विजिलैंस की टीम अपनी कार्रवाई के तहत अरेस्ट कर रही है और इन अधिकारियों के खिलाफ हमारी सरकार सी.आर.पी.सी. के माध्यम से सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है मैं इनकी बात मानता हूं कि इस तरह से एन.ओ.सी. लेने का प्रावधान है। हम जिस घोटाले की बात कर रहे हैं, यह घोटाला इसी का नाम है। वह एन.ओ.सी. नहीं ली गई या जिस प्रकार से करनाल का खेल है कि पैसे लेकर झूठी एन.ओ.सी. देने का काम किया गया। इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं। जो प्रावधान है, एज पर लॉ है और वह हमने सदन में बैठकर बनाया है। उसी के तहत ये चीजें आ रही हैं कि वहां पर एन.ओ.सी. नहीं ली गई। यह जो ताजा–ताजा करनाल का इशू सामने आया है। वह पैसे लेकर एन.ओ.सी. दे रहा था लेकिन वह गलत तरीके से एन.ओ.सी. दे रहा था। वह अधिकारी सैक्शन 7–ए के तहत पैसे लेकर एन.ओ.सी. दे रहा था। मैं इसी बात का जिक्र सदन में बार–बार कर रहा हूं। जो गड़बड़ घोटाला है और 66000 से लेकर 70000 तक रजिस्ट्रीज गलत तरीके से की गई हैं, इनमें सरकार ने अपनी रिपोर्ट में तो यह बात मानी है कि वे गलत हुई हैं और सही तरीके से एन.ओ.सी. नहीं ली गई थी। मैं भी उसी बात पर अपनी बात कह रहा हूं कि सरकार ने इन पौने दो सालों में ऐसे क्या–क्या प्रावधान किये हैं और सरकार इन पौने दो सालों तक इस तरह की चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सरकार के नोटिस में यह बात वर्ष 2020 में आ गई थी।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, मैं एक चीज बार–बार सदन में कह रहा हूं कि हर चीज को घोटाला, स्कैम का नाम दे देना, कहीं न कहीं यह गलत बात है। सरकार को कहीं पर भी इररैगुलैरिटीज मिलती है तो सरकार ने इन सभी इररैगुलैरिटीज को पकड़ने का काम किया है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी काम किया है। क्या इतिहास में ऐसा प्रावधान था कि कभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से एन.ओ.सी. ली जाती थी या नहीं ली जाती थी। यह प्रोविजन भी हमारी सरकार ने

करने का काम किया है। अगर इसके अंदर कोई भी इररैगुलैरिटीज करता पाया गया तो क्या हमारी सरकार ने उसको बख्शा तो मैं समझता हूं कि उसको हमारी सरकार ने नहीं बख्शा। हमारी सरकार ने उस नेक्सेस में जुड़े हुए लोगों को तुरन्त अरेस्ट करने का काम किया है। पहले एन.ओ.सी. यू.एल.बी. विभाग से ली जाती थी। अगर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की एन.ओ.सी. में इररैगुलैरिटीज मिलती है तो हमारी सरकार में किसी भी दोषी अधिकारी/कर्मचारी को बख्शा नहीं जायेगा। हमारी सरकार ने तमाम लोगों के विरूद्ध एक्शन प्रोसिड किये हैं और इतने बड़े स्केल पर आज तक के इतिहास में किसी प्रदेश में इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया, जितना हमारी सरकार ने लिया है। हमारी सरकार प्रदेश में नेक नियत के साथ काम कर रही है और इसके अलावा पूरे प्रोसैस को सिम्पलीफाई और क्लीनअप करने का भी काम कर रही है। माननीय सदस्य को सरकार को एप्रीशियट करना चाहिए कि हां, पिछले दो सालों में रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड का रेवेन्यू है, वह मल्टीप्लाई हुआ है। अगर माननीय सदस्य इसका डाटा ईयरवाइज चाहते हैं, तो हम देने के लिए तैयार हैं। एक–एक चीज की 14 अलग–अलग तरह की रजिस्ट्रीज होती हैं। माननीय सदस्य बात कर रहे हैं तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वह केवल मात्र लैंड रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है, आज लीज डीड भी होती है और वह भी विदिन फैमिली के साथ रजिस्ट्रेशन होती है। जब कोई व्यक्ति कॉमर्शियल एक्टिविटीज करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी होती है। मैं एक सिम्पल प्वॉयंट पर अपनी बात कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों पर सरकार ने अपनी तरफ से सख्त से सख्त कार्रवाई की है और मैं दोबारा सदन में कह देता हूं कि जो भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी होगा, उनको बख्शा नहीं जायेगा।

श्री बलराज कुण्डू: अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसको क्लोज करने का टारगैट 2024 रखा गया है । इसको दो साल तो हो गए हैं और क्या दो साल बाद इसको पूरी तरह से क्लोज करोगे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शोर्ट में करूंगा और मेरी बात दो मिनट में हो जाएगी । हमें सबसे पहले यह सोचना है कि घोटाले क्यों हो रहे हैं । जब तक तहसीलों में आम और खास का फर्क खत्म नहीं होगा तब तक गरीब आदमी ऐसे ही परेशान होगा । मैंने अपना कालिंग अटैंशन 14318 रजिस्ट्रयों पर लगाया है। यह प्रैक्टीकली पोसीबल नहीं है कि इन सब पर मैं यहां चर्चा करूं

लेकिन मैं कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत करूंगा । मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस मामले में संज्ञान इसलिए लें क्योंकि वे वित मंत्री भी हैं । बजट में हमेशा सुझाव पूछे जाते हैं कि सरकार की आय कैसे बढ़े, सरकार की आय कैसे बढ़े । मेरी विधान सभा क्षेत्र में पिंकी और प्रीति दो सगी बहनें थीं । कोर्ट कचहरी के चक्करों में उनका ससुर मर गया । उनका 100 गज का प्लाट था । ससुर साहब ने कहा कि मैं यह प्लाट अपनी बहुओं के नाम कर देता हूं, ये दोनों मेरे बेटों की बहुएं है। इनको कोर्ट कचहरी के धक्के खाते खाते और ओवर रजिस्ट्री का बर्डन करते करते 2019 से 2022 हो गया और ससुर साहब गुजर गए लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ । यह बात तो हुई आम आदमी की । अध्यक्ष महोदय, अब मैं खास आदमी की बात बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह लैटर मेरा नहीं है बल्कि यह लैटर 9.8.2021 का नगर निगम फरीदाबाद का है । ये कहते हैं कि 500 रूपये की एन.ओ.सी. ड्यू है तो प्रोपर्टी आई.डी. जनरेट नहीं होगी । सराय ख्वाजा की जमीन है और नगर निगम फरीदाबाद कहती है कि हमने इस फैक्ट्री वाले से 24 करोड़ रूपये लेने हैं इस प्लाट के टुकड़े से और वे भी 31.12.2020 तक के इ.डी.सी. और आई.डी.सी. के कैलकुलेटिड हैं और 17 लाख 82 हजार 448 रूपये दूसरे मद के हैं। आपस में मिष्ट गोष्ठ, सांठ गांठ करके सब उपर से नीचे तक के लोग रंगे हुए हैं कि इसकी रजिस्ट्री कर दो। अध्यक्ष महोदय, होता क्या है, जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि हमने सस्पैंड कर दिए लेकिन 6 महीने बाद वे बहाल हो गए। यह मेरा पर्सनल सुझाव है कि एक सरकारी कर्मचारी के लिए सस्पैंशन कोई सजा नहीं है । इज द प्रिवीलेज । सस्पैंशन ऐसा समझो जैसे मान लो कि हमने घर में कोई नौकर रखा, हमने उसको कहा कि तू आज के बाद काम को तो हाथ मत लगाना और घर बैठे 75 परसैंट तनख्वाह ले ले बाद में उसको या तो डी.सी. रियायत दे देंगे या कमिश्नर रियायत दे देंगे या सरकार में कोई अम्बार भाई पकड़ कर चला जाएगा और पीछे की भी तनख्वाह मिल जाती है । अध्यक्ष महोदय, ऐसे भ्रष्ट अफसरों को तो सबसे पहले बोलो कि एन.सी.आर की हवा नहीं लगने देंगे। फरीदाबाद और गुड़गांव में कोई सोमनाथ जी का मंदिर नहीं है, वहां कोई पिंडा नहीं रखा कि यहां आओ, दूध चढ़ाओ और चले जाओ । आप उसको पब्लिक डीलिंग से दूर रखिए । आप 10 लोगों को भी पब्लिक डीलिंग से दूर रखोगे तो उन्हें पता लगेगा कि बच्चे कैसे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल की तरफ शिफ्ट होते हैं । मंत्री जी बार बार डाटा देते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ रही है। आप गर्व से

कहेंगे कि देखो हमारा हरियाणा स्टेट ऐसा है जहां 10 हजार सरकारी कर्मचारी हैं जिनमें से 6 हजार के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा । यह बड़खल तहसील के पटवारी का है । इन्कवायरी के लिए मामला आया । एक साल इन्कवायरी चली । लिखा गया कि सैक्शन 7 के तहत कार्यवाई हो । मुख्यमंत्री जी, जो ये आउट ऑफ काडर के अफसर आ रहे हैं जिनको जमीनी ज्ञान नहीं हो पाता । जब ये इन्कवायरी चल रही थी । इस पटवारी का उस रेंज से तबादला हो गया । डी.सी. साहब आए और आते ही सबसे पहले सिंगल आर्डर जिसने उस आदमी को परेशान किया उसी पटवारी को वहां लगा दिया । मैंने डी.सी. साहब को फोन किया कि डी.सी. साहब अभी इन्कवायरी चल रही है । एफ.सी.आर. के लैटर्ज मेरे पास हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं ये सारे कागज आपके पास पहुंचा दूंगा । आपने इन्कवायरी करने की बजाय और उस पर एक्शन लेने की बजाय उस पटवारी को फिर वहीं लगा दिया तो डी.सी. साहब का जवाब आता है कि नीरज जी, मुझे यह पता नहीं था और तबादला करने के बाद पता लगा कि वह पटवारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है । आप बेफिक्र रहो वह दोबारा से ऐसा काम नहीं करेगा । अध्यक्ष महोदय, जिले के डी.सी. को पता है कि वह पटवारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके तबादले के लिए सिफारिश करनी पड़ रही है क्यों, क्योंकि वे तीन साल के लिए आएंगे । उनको फरीदाबाद और गुड़गांव चाहिए और फरीदाबाद और गुड़गांव के अलावा तीसरा जिला नहीं चाहिए जबकि डेपुटेशन के समय उनको लिखा जाता है कि पूरे हरियाणा के लिए वे कहीं भी सेवाएं दे सकते हैं । मुख्यमंत्री जी, हमारे काडर को भी प्रमोट करो और जो आई.ए.एस. बाहर से आते है उनको फरीदाबाद, गुरूग्राम के अलावा बाकी जिले भी दिखाए जायें। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी जमीनों का किस प्रकार से दोहन हो रहा है। इस बारे में मैंने दिनांक 02.11.2021 को प्रश्न लगाया था ।

श्री अध्यक्षः नीरज जी, आप तो पूरी हिस्ट्री खोलकर बैठ गये हैं, प्लीज आप इस विषय पर सप्लीमैंट्री पूछें।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर ही आ रहा हूं। मैं 64,318 रजिस्ट्रियों पर चर्चा नहीं कर सकता। सर, मेरी आखिरी बात सुन ली जाये यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह म्यूटेशन न. 37,597 है यदि रजिस्ट्री हुई है तो ही म्यूटेशन न. है। कस्टोडियन और वक्फ बोर्ड की जमीन है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उन जमीनों की रखवाली करे। गोछी का मैंने प्रश्न लगया था लेकिन उसका जवाब

अभी नहीं मिला और सैशन में कहा गया कि जवाब बाद में दिया जायेगा। मैं उप–मुख्यमंत्री जी को मोटेशन भी भिजवा रहा हूं और टेबल भी करूंगा। यह म्यूटेशन न. 37,597 है इसकी उप–मुख्यमंत्री जी स्वयं जांच करवा लेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। उसके बाद नीरज शार्मा को कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा। माननीय अभय चौटाला जी जब बात कर रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि तहसीलदारों की कमी है। तहसीलदारों के हिसाब से तहसीलों पर बोझ ज्यादा है। 90 विधान सभाओं में से केवल मेरी ही एक ऐसी विधान सभा है जिसमें तहसील नहीं है। मेरी विधान सभा को बिना तहसील के न रखें। सरकार सबका साथ, सबका विकास की बात करती है इसलिए मैं मांग कंरूगा कि मेरी विधान सभा में भी एक तहसील खोली जाये। अध्यक्ष महोदय, सरकार जी.पी.ए. की तरफ भी विशेष ध्यान दे प्रोपर्टी फरीदाबाद की होती है और उसकी जी.पी.ए. नोयडा, झारखंड में क्यों हो रही हैं। जब जमीन फरीदाबाद की है और उसको बेचने तथा खरीदने वाले भी फरीदाबाद के हैं तो फिर जी.पी.ए. बाहर से होकर क्यों आती हैं। ये सारी जी.पी.ए. फर्जी हैं इसलिए उनकी तरफ विशेष ध्यान दें।

श्री अध्यक्षः नीरज जी, आपका समय हो गया है, प्लीज अब आप बैठे।

श्री नीरज शर्माः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने म्यूटेशन के बारे में पूछा है। मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिला । कृपा निम्नलिखित कागज को प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बना ले।

श्री अध्यक्षः ठीक है आप लिखकर दे दो इसे प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बना लिया जायेगा।

***श्री नीरज शर्माः** आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा कि इन रजिस्ट्रियों पर तो काफी चर्चा हो गई, लेकिन इन भू माफियाओं के इतने हाथ बढ़ चुके हैं कि हमारी और आपकी समझ के बाहर हैं इसके लिए हमें सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, यह सरकार के रैवेन्यू बढ़ाने का मुद्दा है। दिनांक 09 अगस्त 2021 को नगर निगम फरीदाबाद चिट्ठी लिखती है कि सभी रजिस्ट्रार फरीदाबाद में बड़खल का एक किला खसरा नम्बर है, इसका 24 करोड़ रूपये बकाया है। इसलिए इसकी रजिस्ट्री न की जाएं। जो 24 करोड़ रुपये बकाया है उसके लिए दुनिया भर के रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन यह पिंकी और प्रीति दो सगी बहनों

———————————

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

का जो केस है जिनकी शादी एक ही घर में हुई है, उनका 100 गज का मकान है और ये दोनों 2019 से अब तक धक्के खा रही हैं और भू–माफिया मजे कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण सरकार ने बड़े लम्बे चौड़े बोर्ड भी लगाए थे। हार्डवेयर चौंक जमीन घोटाला, पूरी पुनर्वास की जमीन थी। डोक्यूमैंट नं 14714 है, जमीन ट्रांसफर आई.एच.आई. कंपनी को हो रही है उसके बाद वही जमीन उसी दिन डाक्यूमैंट नं 14737, 9 आदमियों में ट्रांसफर हो जाती है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी अभी मालिक ही नहीं बनी। 2014 में जिन आदमियों के नाम रजिस्ट्री हुई है, उनसे 2006 से ही पैसे लेने चालू कर रखे हैं। सरकारी जमीन है किसको अलाट होगी। किसकी नहीं है, तो यह सब मिलीभगत से ही हो रहा है।

जिस हिसाब से सरकार का वादा था कि हार्डवेयर जमीन घोटाला की जांच करवाएंगे, मैं चाहूंगा कि इसकी आज जांच करवाये। आज 7 साल हो गए क्या निकल कर आया, फरीदाबाद नगर निगम को 2 रुपये की आमदनी नहीं हुई। इतनी बेश कीमती जमीन शहर से छिन गई सिर्फ हुआ क्या है कई लाखों का बिल तो नगर निगम का बन गया है लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हुआ । इसमें मेरा इतना ही कहना है कि इस भ्रष्टाचार रूपी दानव को आप किसी न किसी तारीके से रोके। सब अधिकारी एक दूसरे पर बात डाल देते हैं इसलिए आप इस पर सख्त से सख्त कदम उठाये।

मेरे द्वारा विधान सभा में प्रश्न पूछा गया कि गोच्छी में वक्फ बोर्ड की जमीन कितनी है, विधान सभा में जवाब के लिए समय मांगा गया कि जल्द ही आपको इसका जवाब दिया जाएगा। आज 3 माह बाद भी उसका झूठा–सच्चा जवाब नहीं दिया गया। इंतकाल नंबर 37,597 है जिसकी कॉपी मैं टेबल कर रहा हूं आप स्वयं जांच करवायेंगे तो पता चल जायेगा की भू–माफिया कैसे सरकारी जमीनें खा रहे हैं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, बड़े विस्तार से मैं सारी बातें सुन रही थी। सबसे पहली बात यह है कि सरकार ने स्वयं माना है कि 58,000 रजिस्ट्रियों में वायलेशन आफ रूल हुआ है और गलत तरीके से ये रजिस्ट्रियां हुई हैं। मंत्री जी ने कहा है कि कहीं भी इन रजिस्ट्रियों में स्टांप ड्यूटी के एक पैसे का भी सरकार को लोस नहीं हुआ है । I think this is the most absurd thing. ठीक है स्टांप ड्यूटी का लोस सरकार को नहीं हुआ होगा लेकिन जो धज्जियां इन रजिस्ट्रियों में सैक्शन 7 ए की उड़ाई गयी हैं और 50,000 अवैध प्लाट, दुकानें, घर और ऐसी

जमीनें जिसके तहत रजिस्ट्रियां करवाई गयी हैं। जिससे गरीब आदमी तो बिल्कुल वंचित हो गया और कालोनाईजर बनाकर/बेचकर पार हो गये। जब कोरोना महामारी में बुरा हाल हो रहा था और लोग दर–बदर की ठोकरें खा रहे थे। बचने की कोशिश कर रहे थे उस समय में भी धडल्ले से ये रजिस्ट्रियां हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, यह देखने वाली बात है। मैं यह बात पूछ रही हूं कि जिन ऑफिसर्ज ने यह काम किया उनमें से 6 ऑफिसर्ज/ऑफिशियल्ज पर कार्यवाही हुई थी। लेकिन बाद में उनको परमोशन दे दिया गया है। नीरज शर्मा जी ने यह सही कहा है कि अधिकारियों को सस्पैंड करके छोड़ दो तो उसके बाद वे आराम से घर में मौज करते हैं। यह तो उनके लिए अच्छी बात हो गई। फिर कुछ दिन बाद दोबारा से उनको लगा दो। इस प्रकार की कार्रवाई धड़ल्ले से सरकार के नाक तले हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इसमें सारी गाज पटवारियों पर डाल दी गई। क्या अकेले पटवारियों के लेवल पर इतनी बड़ी रजिस्ट्रियां कोरोना काल में हो गई। जब तक ये तार ओर कहीं नहीं जुड़े होंगे तब तक ऐसी रजिस्ट्रियां नहीं हो सकती थी। यही सच्चाई की बात है। अध्यक्ष महोदय, हर तरीके से यहां सारी की सारी बातें कही गई हैं और बताया गया है कि सारे का सारा रिकार्ड आनलाईन है। कुण्डू जी ने भी कहा कि पोने दो साल का समय हो गया है अभी तक कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। यदि आज यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लाया जाता तो ऐसे ही काम चलता रहता और कार्रवाई भी ऐसे ही चलती रहती। आज पोने दो साल हो चुके हैं और सारा हरियाणा देख रहा है कि किस प्रकार से ये रजिस्ट्रियां हुई थी । श्री अभय सिंह चौटाला जी ने जो बात कही वह बिल्कुल सही है कि नीचे–नीचे तहसीलदारों की बोली लगती है। जो मलाई वाले ऐरिया गुरूग्राम तथा फरीदाबाद के हैं वहां पर उस बोली के बाद तहसीलदारों को लगाया जाता है। यह बोलने की बात नहीं है, हम सब जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है। What is this, I want to ask पोने दो साल का समय हो गया है अभी तक कार्रवाई पूरी नहीं की गई है और ये रजिस्ट्रियां कोरोना काल में हुई हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि स्टाम्प ड्यूटी का कोई नुक्सान नहीं हुआ लेकिन जो यह गलत तरीकें से रजिस्ट्रियां हुई हैं और वे वहां पर पनप गये हैं। उनका क्या होगा और उसकी भरपाई कौन करेगा ? प्रदेश में घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं। नगर परिषद भिवानी में भी घोटाला हुआ है उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ''अंधेर नगरी चौपट राजा ।''

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नीरज शर्मा जी ने तीन केस रखे पहले के बारे में उन्होंने स्वयं माना है कि मैटर सबज्यूडिस है । जब कोई केस अंडर लिटीगेशन है तो कोर्ट के आदेशानुसार रजिस्ट्रार प्रतिबंधित हो जाते हैं कि खसरा न. और उस डीड पर ऐक्शन नहीं लें । जहां तक सराय ख्वाजा की बात की गई इसके कागज माननीय सदस्य ने आज मुझे दिये हैं। इस पर मैं इंक्वायरी मार्क करूंगा कि नो डयूज के बिना कोई रजिस्ट्री हुई है तो उस अधिकारी को तुरंत सस्पैंड करेंगे और सख्त ऐक्शन भी लेंगे। तीसरा केस माननीय सदस्य ने मुझे दिया है उसका ये प्रोपर विवरण नहीं दे पाये यह म्यूटेशन न. 37597 है। मैं चाहूंगा माननीय सदस्य इसकी अलग से डिटेल मुझे दे दें। इसको हम वेरीफाई करवा लें कि एग्जैक्टली मैटर कंसर्ड क्या था। यह म्यूटेशन संख्या धारा न. 7 ए के ऐरिया में पड़ता है या नहीं पड़ता है यह देखना पड़ेगा। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव section 7 of the Haryana Development and Regulation of urban Areas Act, 1975 के बारे में है। इसी तरह से श्रीमती किरण चौधरी जी ने बात कही कि यह सब कैसे हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको डिटेल्ड आनसर में भी रिप्लाई कर चुका हूं कि हमनें सभी कमीश्नरेट में इंक्वायरी की है, न केवल मात्र एक गुरूग्राम में। इसमें तीन साल की सभी डीड्स का डाटा और उसमें स्पेसिफिक्ली 7 ए की डीड्स कितनी हुई और उसमें 7 ए की परमीशन ली गई या नहीं ली गई माननीय सदस्या स्वयं मंत्री रही हैं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, सारा डाटा ऑनलाईन है फिर इसमें इतना समय क्यों लग रहा है?

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में माननीय सदस्या ने ट्रेंड बना लिया है कि बिना सुने ही काउंटर क्वैशचन कर दें। माननीय सदस्या वकील रही हैं। मैं इनका जवाब दे रहा हूं ये सुनने की आदत डाले। हमनें 7 ए के डाटा को प्रत्येक कमीशनरेट पर वेरीफाई करवाया है। कमीशनरेट में जो आई.ए.एस. पोस्टीड हैं। उनसे एक–एक तहसील/सब तहसील लेवल पर डाटा कलैक्शन शुरू करवाया है। इस प्रोसेस में लगभग एक साल से ज्यादा का समय लगा है। उसके बाद एक डिटेल समरी सरकार को हर कमीशनरेट से आई है। जिसके अंदर प्राथमिक तौर पर अंबाला से आई। उसके बाद गुरूग्राम से आई और अंत में हिसार कमीशनरेट से आई क्योंकि वहां पर नम्बर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्यादा हैं। उसके बाद हमनें उन सभी को कंपाईल किया और ऑन दी फाईल डिसीजन लिया कि तमाम रिवैन्यू क्लर्क्स,

पटवारिज जिला लेवल पर इस तरह की अनियमितताओं में संलिप्त हैं, संगीध हैं तो डिप्टी कमीशन उनको शो–कॉज नोटिस जारी करेंगे और उनके विरूद्ध कार्रवाई करेंगे। जहां सब रजिस्ट्रार्ज की और ज्वाईंट रजिस्ट्रार्ज की बात है हमारी सरकार ने बड़े लेवल पर पूरे स्टेट की एक इंवेस्टीगेशन अंडर एफ.सी.आर. रिवैन्यू के शुरू की है। वे रिवैन्यू के ए.सी.एस. भी हैं। जैसे ही उनकी तरफ से सरकार को डिटेल आ जायेंगी कि किसका रिप्लाई क्या है और किस डीड्स की क्या वेरीफिकेशन थी। उसके बाद जो कार्रवाई Under Rules 7 of Civil Services Act बनती है, वह की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, अब बात 7 ए की आती है। माननीय सदस्या इस तरफ भी बैठी रही हैं यह 7 ए दुष्यंत चौटाल व मनोहर लाल जी की बनाई हुई भी नहीं है और इनकी बनाई हुई नहीं है। यह 1975 का एक्ट है और इस सदन ने पास किया हुआ है। जिसके अन्दर कंट्रोल्ड एरिया कैसे लागू हो और समय–समय पर कैसे बढ़ाया जाये उस पर कार्य हुआ है। अमैंडमैंट भी एक नहीं अनेक हुई हैं। निरन्तर हर अमैंडमैंट पर जिसकी भी सरकार रही हो, उनकी सोच यही रही कि हम मशरूमिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन को रोकने का काम करें। एक चीज मैं फैक्चुअली आज इस सदन में बोल सकता हूं। श्री ओमप्रकाश चौटाला साहब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सबसे पहले अमैंडमैंट लाने का काम किया और इसको एक हैक्टेयर करने का काम किया। उसके बाद जब अगली सरकार आई उसमें गवर्नमैंट कॉलोजाइजेशन बंद हुई तथा प्राइवेट कॉलोनाइजेशन शुरू हुई। माननीय सदस्य ने कहा कि कॉलोनाइजेशन रोकी क्यों नहीं जा रही है। जो * हैं वे कॉलोनाइजेशन रोकने की बात कर रहे हैं, मुझे इस पर बड़ी पीड़ा है। अगर हम प्रदेश के लाइसेंसिज की बात करें और माननीय सदस्या डाटा मांगना चाहेंगी तो मैं डाटा उपलब्ध करवा दूंगा कि प्रदेश में किसकी सरकार में कितनी कॉलोनियां कटी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Smt. Kiran Choudhry: Speaker sir, I want to ask one thing माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो * हैं वे ही कॉलोनाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। ऐसा कहने का इनका क्या तात्पर्य है? इन्होंने कहा है कि जो * हैं वे कॉलोनाइजेशन के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं। ये इस बारे में विस्तार से बतायें

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

कि ये क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं * हूं? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से यह कहा है कि **I am a ***.

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि वे कॉलोनाइजर्स को प्रोमोट कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्या को यह बुरा लगा हो तो इस शब्द को सदन की आज की कार्यवाही से निकाला जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमें पता है कि कौन–कौन * हैं और ये ऐसी बातें कर रहे हैं? ये हमें हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट, 1975 के सैक्शन 7–ए का पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें सैक्शन 7–ए के बारे में सबकुछ मालूम है। मैंने तो सैक्शन 7–ए के उल्लंघन के बारे में पूछा है। मैं यह नहीं पूछ रही हूं कि कब क्या हुआ है, मैं तो यह पूछ रही हूं कि सैक्शन 7–ए की धज्जियां उड़ाई गई या नहीं? इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस * शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ठीक है, यह * शब्द आज की सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को किस–किस कमिशनरेट में सैक्शन 7–ए की कितनी उल्लंघना हुई है उसकी डिटेल फर्स्ट रिप्लाई में दे दी गई थी। अगर वे यह पूछना चाहती हैं कि सैक्शन 7–ए के तहत किस–किस तहसील और सब–तहसील में कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं वह डाटा मैं अलग से उपलब्ध करवा दूंगा।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में एक–दो स्पष्टीकरण जरूर रखना चाहूंगा क्योंकि अभी चर्चा में ये चीजें नहीं आई हैं। जैसे पहला विषय तो यह आया कि सैक्शन 7–ए 1975 के एक्ट में लागू हुआ था। यह ठीक है कि मशरूमिंग न हो यही उसके पीछे हेतू रहा होगा। दो शब्द ऐसे हैं जो बार–बार परिवर्तित भी हुए हैं लेकिन असल में तो मुझे लगता है कि हमारा जो सारा इनफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें चाहे पटवारी हैं, चाहे तहसीलदार हैं या रजिस्ट्री क्लर्क हैं, इनका जो गेम चला है, खास करके इन लगभग 60 हजार रजिस्ट्रियों में

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

जिनमें कि यह सैक्शन 7–ए की फ्लॉटिंग हुई है, उसमें एक शब्द 1975 में हमने डाला या कभी बीच में डाला होगा कि एक हैक्टेयर यानी अढ़ाई एकड़ लैंड है, वह वैकेंट लैंड है और उसी पर यह सैक्शन 7–ए लागू होगा। अब वह वैकेंट कब है और एग्रीकल्चर कब हो गई, इस बारे में हमें शुरू–शुरू में 2016 में बहुत शिकायतें मिली। हमने अपनी सूझबूझ से उस वैकेंट शब्द को हटा कर एग्रीकल्चर किया कि एग्रीकल्चर लैंड छोटे पीसिज में नहीं बिकनी चाहिए। वैकेंट लैंड तो किसी का खाली प्लाट भी हो सकता है किसी का रेजीडेंशियल प्लाट भी हो सकता है या किसी का इंडस्ट्रियल प्लाट भी हो सकता है जिसने अभी खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री तो होनी ही चाहिए। केवल एग्रीकल्चर लैंड के टुकड़े नहीं होने चाहिएं। हमें उस समय लगा कि अढ़ाई एकड़ बहुत ज्यादा है। अढ़ाई एकड़ का मतलब है कि इतनी बड़ी लैंड कोई एक मकान बनाने के लिए तो नहीं लेगा। बड़ा कोई आदमी अढ़ाई एकड़ रख सकता है। सामान्य व्यक्ति जिनको इल्लीगल कॉलोनीज में जाना होता है वह छोटी लैंड होती है इसलिए हमने उसको 2 कनाल कर दिया। मुझे इस विषय को बताने में कोई हर्ज नहीं है कि हमने इसको 2 कनाल किया है। 2 कनाल का मतलब है कि 1000 स्क्वेयर मीटर और इससे छोटा अगर कोई खरीदता है तो वह तो मकान बनाने के लिए ही खरीदता है। बेशक वह गरीब आदमी ही खरीदता है लेकिन इल्लीगल कॉलोनीज इन्हीं से बनती हैं। अढ़ाई–अढ़ाई एकड़ के मकान बना कर कोई इल्लीगल कॉलोनी नहीं बनायेगा। इसके बाद हमें यह ध्यान में आया कि इस एग्रीकल्चर शब्द का मिसयूज करके हमारे पटवारियों ने या हमारे तहसीलदारों ने उसको वैकेंट दिखा दिया क्योंकि जिस समय उसमें फसल है उस समय तो फसल है बाकी समय में उसको बरानी दिखा कर या कुछ और जोड़ कर उसको वैकेंट दिखाया और वैकेंट की रजिस्ट्रियां फिर होनी शुरू हो गई। अल्टीमेटली फिर 2020 में हमने यह समझ कर कि हां 2 कनाल काफी कम है इसको वापिस 1 एकड़ करना चाहिए। यह भी हमें लोगों की तरफ से जो शिकायतें मिलती हैं उसके हिसाब से निर्णय लिया है। आज हमको इस पर विचार करना पड़ेगा कि अगर हम वैकेंट और एग्रीकल्चर लैंड लिखते रहे तो इसका लगातार मिस यूज होता रहेगा। मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा कि जो संबंधित लोग हैं उनके लिए इसमें इन शब्दों को डाला गया है कि अगर कोई छोटी लैंड ई–रेगुलर कॉलोनीज के लिए खरीदता–बेचता है उस पर रोक लगे। खेती और वैकेंट लैंड पर रोक न लगे। मान लीजिए किसी का कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट है उसमें उसका परपज

क्या है? उस प्लॉट को उसने रेजीडेंशियल बनाना है या कॉमर्शियल बनाना है यह देखना है। कम से कम जो मशरूम ग्रोथ है वह रूकनी चाहिए। हमने इसको रोकने के लिए ही 7–ए की शक्ति की है। जहां तक कम्प्यूटराईजेशन की बात है वह हमने शायद सितम्बर 2020 में की थी। इसी वजह से हमने एक–डेढ महीना रजिस्ट्रियां रोक कर रखी थी कि जब तक सॉफटवेयर ठीक से टैस्ट नहीं हो जाता है और टैस्टिंग करने के बाद भी जब वह सॉफटवेयर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब भी पूरे प्रदेश में एक–डेढ महीना कोई भी रजिस्ट्रियां नहीं होंगी। तब जाकर यह हुआ है। इससे पहले यह सिस्टम ऑनलाईन नहीं था। सभी जगह यह ऑफलाईन था। सभी जगह पर फिजिकली डॉक्यूमैंट लेकर ही रजिस्ट्रियां की जाती थी। हमने वर्ष 2017 से ये सारा डाटा मांगा है। जिसके बारे में हमारी बहन किरण जी कह रही हैं कि यह हमने माना है कि 60 हजार के लगभग रजिस्ट्रियों में 7–ए की गड़बड़ हुई है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमने यह माना नहीं है, हमने यह जाना है। हम मानते तब जब कोई और आकर हमें बताता। जब इसके बारे में स्वयं पता लगा कि यह एक फरोड़ हो रहा है जिसकी डेट्स के बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि यह जून 2020 की बात कही जा रही है। जून 2020 में केवल गुरूग्राम की कई शिकायतें आई थी। गुरूग्राम की उन शिकायतों में तहसीलदार, सब तहसीलदारों पर एक्शन लिया गया है और एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं। हमने 13.08.2020 को सभी एस.सी.आर. यानि हमारे डिवीजन ऑफ कमिश्नर और उनके नीचे जो अधिकारी हैं उनको हिदायतें दी हैं कि आप यह बताइये कि हर तहसील में 7–ए की रजिस्ट्रियों में कितना–कितना फरोड़ हुआ है। हमने यह लैटर 13.08. 2020 को लिखा है। इसके बाद हमें इनकी जो जानकारियां मिली हैं उसमें अप टू 20 जनवरी 2022 की भी आखिरी जानकारी है। जब यह सारा कुछ हुआ तो उसके बाद फिल्ड में उसकी जानकारी करनी जरूरी है क्योंकि यह जानकारी नीचे से आई है इसलिए इसको वैरिफाई करना भी जरूरी है। वैरिफाई करने के बाद यह देखना जरूरी है कि इसमें कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है। पूरी वैरिफिकेशन के बाद इनका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। उसमें चाहे तहसीलदार हैं, चाहे सब तहसीलदार हैं, चाहे पटवारी हैं और चाहे रजिस्ट्री क्लर्क हैं। उनको 15 दिनों का समय दिया गया है। सीधा तहसीलदार और सब तहसीलदारों को तो एफ.सी.आर. साहब ने दिया है और बाकी के लिए डिप्टी कमिश्नर्ज को कहा गया है कि वे 15 दिन के अन्दर उनसे जवाब मांगे। उनका जवाब आने के बाद हम कार्रवाई करेंगे

क्योंकि कार्रवाई का जो सिस्टम है अगर उसके बिना हम कार्रवाई करेंगे तो कल को कोर्ट फिर वही करेगी जैसे बाकी लोगों को हमने सस्पैंड किया तो कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया है। हम यह चाहते हैं कि जो पुख्ता केस है वह बने। यह सारा कुछ हम अपने आप कर रहे हैं। हमको किसी ने आकर कोई शिकायत नहीं की है। हमारा भ्रष्टाचार को रोकने का इरादा पहले दिन से ही है कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अब भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार कहां खत्म हो गया है। खुद सी.एम. साहब के हल्के से ही भ्रष्टाचार करने वाला पकड़ा गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि उसको पकड़वाया किसने है। (शोर एवं व्यवधान) आप सुन लीजिए उनके द्वारा भी गलत रजिस्ट्रियां की गई हैं।(शोर एवं व्यवधान) आप सुन लीजिए कि यह पकड़वाने का काम किसने किया है। यह पकड़वाने का काम हमने किया है। अगर करनाल डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई गड़बड़ है तो उसको पकड़वाने का काम भी मनोहर लाल ने किया है। हमने उसको रंगे हाथों पकड़ा है। उसको रंगे हाथों पकड़ने के बाद एक गिरोह मिला है। इस प्रकार के गिरोह आज से नहीं पनपे (शोर एवं व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि इसको हमने पकड़ा है। आप लोगों ने हमें कोई ऐसा आदमी नहीं बताया।(शोर एवं व्यवधान) यह जानकारी हमारे पास है। हमें जानकारी मिली है। चाहे वह जानकारी पब्लिक ने दी या किसी और ने दी कम से कम आपने हमें यह जानकारी नहीं दी है। (शोर एवं व्यवधान) यह विषय आज से नहीं चला है। सालों से ये विषय चलते आ रहे हैं। अब मैं 7–ए के उलंघन की इंकवायरी करवाने की घोषणा करता हूं। हमने तो इसकी छानबीन वर्ष 2017 से करनी शुरू की थी। अगर आपको लगता है कि यह अब हो रहा है ऐसा नहीं है। सैक्शन 7–ए का उलंघन बहुत पहले से होता आ रहा है। आज मैं हाऊस में पूरे समय का तो नहीं लेकिन पिछले पांच–सात–दस साल का अर्थात वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2016 तक की 7–ए के उलंघन की इंकवायरी करवाने की घोषणा करता हूं और हम ये इंकवायरी भी करवाएंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी यह इंक्वॉयरी कितने दिन में करवा देंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, जो आपने समयावधि बताई है क्या आप इससे पहले की भी इंक्वॉयरी करवायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जैसी बात शकुंतला जी कह रही है, क्या वे चाहती है कि इस इंक्वॉयरी को 2004 से शुरू करवा दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान) करवा देंगे लेकिन ये खुद पहले सारी चीजें देख लें तो बेहतर होगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप बात मत घुमाइये, आप यह बतायें कि यह इंक्वॉयरी कितने दिन में पूरी हो जायेगी। (शोर एवं व्यवधान) सदन के अंदर इंक्वॉयरी का टाइम फ्रेम बताना पड़ेगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, फील्ड के सभी सब–डिवीजंस से रिकॉर्ड लिया जायेगा तो स्वाभाविक सी बात है इसमें समय तो लगेगा ही। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, जब सदन में एक बार घोषणा हो जाती है तो उसके बाद कोई यदि–किंतु परन्तु नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल से यह घोषणा कर रहा हूँ, आखिरकार इसकी भी तो कोई मर्यादा होती ही होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह मुख्यमंत्री जी की इज्जत का सवाल है। मुख्यमंत्री जी को इसकी इंक्वॉयरी भी करवानी चाहिए और इंक्वायरी का टाइम फ्रेम भी जरूर बताना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 140 के करीब सब तहसीलें हैं । इन सबका वर्ष 2010 से लेकर 2016 तक का पूरा रिकॉर्ड देखा जायेगा कि इस समयावधि में 7–ए का उल्लंघन कहां कहां हुआ है और यह उल्लंघना जिन भी पटवारियों ने की होगी, तहसीलदारों ने की होगी उनके खिलाफ एक्शन क्या होगा वह तो एक अलग बात होगी लेकिन जैसाकि किरण जी टाइम फ्रेम की बात कर रही हैं, तो सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से इस सारे विषय की जानकारी देने का काम किया जायेगा और यही इसका टाइम फ्रेम है। जैसे अभी हमने 20 अगस्त को पत्र लिखा था और लिखने के बाद उसकी जानकारी आते आते एक साल का समय लग गया तो प्रक्रिया में समय तो लगता ही है। यह आप और हम लोग सब जानते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस तरह से दो साल निकल जायेंगे। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः नहीं–नहीं ऐसा नहीं होगा। हम इसको और स्पीड–अप करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, पौने दो साल का समय तो उप–मुख्यमंत्री महोदय ने लगा दिया रजिस्ट्री घोटाले की इंक्वॉयरी करने में। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, पोने दो साल का समय नहीं लगा है। मैंने कहा कि अभी 20 अगस्त को पत्र लिखा गया था तो प्रक्रिया भी कोई चीज होती होगी ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, सरकार के दामन पर जो दाग लग रहे हैं, सरकार को उनको साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, दामन तो किस किसके सने हुए हैं, उनकी पिछली रिपोर्ट तो सारी आई हुई है और उनके कोर्ट में केस चले हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि किसी तरीके से वे चीजें वहां तक न पहुंचे लेकिन आप पूछ रहे हैं तो निश्चित तौर तक तह तक जाया जायेगा। अब तक तो हम वर्ष 2010 से 2016 तक की 7–ए की उल्लंघना के केसिज की जांच करेंगे लेकिन अगर ज्यादा कूदोगे तो 2004 तक भी चले जायेंगे। ऐसी क्या बात करते हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय केवल बोलते–बोलते हैं, करके तो कुछ दिखाते नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, सरकार की शक्तियां हैं कि वह कोई भी इंक्वॉयरी कंडक्ट कर सकती है। सरकार वर्ष 2010 से जो इंक्वॉयरी करेगी यह इंक्वायरी, रिजल्ट आरिएंटिड कैसे होगी क्योंकि you cannot take cognizance after three years. जो हो गया वह तीन साल तक हो गया। Don't you know that you cannot institute an inquiry after 3 years. मुख्यमंत्री जी, इंक्वायरी करनी है बेशक करे पर उसका कोई आधार तो होना ही चाहिए। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, बत्तरा जी भी मुझे कानून पढ़ाने लग गए हैं। मेरे ध्यान में लाया जा रहा है कि अगर मैं 2010 में जाउंगा तो ये लोग कोर्ट में जाकर खड़े हो जायेंगे कि तीन साल से ज्यादा पुरानी इंक्वॉयरी नहीं करवा सकते। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की बात बतरा जी कर रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने बचने का रास्ता निकाल लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार इस तरह की बातें मुझे क्यों याद कराने का काम किया जा रहा है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, बचने का कोई रास्ता नहीं निकाला है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अब बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अब तो मामला 2010 तक जायेगा और सबकी इंक्वॉयरी करायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप कार्रवाई करो। आप कार्रवाई करने के आर्डर करो। मुख्यमंत्री महोदय, आप आर्डर कीजिए। आर्डर तो आपने करे ही नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, आर्डर कर दिया है कि 2010 से लेकर 2016 तक 7–ए की जहां जहां उल्लंघना हुई है, उसकी इंक्वायरी कराई जायेगी।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, टाइम फ्रेम भी तो बताया जाये ?

श्री अध्यक्षः किरण जी, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा समाप्त होती है। (विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विधायक ऐलनाबाद श्री अभय सिंह चौटाला ने यह बात कही थी कि पैसे लिए जाते हैं मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा कि अगले सोमवार या मंगलवार तक माननीय सदस्य, यह रिकॉर्ड सदन के पटल पर जरूर लेकर आयें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंने तो स्वयं यह बात कही है कि अगर सदन में कोइ ऐलीगेशन लगाया जा रहा है तो उसकी पुख्ता जानकारी सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडूः अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने कोई गलत काम किया है तो क्या यह सरकार भी ऐसे ही काम करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुतला खटकः अध्यक्ष महोदय, सरकार की शह के बिना कोई गलत काम नहीं कर सकता। 99 परसेंट अधिकारी सरकार की शह पर गलत काम करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, ये जो अधिकारी गलत काम करते हैं, ये सब इन लोगों द्वारा ही लगाए गए हैं। अब मैं विषय के साथ यह बात भी जोड़ना चाहूंगा कि आदरणीय कादियान जी ने भी इस हाउस के शुरू होते ही ऐसा ही आरोप लगाने का काम किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने भी वही काम एडाप्ट करने का निर्णय लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हम व्यवस्था को ठीक से रिप्लेस करने का काम कर रहे हैं। हमने जो 80 हजार कर्मचारी लगाये हैं वे इस तरह के सारे कारनामे निकाल निकालकर बाहर लाने का काम करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, आप प्लीज बैठिए। मुख्यमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस सदन का सत्र शुरू होते ही माननीय सदस्य डॉ. कादियान साहब ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था। एक डी.सी. और सी.एम.,जी.जी.ए. यानी गुड गवनर्वेंस एडवाईजर के संबंध में कुछ बातें कही गई थीं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस बारे में नाम लिखकर दें। यदि माननीय सदस्य नाम लिखकर नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि केवल बात कहने के लिये ही आरोप लगाये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य संबंधित नाम लिखकर नहीं देते हैं तो आपको इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता कह रहे थे कि वर्ष 2010 से 2016 तक जिसमें 7–ए का इशू था, उसकी इंक्वॉयरी करवाऊँगा। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता यदि सदन में कोई बात कहते हैं तो अगर वह बात पूरी नहीं होती तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सदन की बहुत बड़ी तौहीन है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ने एक बात इससे पहले भी कही थी कि 'गगन उडार' का जो मामला था, जिसका इशू इसी विधान सभा में उठाया गया था और माननीय सदन के नेता ने हाउस में आश्वासन दिया था कि इसकी इंक्वॉयरी सी.बी. आई. से करवायेंगे। माननीय सदन के नेता ने इसकी जांच नहीं करवाई और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया था। (विघ्न) यदि सदन के नेता विधान सभा में कही बात पूरी नहीं करते तो सदन की बहुत बड़ी तौहीन है। मुझे यह भी नहीं लगता कि सदन के नेता वर्ष 2010 से 2016 तक वाली बात भी पूरी करेंगे। मैं तो यह कहता हूँ कि वर्ष 2010 से उल्लंघन वाली बात वर्ष 2000 से शुरू करें, ताकि कल को कोई यह न कह दे कि हमारा वाला समय छोड़ दिया गया है। इस प्रकार से जब से हमारी सरकार बनी थी तभी से सारी की सारी चीजों की जांच होनी चाहिए।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ने मेरा नाम लेकर बात कही है, इसलिए आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर बात आई थी। उसके विषय में मैंने एक बात कही थी कि डी.सी. की एक काडर पोस्ट है जिसे इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी कहा जाता है । जिस पोस्ट में

ऐडमिनिस्ट्रेटिव शब्द है and the persons who have competed for that post with clearity and transparency so far as administration and professional merits are concerned, वहां पर सुशासन सलाहकार बैठाये गए हैं जोकि अनकांस्टीच्यूशनल है वे किस क्वालीफिकेशन के लोग हैं, किस प्रोविजन से बैठा रखे हैं ? यह एक अलग बात है कि उनकी तनख्वाह कहां से जा रही है । अतः मैंने यह बात कही थी । मैंने अपने एक साथी से कहा कि भाई, तेरा दोस्त फलां जगह पर लगा हुआ है । उसकी मेरे पास शिकायतें आई हुई हैं । उसने कहा कि मैं आपको शाम तक बताऊँगा । उस समय हमारी जो बातें हुई मैं उन्हें इस समय रिपीट कर रहा हूं । उसने मुझे बताया कि हमें तो यह डायरैक्शन है कि सुशासन सलाहकार जिस फाइल के बारे में कहें उसी फाइल को निकालना है । उसने कहा कि उस लैवल पर क्या कंसीड्रेशन, रिश्वतखोरी आदि क्या होती है इसके बारे में हमें नहीं पता । हमारे प्रदेश में 22 जिले हैं और इन सभी जिलों में डी.सीज. के साथ सुशासन सलाहकार लगे हुए हैं । उनकी सलाह के बगैर काम नहीं होते और हर जिले में रिश्वतखोरी हो रही है । अतः मैं सभी जिलों के 22 सुशासन सलाहकारों का नाम लेता हूं कि वहां पर रिश्वतखोरी हो रही है । इसके लिए सरकार चाहे तो इंक्वायरी करवा लें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय डॉ. कादियान जी ने उस दिन एक जिले की बात कही थी और उनसे एक नाम पूछा था । (शोर एवं व्यवधान) पहली बात तो यह है कि अब ये अपनी उस दिन की बात से डायवर्ट हो रहे हैं । उस दिन इन्होंने एक जिले की बात कही थी और मैंने कहा कि हमें उस एक जिले का नाम पता लगना चाहिए ताकि हम उसकी इंक्वायरी करवा सकें । आज माननीय सदस्य उस एक जिले का हमें नाम नहीं बता पाए । इन्होंने सभी 22 जिलों की बात कह दी ताकि इनको उस एक जिले का नाम न लेना पड़े । मुझे सभी जिलों के डी.सीज. का पता है, इसलिए मैं उस एक जिले का नाम पता करना चाहता हूं । मुझे सबसे पहले उस जिले का नाम चाहिए । उसके बाद अगर हमें आगे 22 जिलों तक जाना पड़ेगा तो हम उनमें भी चले जाएंगे । दूसरी बात, सी.एम.जी.जी.ए. के नाम का सरकार में कोई प्रावधान नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सरकारी नियुक्ति नहीं है । सरकार में सी.एम.जी.जी.ए. के नाम का सरकार में कोई विषय नहीं है । तीसरी बात, मैं प्रदेश का सी.एम. हूं । मैं सलाह लेने के लिए किसी को भी अपना सलाहकार बना सकता हूं । सारी पब्लिक ही मेरी सलाहकार है । मैंने

तो बजट बनाते हुए भी ओपनली सारी जनता, विधायकों, विपक्ष के विधायकों, सांसदों आदि को सलाह देने के लिए कहा और मुझे लगभग 550 लोगों ने बजट के विषय पर अपनी सलाह दी है । अतः मैं अपना सलाहकार किसको नियुक्त करूं यह मुझसे पूछने का अधिकार किसी को भी नहीं है । अतः डी.सी. ऑफिस में लगा हुआ सुशासन सलाहकार डी.सी. का सलाहकार नहीं है बल्कि वह मेरे ऑफिस का सलाहकार है । उसके नाम के आगे सी.एम.जी.जी.ए. लिखा हुआ है जिसका अर्थ है मुख्यमंत्री गुड गवर्नैंस सलाहकार । अतः वे सलाहकार मुख्यमंत्री के नाम से हैं और वे मुख्यमंत्री ने ही रखे हैं । उनको हम कहां से लाएंगे, किस योग्यता के लाएंगे, कहां से तनख्वाह देंगे यह पूछने का अधिकार किसी का नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) इसमें स्टेट का कोई पैसा नहीं लगता है । उनको सरकार के किसी भी खाते से पैसा नहीं दिया जाता है । न ही उनकी ऐडमिनिस्ट्रेशन में कोई दखलअंदाजी है । अगर कहीं पर उनकी दखलअंदाजी होगी और कोई डी.सी. हमें इस बारे में कह देगा तो उसका उसी दिन संज्ञान ले लिया जाएगा । मैं अपने सलाहकार न रखूं यह बात विपक्ष के साथी नहीं कह सकते । मैं जनता के किसी भी व्यक्ति को अपना सलाहकार लगा सकता हूं । कांग्रेस से भी कुछ सलाहकार मेरे साथ जुड़ गए हैं और मैं उनसे भी काम ले सकता हूं । धन्यवाद ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के पटल पर बड़ी जिम्मेवारी के साथ यह कहना चाहता हूं और मैंने उस दिन भी यह बात कही थी कि अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय 22 के 22 जिलों में सी.बी.आई. से इंक्वायरी करवायेंगे तो मैं उस जिले का ठोककर नाम लूंगा । अतः आप सी.बी.आई. इंक्वायरी के ऑर्डर करवाइये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं सी.बी.आई. से यह इंक्वायरी करवाऊं कि क्या मैं अपने सलाहकार नियुक्त कर सकता हूं या नहीं और मैं उनसे कोई बात पूछ सकता हूं या नहीं पूछ सकता । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप हर चीज की सी.बी.आई. से इंक्वायरी करवाने की ही बात करते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम पर कोई आरोप होगा तभी तो हम सी.बी.आई. से इंक्वायरी करवायेंगे । अगर माननीय सदस्य हमें किसी का नाम बताएंगे तभी तो सी.बी.आई. इंक्वायरी होगी । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमें एक

जिले का नाम अवश्य बताएं अदरवाइज मैं आपसे निवेदन करता हूं आप इस चीज का अवश्य संज्ञान लें ।

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में एक व्यक्ति का नाम बताना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मेवा सिंह जी, आप ऐसे न बोलें । आप हमें लिखकर बतायें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक अनिल यादव नाम का व्यक्ति है । उसको बहाल करके दोबारा लगाया गया था । अब उसकी इनवेस्टिगेशन चल रही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने सलाहकार अवश्य रख सकते हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि सरकार के पास यू.पी.एस.सी. से सलैक्ट होकर आये आई.ए.एस. ऑफिसर्ज हैं जिसमें चीफ सैक्रेटरी भी है, एडिशनल चीफ सैक्रेटरी भी हैं, आई.ए.एस. आफिसर्ज भी हैं, एच.सी.एस. ऑफिसर्ज भी हैं और ज्यूडिशियरी के आफिसर्ज भी हैं, जोकि हमारी हॉयर अथॉरिटी के द्वारा सलेक्टिड किये जाते हैं। क्या उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि उन्होंने 100, 1000 या कितने सुशासन सहयोगी लगाये हैं ? माननीय मुख्यमंत्री जी यह भी बताएं कि उनको किस मद के तहत तनख्वाह दी जा रही है? क्या ये किसी एन.जी.ओ. से तनख्वाह ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्षः गीता जी, उनकी तनख्वाह सरकार की तरफ से नहीं जा रही है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि क्या वे संघ के लोग हैं ? क्या संघ के लोग हर दफ्तर में बैठाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी जानकारी में यह बात आयी है कि चाहे मुख्यमंत्री ऑफिस हो, चाहे माननीय मंत्रीगणों के ऑफिसिज हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसिज हों या दूसरे ऑफिसिज हों। हम संघ के खिलाफ नहीं है। यह ठीक है कि संघ और बी.जे.पी. का अपना एक सिस्टम है। लेकिन संघ के लोगों को हर दफ्तर में बैठाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी यह लिस्ट टेबल्ड कर दें कि उन्होंने प्रदेश में कितने लोग अपने सलाहकार लगाये हुए हैं ? हमारे देश के जो कैंडिडेट्स यू.पी.एस.सी. के एग्जॉम क्लीयर करके आते हैं तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी इंटैलीजैंसी पर विश्वास नहीं है ? उनको इतने सुशासन सहयोगी क्यों

चाहिए ? सुशासन सहयोगी हर जगह पर लगाये गये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी व्यक्ति या एम.एल.ए. की जांच करवा सकते हैं तो जब उनको सुशासन सहयोगियों को लेकर बात कह रहे हैं या तथ्य हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है कि उनकी भी जांच करवा लें। चूंकि वे सभी लोग दूध के धुले नहीं हैं, उनमें हो सकता है कि कोई एकाध ही ढंग का हो। अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि उनको किस मद के तहत तनख्वाह दे रहे हैं, उसकी भी जांच करवा लें ?

श्री अध्यक्षः गीता जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। मुझे भी बोलने के लिए समय दिया जाए।

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्या ने कहा है कि क्या ये संघ के लोग है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि संघ के लोग तो इनके घर में भी हैं। देश का बच्चा– बच्चा संघ से जुड़ने जा रहा है। इनको संघ से तक्लीफ क्यों है? कांग्रेस पार्टी में भी संघ के लोग हैं। इनके घर में भी संघ के लोग हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में संघ के लोग हैं।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को पता चल गया है कि संघ का विरोध करने से क्या नतीजे आये हैं ?

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देर आए, दूरुस्त आए वाली कहावत हो गयी है। मैंने विधान सभा में डी.टी.पी./एस.टी.पी का मुद्दा उठाया था। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से रिक्वैस्ट है कि उसका नाम भी सुन लें। आप उसकी वर्ष 2006 से नहीं बल्कि सन् 1990 से जांच करवाएं। एस.टी.पी., जे.पी. सिहाग ने पूरे हरियाणा प्रदेश को लूट रखा है और आप उनकी जांच करवा लें। यह महकमा माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कह रहा हूं कि इस मामले की जांच करवा लें और अगर इसमें झूठ होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप इसकी जांच करवा लें। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री सोमवीर सांगवानः अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात रखने के लिए 2 मिनट का टाईम दे दें और मैं केवल 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं काफी देर से देख रहा हूं कि यह कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रीज में 7–ए का उल्लंघन हुआ है, इसलिए ऐसी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि अब तक चाहे कोई भी सरकार रही हो, परन्तु किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सरकार की तरफ से लोगों के बसने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। लोगों को रहने के लिए और अपने बच्चे पढाने के लिए शहरों में भी जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनके खिलाफ एक्शन हो, लेकिन सरकार को अपनी तरफ से हुड्डा के प्लॉट्स डिवैल्प करके लोगों के बसने के लिए अथॉराईज कॉलोनी भी देनी चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने के लिए समय दिया जाए। मैं केवल एक मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए समय दिया जाए। मैं केवल 1 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में ही अपनी बात पूरी कर दूंगा।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, मेरी रिकवैस्ट है कि प्लीज, आप बैठ जाएं।

————————

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के जन संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग के सदस्य तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के जन संचार और मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थीगण तथा इस विभाग के सदस्य उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं।

——————

गैर–सरकारी संकल्पों की सूचनाएं

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, श्रीमती किरण चौधरी, विधायक ने एक गैर सरकारी प्रस्ताव के बारे में पूछा था, मैं आपको जानकारी देता हूं कि इस सत्र के अंदर जो तीन गैर सरकारी प्रस्ताव आये हुए हैं। उसमें से मैंने पहला स्वीकृत किया था, जिसका विषय बढ़ते आवारा पशुओं के बारे में था जिस पर दिनांक 03.03.2022 को सदन में चर्चा हो चुकी है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक और श्री प्रदीप चौधरी, विधायक ने एम.एस.पी. को कानूनी रूप से लागू करने योग्य और कानून के लिए केन्द्र सरकार से प्रस्ताव पास करने के लिए अनुरोध बारे जो गैर सरकारी प्रस्ताव दिया था, उसको मैंने नामंजूर कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह गैर सरकारी प्रस्ताव है, जो किसानों के प्रति..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, यह गैर सरकारी प्रस्ताव हमारी स्टेट से संबंधित नहीं है यह केन्द्र सरकार से संबंधित है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने तीन कृषि कानूनों से संबंधित तो प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भिजवा दिया था फिर इसको यहां से पास करवाकर केन्द्र सरकार को भिजवाने में क्या दिक्क्त है? अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही को सारे हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री वरुण चौधरी, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, श्री भारत भूषण बतरा, विधायक और श्री अमित सिहाग, विधायक ने प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे के मुद्दे बारे जो गैर सरकारी प्रस्ताव दिया था इस विषय पर पहले भी बजट सत्र वर्ष 2020 में दिनांक 4.3.2020 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 21 पर चर्चा हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सदन की ओर किसान देख रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2022–23 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बी.जे.पी. के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। इस सदन को किसान देख रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैंने आपके गैर सरकारी प्रस्ताव को नामंजूर किया है । आप इस बात को चेलैंज क्यों कर रही हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें खराबे की क्या बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप मुझे ऐसे मजबूर नहीं कर सकते हो। मैंने इसको अस्वीकार किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप किसान विरोधी हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, हां बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आप बोलिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, ये बी.जे.पी. सरकार का.....(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस तरह से गुस्से में आओगे यह ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आ रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, अगर आप गुस्से में आओगे तो नुकसान हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, कोई गुस्से में नहीं है। मैं बड़े प्यार से और हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज, आप बैठें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आपकी चेयर में बड़ा दम है। अगर आप गुस्से में आओगे तो नुकसान हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

———————

वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ

श्री अध्यक्ष : अब जगबीर सिंह मलिक जी बजट पर अपनी बात रखेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। ये बी.जे.पी. सरकार का 8वां बजट है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पढ़कर आया करो। मैंने इस बजट अभिभाषण को पूरा पढ़ा है। इस बजट में क्या निकला खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वह भी मरी हुई। इसमें कुछ नहीं मिला । इसमें एक ही मिला की लोन लो और कर्ज अदा करो। बजट और गर्वनर एड्रैस में मैनिफैस्टो का

रिफलैक्शन होता है। इलैक्शन से पहले जो मैनिफैस्टो पार्टी देती है। उसमें क्या–क्या वायदे किये होते हैं, उनको पूरा करने के लिए यह बजट और गर्वनर एड्रैस का प्रावधान होता है। मैंने इस बजट में देखा है कि ये लोग बजट को भूल चुके हैं। इसमें हरियाणा के लोगों का सर्वे आया है और 61 परसैंट लोगों ने कहा है कि सरकार ने जो घोषणा पत्र में वायदे किये थे वे वायदे यह सरकार भूल चुकी है। घोषणा पत्र के वायदों को बजट में अमलीजामा पहनाने का काम नहीं किया गया है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसमें 61 परसैंट लोगों ने कहा है लेकिन मैं उनकी भावना की कदर करते हुए यह जो जन सेवा पत्र जे.जे.पी. का है और मेरे हाथ में संकल्प पत्र भी है, मैं इनको सदन की टेबल पर रखता हूं ताकि ये लोग इन दोनों पत्रों को पढ़ लें। इस जन सेवा पत्र और संकल्प पत्र के माध्यम से कहा था कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देंगे। किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करेंगे। पता नहीं इन्होंने लोगों की जनता से कितने–कितने वायदे किये थे। बुढापा पेंशन 5100 रुपये करने का भी वायदा किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने बेरोजगारी भत्ता भी 11000 रुपये करने का वायदा किया था इसलिए इस चीज को देखो कि इस बजट में ये वायदे हैं या नहीं हैं। इसके बाद यह सरकार जो 7–8 सालों से विकास कर रही है उसकी बात मैं करूं तो इनके नीति आयोग के आंकड़े क्या कहते हैं ? नीति आयोग के जो आंकड़े कहते हैं वह मैं बता देता हूं । पिछले नीति आयोग का जो रिजल्ट आया था उसमें जो हरियाणा पहले नम्बर पर होता था वह 18वें नम्बर पर आया है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 10 राज्यों में हरियाणा आखिरी नम्बर पर रहा है । यह दिसम्बर की रिपोर्ट है । पब्लिक सेफ्टी के बारे में कहा है कि पब्लिक सेफ्टी नहीं है । हैल्थ के मामले में हरियाणा 10वें नम्बर पर रहा है । अध्यक्ष महोदय, जिस हरियाणा का ये जिक्र करते थे कि मैडीकल कालेजिज खोलेंगे, डाक्टर्ज लगाएंगे, ये करेंगे, वे करेगे जबकि पब्लिक हैल्थ के मामले में हरियाणा 10वें नम्बर पर रहा है । हरियाणा 75 वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे है। आज तक जो पोर्ट ब्लेयर से मिट्टी लाते हैं । सुभाष चन्द्र बोस की जयंती मनाते हैं । 250 के करीब हरियाणा के सैनिक आई.एन.ए. में हैं उनके घर वालों का भी नहीं पता कि कौन है, कहां हैं, कैसे रह रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उनके घर वालों का पता लगाया जाए तब असली अमृत महोत्सव होगा । अध्यक्ष महोदय, जो गृह विभाग का मामला है उसका जो बजट दिया गया है उसमें कोई इन्क्रीज नहीं

किया गया है । इसमें सबसे कम इन्क्रीज है । पब्लिक सेफ्टी आज खतरे में है । इसमें 11 या सवा 11 परसैंट इन्क्रीज किया गया है जबकि और सैक्टर्स में 30 परसैंट, 40 परसैंट या 100 परसैंट की इन्क्रीज है । अध्यक्ष महोदय, क्या पब्लिक सेफ्टी जरूरी नहीं है ? पब्लिक हैल्थ के लिए सरकार कहती है कि पब्लिक हैल्थ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हम इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें । जितने मैडिकल कालेजिज हैं और जितने डिस्ट्रिक्ट लैवल के होस्पिटल्ज हैं उनमें कितने में कार्डियोलोजिस्ट, औनकोलोजिस्ट और न्यूरो सर्जन हैं । ये सदन को इस बारे में बताएं । अध्यक्ष महोदय, ये हैल्थ की जो इतनी चिंता करते हैं, तो ये हाउस को बताएं कि कहां कहां मैडीकल ओफिसर्ज लगे हुए हैं ये इसकी जानकारी सदन को दें ।(घंटी)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब आप बैठें । आपको बोलते हुए 5 मिनट हो गए हैं । (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, यह तरीका ठीक नहीं है इससे अच्छा है कि आप मुझे बोलने के लिए समय ही न दें और ये टाइम भी किसी और को दे दें।(विघ्न)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, आप हमें हमारी पार्टी का टोटल समय बता दें हम उस समय को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ।(विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, हम पूरा साल इंतजार करते हैं कि बजट सैशन आएगा और हम लोगों की बात यहां रखेंगे । मैं तो सभी सदस्यों के लिए यह बात कहता हूं कि अपनी बात सभी सदस्यों को रखनी चाहिए । अगर इस ढंग से व्यवहार किया जाएगा तो ठीक नहीं है । हमें अपनी बात रखने के लिए प्रोपर समय नहीं दिया जा रहा है । आप चाहें तो हाउस का समय बढ़ा दें । इस तरह का व्यवहार विधायकों से किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी ज्यादती और कोई नहीं हो सकती । सारे साल में यदि 5 मिनट भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो इससे तो अच्छा है कि इस हाउस को बन्द कर दें । अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि मैं 3 मिनट में अपनी बात नहीं रख पाउंगा ।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, अगर 5 मिनट का समय कम है तो आज हाउस की एक और सीटिंग बढ़ा देते हैं ।(विघ्न)

श्री जगबीर सिह मलिकः अध्यक्ष महोदय, हाउस का समय बढ़ा दो ताकि कम से कम हमें अपनी बात रखने का मौका तो मिले ।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, आज हाउस की एक और सीटिंग बढ़ा देते हैं तो क्या 10 –10 मिन्ट में काम चल जाएगा ? (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, किसी किसी मैम्बर के लिए 10 मिन्ट से ज्यादा का भी समय रख दो ।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः नहीं, 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा । मेरे पास तो एक ही रूल है । हर मैम्बर के लिए 10 मिनट का समय रख लेते हैं और आज हाउस की एक और सीटिंग रख लेते हैं ।

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे सदन की सिटिंग बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव लेकर आयें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय सारे सदन की इच्छा है कि बजट अनुमानों पर चर्चा में सभी सदस्यों को भाग लेने का अवसर मिले इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन की दूसरी बैठक भी बुला ली जाये। आज की पहली बैठक दोपहर 01.30 बजे तक रहेगी। दूसरी बैठक दोपहर 02.30 बजे शुरू होगी और 06.30 बजे स्थगित होगी। आज की दूसरी बैठक में प्रश्न काल नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के सामने आज द्वितीय बैठक का प्रस्ताव रखा है। यदि सदन की सहमति हो तो इसको स्वीकार कर लिया जाये।

आवाजें : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण ठीक है, प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

.....

वर्ष 2022–23 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, जो यह बजट आया है इस पर कैसे एतबार किया जाये जब इसमें बताये गये काम पूरे ही नहीं होंगे क्योंकि पिछले बजटों का जो तर्जुबा है वह यह कहता है कि यह भी खोखला बजट है इसमें कुछ नहीं रखा है। पहले बजटों में किसान की आय दुगुनी करने की बात कही गई थी और उनमें यह कहा था कि वर्ष 2022 से पहले दुगुनी करेंगे। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2022 तो आ गया क्या किसान की आय दुगुनी हो गई? (विघ्न) इन्होंने वर्ष 2015 में वायदा किया था कि नरेला से कुण्डली तक मैट्रो आयेगी। मैं अपने एक–एक सवाल का जवाब चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी मेरे एक–एक सवाल का जवाब दें। मेरे हल्के में किल्होडक में ट्रिनल आई.टी. बननी थी हमारी सरकार ने कुरूक्षेत्र में क्लॉसिज शुरू कर दी थी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सात साल के कार्यकाल में क्या उसकी नींव भी भरी गई है मुझे यह बता दिया जाये? इसी प्रकार से पहले के बजटों में सोनीपत में साईंस सिटी का जिक्र आया। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सोनीपत में साईंस सिटी का निर्माण कहां पर किया जायेगा यह भी बताया जाये। ऐसे ही जींद से हांसी की 150 किलोमीटर लम्बी रेल लाईन का निर्माण कब करवाया जायेगा यह भी बताया जाये। इसी प्रकार से सराय कालेखां से करनाल तक रैपिड ट्रांजिट कॉरीडोर का निर्माण कार्य कब शुरू करवाया जायेगा इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाये। यहां पर मनेठी एम्स का निर्माण करवाने की बात बहुत बार की गई है। मनेठी में एम्स का क्या स्टेट्स है? क्या वह बन चुका है या उसकी नींव रख दी गई है यह भी बताया जाये। बहादुरगढ़ से सांपला तक की मैट्रो लाईन का लेटैस्ट स्टेट्स भी बताया जाये। मानेसर में ग्लोबल सिटी कहां पर बनने जा रही है यह भी बताया जाये। कुण्डली में पांच गांव बसाने थे वहां पर कितने गांव और कितने शहर बस गये हैं इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाये। इनमें से कहां पर टैण्डर हो गये हैं और कहां पर काम शुरू हो गया है यह भी बताया जाये। हरियाणा में तीन स्मार्ट सिटी बननी थी। इनमें दो हिसार और पंचकूला को और एड कर दिया गया है। क्या तीनों स्मार्ट सिटी बन गई? कमेटी की मीटिंग में तो हमें यह रिपोर्ट मिली थी कि अभी स्मार्ट सिटीज के प्रोजैक्ट्स पर बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस काम की गति को तेज किया जाये। ऐसे

ही सरकार ने कहा था कि गन्नौर की हार्टीकल्चर मार्किट पर 2400 करोड़ रूपये खर्च होने थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर कितने करोड़ रूपये खर्च हुए हैं? सफाई आयोग के गठन के बारे में भी बहुत से बजटों में जिक्र किया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सफाई आयोग का गठन हो गया? सरकार यह भी बताये कि सरकार सेवन स्टार विलेजिज की योजना कहां गई? डेयरियों को शहरों से बाहर निकालने की परपोजल शुरू से थी। किस–किस शहर में डेयरी को शहर से बाहर निकाला गया और उसको कहां पर स्थापित किया गया यह भी बताया जाये। यहां पर कम से कम 20 बार आर्बीटल रेल कॉरीडोर का जिक्र आया उसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट करके उसकी नवीनतम स्थिति से अवगत करवाया जाये। मेरी जानकारी के अनुसार इसका तो पहले ही झगड़ा पड़ा हुआ है और किसी को भी यह नहीं पता कि वह कहां से निकलेगा? सरकार कहती है कि सब्जी मण्डियों में महिलाओं को 10 प्रतिशत जगह दी जायेगी। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि कौन–कौन सी मण्डी में किस–किस महिला को जगह दी गई है यह भी बताया जाये और इसकी कम्पलीट डिटेल उपलब्ध करवाई जाये। सरकार ने प्रदेश में लड़कियों के लिए मिनी बस और इलैक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की थी। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा लड़कियों के लिए यह सुविधा कहां–कहां पर प्रदान की गई है इसकी डिटेल उपलब्ध करवाई जाये। इस सरकार ने मेवात कैनाल फीडर का दो बार पत्थर रखकर एक नया रिवाज शुरू किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट करे कि क्या वहां पर अभी तक कोई कार्य शुरू हुआ है? ऐसे ही नागरिक हॉस्पिटल, सोनीपत में ऑक्सीजन प्लॉन्ट का दो बार उद्घाटन किया गया था लेकिन वहां पर एक सिलैण्डर भी नहीं भरा गया। सरकार यह भी बताये कि खेड़ी गुजरान में 120 बैड के यूनानी हॉस्पिटल का लेटैस्ट स्टेट्स क्या है? सरकार के स्तर पर बेसहारा पशुओं से पूरे हरियाणा को मुक्त करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पिछले सात साल से चलाया जा रहा है इसलिए यह बताया जाये कि क्या पूरा हरियाणा प्रदेश बेसहारा पशुओं से मुक्त हो गया? ऐसे ही सरकार द्वारा एक लाख एकड़ बंजर जमीन को रिक्लेम करने की बात कही गई थी। इस बारे में भी बताया जाये कि आज तक कितने एकड़ जमीन रिक्लेम हो चुकी है। सरकार ने यह काम किसी स्तर पर तो किया होगा यह बताया जाये कि यह काम पूरे प्रदेश में कहां–कहां पर किया गया है? सरकार ने

यह भी कहा था कि 20 लाख विद्यार्थियों का मूल्यांकन कार्ड बनायेंगे। सरकार यह बताये कि यह कार्ड कितने विद्यार्थियों का बना है? सरकार ने यह भी कहा था कि गोचरान भूमि को कब्जामुक्त करवाया जायेगा। प्रदेश में कहां–कहां पर और कितनी गोचरान भूमि कब्जामुक्त करवाई गई है यह बताया जाये। हर बजट में और हर गवर्नर एड्रैस में मसाला मण्डी और फूल मण्डी का जरूर जिक्र आता है। सरकार यह बता दे कि सात साल में मसाला मण्डी और फूल मण्डी में किस–किस को दुकान अलॉट हुई है? श्री जय प्रकाश दलाल जी के विधान सभा हल्के में सेरला में एक मिल्क प्लांट लगाना था उसके बारे में भी बताया जाये। मेरी जानकारी के अनुसार वहां पर सिर्फ एक पत्थर लगा रखा है। (विघ्न) उपाध्यक्ष जी, श्री जय प्रकाश दलाल जी के हल्के लोहारू में एक भेड़ बकरियों का सैंटर बनाया जाना था। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस सैंटर का निर्माण हो गया है? (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, जल्दी कंक्ल्यूड करें। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक काम जरूर किया है महत्वपूर्ण रेल प्रोजैक्ट को बनारस ले गई। इसी प्रकार से महम का इंटरनैशनल एयरपोर्ट जेवर गया। दादुपुर–नलवी नहर का निर्माण बंद कर दिया। हांसी–बुटाना नहर का निर्माण बंद कर दिया। बी.बी.एम. बी. में हरियाणा की मैम्बरशिप खत्म करवा ली। जो महाजन, पण्डित इत्यादि का 10 परसैंट आरक्षण था उसको भी खत्म कर दिया, धौहली खत्म कर दी, नम्बरदारी प्रथा खत्म कर दी, गरीब लोगों के 100–100 गज के प्लॉट खत्म कर दिये, सरकारी पशु बीमा योजना खत्म कर दी, शहर के ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन खत्म कर दिये, खेलों में जो नौकरी मिलती थी वह खत्म कर दी, बुजुर्गों की पैंशन काट दी। इसी प्रकार से राजीव गांधी सड़क हादसा योजना के तहत जो गरीब आदमी को एक लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि मिलती थी उसको खत्म कर दिया और सरकारी जे.बी.टी. खत्म कर दी। इसी प्रकार से यदि किसी दुर्घटना में किसान मर जाता था तो पांच लाख रूपये की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जाती थी उसको भी खत्म कर दिया गया। दुधारू पशुओं की प्रतियोगिताओं को भी समाप्त कर दिया गया। यह सरकार गरीबों का राशन भी खा गई और इन्होंने तेल भी बंद कर दिया। (विघ्न) उपाध्यक्ष जी, बी.जे.पी. सरकार की एक पॉलिसी है कि "रोजगार बंद और भ्रष्टाचार का प्रबन्ध।" सरकार यह कहती है कि बीज से बाजार

तक हम किसानों के साथ खड़े हैं। बीज का भी 526 करोड़ रूपये का ताजा घोटाला हुआ है जो किसानों के साथ सरेआम ज्यादती है। इस प्रकार से किसानों के 526 करोड़ रुपये बीज घोटाले के रूप में सरकार द्वारा हज्म कर लिये गये। किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं और जांच करवायेंगे। मैं आपके माध्यम से सदन के पटल पर मेरा पानी–मेरी विरासत से संबंधित एक गांव गामड़ी, जिला सोनीपत के 6 लाख के गबन का मामला रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच करवाए।

श्री उपाध्यक्षः मलिक साहब, आप अपनी बाकी बातें लिखित में सदन के पटल पर रख दीजिए।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, इस गामड़ी गांव की कपास की फसल की ऑनलाइन पेमैंट के दस्तावेज भी मेरे पास हैं और गिरदावरी के दस्तावेज भी मेरे पास उपलब्ध हैं। मैं इनको सदन के पटल पर रखता हूं, सरकार इसकी विजिलैंस से जांच करवाये। इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं कि सोनीपत जिले में लगभग 30 हजार फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं जिसके कारण हर महीने एक–डेढ़ करोड़ रुपये की सरकार को चपत लग रही है, इसकी विजिलैंस से जांच करवाई जाये। मैं इसकी कॉपी सदन के पटल पर रखता हूं। इसी प्रकार से विधायकों को डी.सी. रेट पर स्टैनो रखने का कानून में प्रावधान है और अध्यक्ष महोदय ने भी इस बात को माना है। लेकिन 28 सितम्बर, 2021 को सरकार की तरफ से पत्र जारी करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से फ्रैश इंगेजमैंट बंद कर दी गई। बंद करना तो ठीक है सरकार की पॉलिसी है लेकिन भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज में जो 32 व्यक्ति 5 से 10 साल से आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे हुए थे उनको ठेकेदार ने निकाल दिया तथा उनके स्थान पर नये 32 व्यक्ति लगा लिये गये। जो 32 व्यक्ति पहले काम कर रहे थे उन्होंने जनवरी, फरवरी 2022 तक काम भी किया लेकिन उनकी सितम्बर, 2021 व उसके बाद की सैलरी अक्तूबर, नवम्बर, 2021 में नये लगाये गये 32 व्यक्तियों को दे दी गई। इनसे लगाने के नाम पर भी एक से डेढ़ लाख रुपये तक लिए गये तथा इनको कई महीने की सैलरी भी नहीं दी गई। उनकी हाजिरी का रिकॉर्ड मेरे पास है और यह मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। यह उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मैं इससे संबंधित सभी दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। सरकार इसकी विजिलेंस जांच करवाये तथा उनको

उनके द्वारा की गई ड्यूटी की सैलरी जारी करवाये ताकि उन गरीब लोगों की रोजी–रोटी चल सके।

श्री उपाध्यक्षः मलिक साहब, इसके अलावा आप जो भी बोलना चाहते हैं वह सदन के पटल पर रख दें उसको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जायेगा।

***श्री जगबीर सिंह मलिकः** ठीक है, सर। मैं बाकी के लिखित कागज सदन के पटल पर रख रहा हूं, आप इनको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना देना। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र और जननायक जनता पार्टी का जनसेवा पत्र है। इसमें दोनों पार्टियों द्वारा जनता से किये गये वायदे दिये हुए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको यथाशीघ्र पूरा किया जाये ताकि जनता को इन वायदों का लाभ मिल सके।

———————

चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, पंजाब के पत्रकारिता तथा जनसंचार विभाग के संकाय तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी और उनके फैकल्टी मैम्बर्स आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। हम सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करते हैं ।

——————————

वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री सुभाष सुधा (थानेसर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्त वर्ष 2022–23 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में यह तीसरा बजट पेश किया है। सभी विधायकों से सुझाव लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लिए एक शानदार बजट पेश किया गया है। कोविड महामारी के बावजूद भी सभी के सुझाव लिए गये तथा बजट पेश करने के बाद विधायकों की एडहॉक कमेटी बना कर बजट पर डिस्कशन करवाने की नई पहल की गई है। हम सभी विधायक एडहॉक कमेटियों के मैम्बर्स थे और हमें भी उससे बहुत कुछ सीखने को

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनाया गया।**

मिला है। हमारी सरकार ने कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं किया है। जहां तक रेट ऑफ इंट्रस्ट की बात है तो हमारे ए.सी.एस., वित्त, श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने बताया था कि पूरे इण्डिया के अन्दर अगर कम रेट ऑफ इंट्रस्ट का पैसा कोई सरकार ले रही है तो वह हरियाणा सरकार ले रही है जोकि सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धी है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इस बजट में कुरूक्षेत्र के लिए जो बाईपास का प्रावधान किया गया है उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करूंगा जिसकी मैं बहुत दिनों से सदन में आवाज उठा रहा था। कुरूक्षेत्र एक तीर्थ स्थल है। यहां पर ट्यूरिजम मिनिस्टर बैठे हुए हैं उन्होंने हमारे कुरूक्षेत्र को खूब पैसा दिया है लेकिन इस बजट में भी हमारे थीम पार्क के लिए 205 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसके लिए मैं मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बजट के अन्दर मुख्यमंत्री जी ने हर पहलू को लेकर बजट रखा है। महिला सशक्तिकरण के बारे में मैं कहूंगा कि हमारी जिन बेटियों ने राज्य स्तर पर उपलिब्ध प्राप्त की है उनको आदरणीय सुषमा जी के नाम से 5 लाख रुपये देने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसी तरह जिन महिलाओं की इंकम कम है उनको 3 साल के लिए 7 प्रतिशत इंट्रस्ट पर ऋण देने का जो कार्य किया है यह भी एक बहुत बड़ी उपलिब्ध है। इसी तरह से हमारी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया है। 'मेरी फसल, मेरा ब्यौरा' के पंजीकरण में किसानों को 14 फसलों पर एम.एस.पी. देने का जो काम किया है उससे पूरे हिन्दुस्तान में ऐसा करने वाली हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बन गई है। इसी प्रकार से जैविक खाद के संबंध में यह कहना चाहूंगा कि जैसे आज हम फर्टिलाईजर का प्रयोग करते हैं और जिस प्रकार से हम यूरिया, डी.ए.पी. खाद का प्रयोग करते हैं उसी तरह से पैस्टिसाईड का प्रयोग करते–करते हमारा जीवन खराब हो रहा है। मैं कहता हूं कि बठिंडा से भी एक कैंसर एक्सप्रैस ट्रेन जाती है। उसी तरह से हमारे यहां भी कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अब जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जैविक खाद पर काम करना शुरू किया है। उसी प्रकार से हमारे कुरूक्षेत्र के अन्दर ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला रखी गई है उसके तहत लोगों को बहुत बड़ा मार्गदर्शन दिया गया। मैं कहता हूं कि हमें जैविक खाद पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार ने इस पर भी बहुत बड़ा काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री सुभाष सुधा जी को कहना चाहूंगी कि हम कुछ दिन पहले कुरूक्षेत्र गये थे उस समय कुरूक्षेत्र की सड़कों का इतना बुरा हाल था कि उनसे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था।

श्री सुभाष सुधा : अध्यक्ष महोदय, बहन शकुन्तला जी ने कुरूक्षेत्र की सड़कों की बात कही है तो मैं उनको कुरूक्षेत्र की सड़कों के बारे में बताना चाहूंगा कि कुरूक्षेत्र में एक नई सड़क बननी है जिसका टेंडर भी खुल गया है और अभी एक–दो दिन में काम शुरू होने वाला है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि वे मेरे साथ कुरूक्षेत्र में चलकर देखिये वहां गर्वनमैंट कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ब्रह्मसरोवर में चलता पानी, ज्योतिसर में महाभारत का थीम आदि पर कितना अच्छा काम हुआ है। मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि आप सभी कुरूक्षेत्र की धार्मिक स्थली में एक बार आकर देखिये तो सही कि वहां पर कितने अच्छे कार्य हुए हैं। आप वहां ढ़ांड रोड को देखिये जिसको हमने 5 मीटर से 10 मीटर बनाने का काम किया है। आप हमारे रेलवे रोड को जाकर देखिये किस प्रकार का बना हुआ है। अमीन रोड, भद्रकाली मंदिर रोड आदि सभी रोड्ज को देखिये। (शोर एवं व्यवधान) मैं दावे के साथ कहूंगा कि हम तो हर मेन रोड को 6 लेन बनाने का काम कर रहे हैं। हमने सारी सड़कें 4 लेन और 6 लेन की कर दी हैं। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। यह ठीक है कि एक रोड का काम चल रहा है। वह डिले भी इसलिए हुआ कि पहले उसको काटने का काम हुआ उसके बाद पोल शिफ्टिंग हुई उसके बाद ठेकेदार कोर्ट में चला गया। जब कोर्ट में मैटर चला गया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कोर्ट से वह मामला कलीयर हुआ है और अब उस रोड का टेंडर दोबारा लगाया गया है। अब उस पर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। किस प्रकार से हमारे 25 लाख बच्चों के लिए दो साल में दो बार मैडिकल चैकअप की व्यवस्था रखी है। उसके लिए मैं शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। हमारे कुरूक्षेत्र में गवर्नमैंट महिला कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज बनाए गये और 04 स्कूल्ज अपग्रेड किये गये उसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। जहां हमारी बेटियों की सुबह और शाम दो टाईम क्लासिज लगती थी जिसके बारे में मैं लगातार विधान सभा में बात उठाता रहा हूं। वहां पर 4 करोड़ रुपये की लागत से बेटियों के लिए स्कूल बनाया गया है। उसके लिए मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरा यहां एक किरमच गांव है,

यहां पर बच्चों का स्कूल बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ था लेकिन यहां पर भी 3 करोड़ रूपये की लागत से नया स्कूल बनाने का जो काम किया गया है इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक 200 बैड का अस्पताल बनाने का जो काम किया गया है, उसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जोकि सदन में मौजूद नहीं है, का भी सदन के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार बारणा गांव के अंदर सी.एच.सी., अमीन के अंदर पी.एच.सी. बनाने का भी जो काम किया गया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ ही यह अनुरोध भी करूंगा कि हमारे यहां सैक्टर–7 के अंदर एक जगह खाली पड़ी हुई है, वहां पर भी एक सी.एच.सी. बनाने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां अस्पताल में एम.आर.आई., आई.सी.यू. तथा डायलेसिस की सुविधा नहीं है, मेरा सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि ये व्यवस्थायें जल्द से जल्द यहां पर शुरू करवाई जाये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो बस स्टैंड है, इसके बारे में मैंने पहले भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था और आज सदन के माध्यम से फिर अनुरोध करना चाहूंगा कि चूंकि कुरूक्षेत्र एक महाभारत काल के स्थल के रूप में देश–विदेश में विख्यात है, अतः कुरूक्षेत्र में जितने भी बस स्टैंड हैं, वहां पर महाभारत का थीम बनाया जाये और पिपली बस स्टैंड जिसका टैंडर हो चुका है और जल्द ही यहां पर काम शुरू होने वाला है, वहां पर भी महाभारत का थीम बनाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, लाड़वा से मेरे साथ विधायक मेवा सिंह जी जो मेरी अजीज दोस्त भी हैं, मुझे जो काम सौंपते हैं, मैंने वे सभी काम करने का काम किया है। एक बार मेवा सिंह जी ने कहा कि पिपली को कुरूक्षेत्र में ले लो तो हमने पिपली को कुरूक्षेत्र में लेने का भी काम किया। (हंसी) उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से नगर पालिकाओं व नगर परिषदों को सुदृढ़ बनाने के लिए जिस प्रकार से अर्बन लोकल बाडी डिपार्टमैंट के तहत प्रावधान किए गए हैं और बड़ी–बड़ी योजनाओं को बनाने का काम किया गया, वह भी काबिले तारीफ है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दिव्य नगर योजना बनाई गई है, इसके तहत 60 परसेंट पैसा सरकार की तरफ से दिया जायेगा और 40 परसेंट पैसा लोकल नगर पालिकाओं द्वारा दिया जायेगा और इस पैसे का प्रयोग पार्कों के निर्माण व रख–रखाव तथा पुस्तकालय आदि बनाने में किया जायेगा। अर्बन लोकल बाडीज डिपार्टमैंट के लिए यह एक बहुत बड़ी योजना, सरकार के द्वारा देने का काम किया

गया है। इसके लिए भी मैं सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। इसी प्रकार रोहतक, पानीपत, यमुनानगर व हिसार में जो इलेक्ट्रिक बसिज चलाई जा रही है इसके लिए भी मैं सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा और इसके साथ ही यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि कुरूक्षेत्र में भी चूंकि बहुत से यात्री आते हैं, अतः यहां पर भी इलेक्ट्रिक बसिज चलाई जाये। अंत में मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां सफाई व्यवस्था अच्छी है लेकिन यहां पर सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट नहीं है। जहां पर भी कूड़ा डालना शुरू करते हैं तो लोग वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। अतः आज सदन के माध्यम से अनुरोध है कि कुरूक्षेत्र में सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट जल्द से जल्द लगाया जाए क्योंकि बारिश के सीजन में ऐसा देखने में आता है कि जो कूड़ा यहां–वहां डाल दिया जाता है, उससे बहुत बदबू आती है और रास्ता बंद हो जाता है। अतः सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कुरूक्षेत्र में जल्द से जल्द सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट लगाया जाये। इसके बाद सुभाष सुधा माननीय मंत्री जी से कुछ मांग नहीं करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मपाल गोंदर (नीलोखेड़ी) (एस.सी.): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है यह बजट बहुत ही सराहनीय है क्योंकि जब पूरा देश कोरोना की बीमारी से जूझ रहा था और आय के सभी साधन बंद हो गए थे तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोलकर बजट देने का काम किया। इतना बढ़िया बजट पेश करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ–साथ माननीय उप–मुख्यमंत्री जी तथा माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हलके में एक निगदू कस्बा है जोकि बहुत ही पिछड़ा हुआ है और सरकार ने इसमें जो कॉलेज देने का काम किया है, इसके लिए मैं सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस बजट में कहीं भी एस.सी. और बी.सी. के नाम पर कोई भी चर्चा तक नहीं हुई है और बजट देना तो बहुत दूर की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बजट नहीं बचा था या फिर वे इस बारे में भूल गए थे या फिर सरकार का एस.सी.बी.सी के लिए बजट खत्म हो गया था। संविधान के नियमानुसार प्रदेश

सरकार में एस.सी./बी.सी. वर्ग को दी जाने वाली सुविधाएं बंद नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की याद्दाश्त बहुत ही तेज है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्वाचन क्षेत्र के साथ लगता है, पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एस.सी./बी.सी. वर्ग को बजट देना कैसे भूल गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो बत्तौर वित्त मंत्री भी हैं से अनुरोध करता हूँ कि बजट में एस.सी./बी.सी. वर्ग के लिये भी प्रावधान किया जाये। हम तो यह सोच रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस गरीब और मेहनती वर्ग को कोई विशेष तवज्जो देंगे। परंतु इन समाजों की अनदेखी देखकर काफी दुख हुआ है, इसलिए मैं दोबारा से विनती करता हूँ कि इन वर्गों के हितों के लिये भी बजट में प्रावधान होना चाहिए।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एस.सी./बी.सी. वर्ग के लिये बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया? इस बात का भी हमें मालूम होना चाहिए। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः बहन गीता जी, माननीय सदन के नेता सभी बातों को जरूर जवाब देंगे। बहन गीता जी, प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि माननीय सदन के नेता सभी इशूज पर अपनी बात रखेंगे।

श्री धर्मपाल गोंदरः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों वर्गों के कल्याण के बिना किसी भी क्षेत्र में कोई कामयाबी नहीं मिल सकती। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नीलोखेड़ी को उपमण्डल बनाने का प्रश्न लगा हुआ था। करनाल में हांसी रोड से लेकर नमस्ते चौक तक सड़क जाती है, उसके पास एक शिव कॉलोनी है, जिसमें गरीब लोग रहते हैं। वे सड़क पर बने तीन–तीन फीट के गड्ढों में तकरीबन हर रोज चोटिल के शिकार होते हैं। यह मैटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में भी है। वहां पर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं अपने प्रश्न के समय हाउस में नहीं पहुँच पाया था। नीलोखेड़ी की उपमण्डल की मांग बहुत पुरानी है क्योंकि जहां वर्ष 1966–67 में यह हरियाणा प्रदेश की राजधानी बननी थी, आज उसकी यह दशा हो गई है कि वह उपमण्डल के लिये तरस रहा है। इस विषय पर सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नीलोखेड़ी में बिजली, पानी, सड़कें, सीवरेज आदि की जो दिक्कतें हैं उसके बारे में दो साल पहले 16 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर दिया था लेकिन सरकार ने

आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। नीलोखेड़ी में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर त्राहि–त्राहि मची हुई है। सड़कों की बहुत ज्यादा खस्ता हालत है। जिससे बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ कि सदन के नेता एक बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाये, जिससे वहां की धरातल का पता चल सके। मुझे यह भी पता है कि जो काम दो साल पहले 16 करोड़ रुपये में बनने वाले थे वे आज की मँहगाई के दौर में 20 करोड़ रुपये में भी नहीं बनने वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि रिटायर्ड कर्मचारियों की जो पेंशन लागू थी, वह बंद है उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पुरानी पेंशन नीति को दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जो 100 प्रतिशत विकलांग कर्मचारी हैं, उसमें ज्यादातर टीचर्ज हैं और उनकी नियुक्ति अपने घर से 100–150 किलोमीटर की दूरी पर है। उनको पॉलिसी में ऐसी छूट दी जाये जिससे उनकी नियुक्ति अपने गृह जिले में ही हो सके। क्योंकि ऐसे विकलांग कर्मचारियों के लिये उनकी हैल्प के लिये एक अलग से हैल्पर की जरूरत होती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।

श्री ईश्वर सिंह (गुहला) (एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । राज्य सरकार ने 1 लाख 77 हजार 255 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है । ये पिछले बजट से 15 परसैंट ज्यादा है । यह समूचे समाज के लिए उत्थान का बजट है । यह बजट कर मुक्त बजट है । यह बजट विशेषकर महिला दिवस पर पेश किया गया है । इससे साबित होता है कि इसमें महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है । ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में कमी रखने से समाज अधूरा रहता है । जिस प्रकार से कोई भी पक्षी एक पंख से उड़ान नहीं भर सकता उसी तरह का रोल समाज में महिलाओं का भी है । समाज में भी महिलाएं दूसरे पंख के रूप में है और उनके बगैर समाज के लिए अपनी उड़ान भरना असंभव है । उनके बिना समाज भरपूर और समृद्ध नहीं बन सकता । हमारी पार्टी ने अपने मैनिफैस्टो में यह लिखा था कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे । हमारी सरकार ने डिपो होल्डर के लिए महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है । इसी तरह पंचायत चुनावों में भी महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया है । हमारी

सरकार ने हर किसी की थाली में कुछ–न–कुछ परोसकर दिया है । मैं इस बजट का समर्थन भी करता हूं । अमीर व्यक्ति तो 6 महीने, साल, 2 साल का समय भी निकाल सकते हैं लेकिन गरीब व्यक्ति जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं ये अंत्योदय की बात आती है कि पहली पंक्ति में खड़े व्यक्ति को जो चीज जिस रेश्यो में मिलती है वह चीज समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी समान रेश्यो में मिलनी चाहिए । ऐसे में ही सही मायने में राज करने का उद्देश्य पूरा होता है । परिवार उत्थान अंत्योदय का भाव भी यही है । गुरू रविदास जी ने कहा था –

ऐसा चाहूं राज मैं मिले सबन को अन्न,
छोट बड़े सब सम बसै रविदास रहे प्रसन्न ।

यह समाजवाद और सबको साथ लेकर चलने का विकल्प है । इस बजट को ऐसी भावनाओं के साथ पेश किया गया कि इसमें हर व्यक्ति का ख्याल रखा गया है चाहे वह कर्मचारी है, चाहे वह एस.सी./बी.सी. है, चाहे व्यापारी है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है । एस.सी. वंचित वर्ग का एक हिस्सा है और उसको उसके हिस्से के रूप में ही देखा जाना चाहिए । वर्ष 2008 में केन्द्र सरकार ने गरीबों को 100–100 गज के प्लॉट्स देने का प्रोविजन किया था । मेरे पास इसके संबंध में आंकड़ें हैं । कोई भी सरकार आई और गई लेकिन 56 परसैंट गरीबों को भी 100–100 गज के प्लॉट्स नहीं दे पाई । बचे हुए जिन लोगों की भूमि खरीदने या प्लॉट खरीदने की सामर्थ्य नहीं है और एक घर में तीन–तीन फैमिलीज रहती हैं जोकि नारकीय जीवन जी रहे हैं । उनको 100–100 गज के प्लॉट्स देने की स्कीम खत्म हो गई है । इस संबंध में मैंने इसको चालू करने के लिए प्रश्न भी उठाया था । मुझे जवाब दिया गया कि प्लॉट्स के लिए पंचायतों के पास जमीन ही नहीं है । इस पर मेरा कहना है कि जिस तरह से सरकार हुडा, हाउसिंग बोर्ड, सरकारी आवास आदि के लिए भूमि अधिग्रहण करती है उसी प्रकार इन प्लॉट्स के लिए भी भूमि अधिग्रहण की जाए । ऐसी क्या विडंबना है कि वे नहीं दिए जा सकते । यदि पंचायत की जमीन गांव के पास नहीं है तो उसे दूर की जमीन से ट्रांसफर कर लिया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव दे रहा हूं और सुझाव देना कोई बुरी बात नहीं है। इस प्रकार संबंधित जमीन का ट्रांसफर करके उसमें 100 गज के प्लॉट्स काटे जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसका प्रावधान जरूर होना चाहिए। युवा देश का भविष्य हैं। सरकार ने युवाओं के लिए "कौशल बढाएंगे,

रोजगार मिलेंगे" स्कीम चलायी है और इसके लिए बजट में 200 के लगभग मेले लगाने का प्रावधान किया है। आज के दिन युवाओं में विदेश में जाने की एक भावना, भावुकता और इच्छा जागृत है। इसमें विदेश में जाने के लिए 1 लाख लोगों को प्रशिक्षण भी मिलेगा और सरकार ने प्लेसमैंट सैल भी बनायी है। यह सरकार ने अच्छी बात की है। चूंकि बेरोजगारी को दूर करने का और कोई तरीका नहीं है। बेरोजगारी दूर करने के लिए या तो प्राईवेट सैक्टर है या लोग बाहर जाकर अपना रोजगार धन्धा करना चाहते हैं और उनमें से किसी के पास जमीन भी नहीं है। खासकर युवा वर्ग हाथ को काम चाहता है। यदि युवा वर्ग हाथ को काम नहीं चाहता तो यह नौबत नहीं आती। यह नौबत आज इसलिए आयी है क्योंकि हर युवा विदेश में जाने के लिए वीजा चाहता है। सरकार ने जो प्लेसमैंट सैल बनाया है, यह बहुत अच्छा प्रावधान किया है। महिलाओं और खासकर हमारी बेटियों के लिए बसों में प्रावधान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने किसानों के बारे में बात रखी है। किसानों के बारे में कहा गया है कि वह सबका पेट भरता है। यदि किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैने अपने पिछले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहा था कि जो भूमिहीन लोग हैं, वे खेतों को जोतते हैं और उसके लिए खेतों को बटांई पर लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ठेके पर भी लेते हैं या हिस्से– पट्टे के हिसाब से लेते हैं। जो खासकर प्राकृतिक आपदा आती है उसमें वर्षा ज्यादा हो गयी, ओले पड़ गये या आग लग गयी तो इस पर सरकार जो कम्पंशेसन देती है, वह भूमि के मालिक के पास जाता है। वह कम्पन्शेसन भूमि के मालिक के पास जाने से क्या होता है कि जो व्यक्ति फसल उगाता है, वह वंचित रह जाता है। जो संबंधित भूमि के मालिक हैं उनमें से कोई बम्बई में बैठा है तो कोई दिल्ली में बैठा हुआ है। वे तो बड़ी–बड़ी फर्मज के मालिक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए यह प्रावधान किया जाये कि जिसके नाम पर गिरदावरी होती है उसको कम्पन्शेसन न दी जाए। बल्कि जिसने असली मायने में फसल उगाई है, उसी को मुआवजा दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ किसान से संबंधित एक और बात है कि हमारा पशुधन भी किसान के साथ जुड़ा हुआ है। अब किसानों की जमीन तो घटती जा रही है। पहले जिसके पास 50 किले जमीन थी अब वह घटकर 20 किले जमीन पर आ गया है, 20 किले जमीन वाला घटकर

5 किले जमीन पर आ गया है और 5 किले जमीन वाले के पास जमीन नहीं रही। हमें पशुधन को ज्यादा महत्व देना चाहिए। इसमें खासकर के वीटा का दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स ऐसा व्यवसाय है जिसने वेरका के प्रोडक्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। वेरका के प्रोडक्ट्स की बजाए हमारे हरियाणा प्रदेश के वीटा के हर प्रोडक्ट्स कामयाब हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वीटा वालों को ज्यादा से ज्यादा बजट और सब्सिडी देने की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि हर किसान और पशुपालक दूध का उत्पादन ज्यादा मात्रा में करके इस धन्धे को अपना सके। यही एक सबसे बडा उपाय होगा जिसको अपनाकर भूमिहीन लोग अपना रोजगार का साधन बना सकते हैं। (इस समय घंटी बजायी गयी।) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा से संबंधित एक बात कहना चाहूंगा कि मॉडल संस्कृति स्कूल्ज की संख्या 138 से बढाकर 500 कर दी गयी है। शिक्षा की दृष्टि से हमारी एस.सीज./बी.सीज. कमेटी ने पिछले दिनों कोविड–19 के दौरान यही मुद्दा उठाया था कि जिन बच्चों के पास मोबाईल फोन नहीं है और टैब नहीं है, वे कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे ? चूंकि ये सारा आनॅलाईन सिस्टम हो गया है। इस ऑनलाईन सिस्टम के अन्दर उन गरीबों के बच्चे रहे गये जिनके पास कोई साधन नहीं था। इस दौरान वे बच्चे कुछ दिनों तक तो अमीरों के बच्चों या साधन संपन्न परिवारों के बच्चों के साथ मिलकर पढ़ते रहे। लेकिन उन्होंने बाद में मना कर दिया कि यह रोज का किस्सा ठीक नहीं है। इसके लिए सरकार ने प्रावधान भी कर दिया है। मेरे ख्याल से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कई बार टैब देने के बारे में अनाउंस भी किया है और साथ में यह बात भी बताई थी कि इन पर कितना बजट लगेगा? मैं यह कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन क्लासिज शुरू करते–करते एक साल का समय तो निकल गया है। (शोर एवं व्यवधान) इस संबंध में मेरा यही कहना है कि इन टैब को देने के लिए कोई न कोई टाइम फिक्स कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर जी, अब आप धन्यवाद कह दो।

श्री ईश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक उन बच्चों को टाइम पर टैब नहीं दिये गये हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई में बाधा आ रही है। जब सरकार खासकर देहात के गरीब बच्चों को टैब बांटने का काम करेगी, तब कुछेक लोग उनका नाजायज फायदा न उठा सकें। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो गरीबी रेखा

से जीवन यापन करने वाले लोग हैं और जिनकी आय 1.80 हजार रुपये सालाना है। उन्हीं गरीब लोगों के बच्चों को पहले टैब दिये जायें।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब बच्चे ही पढ़ाई करते हैं इसलिए 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को टैब दिये जायेंगे।

श्री ईश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए प्लीज आप बैठ जायें।

श्री ईश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की बात करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर जी, आप अपनी स्पीच लिखित में दे दीजिए ताकि प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया जा सके।

श्री ईश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे साथ लोक सभा में मेरे साथी रहे हो। कुछ तो इस बात का लिहाज करो। मैं अपने हल्के की एक–दो बातें ही कहना चाहूंगा। मेरा हल्का पहले बैकवर्ड एरिया था अब नहीं है। वहां पर पहले से 100 बैड के अस्पताल की बात कही गई थी इसलिए पहले वहां पर 100 बैड का अस्पताल बनाने का काम किया जाये। हमारे करनाल से कैथल तक रोड बनाई जा रही है लेकिन उस रोड का काम कैथल आकर रूक गया है इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस रोड को कैथल से पंजाब के बॉर्डर तक बनाने का काम किया जाये ताकि पूरे हरियाणा के लोगों को इसका लाभ मिल सके। यह रोड सभी के लिए हितकारी है। दूसरी बात यह है कि हमारा एक बस अड्डा मंजूर हुआ था। इसको बनाने के लिए पिछले बजट सत्र में अनाउंस भी किया गया था। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर चीका मंडी में बाईपास बनाने के लिए, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारी एक ओर मांग है कि सीवन में बस अड्डा बनाया जाये। वहां पर म्युनिसिपल कमेटी बना दी गई है क्योंकि वहां की कम से कम 25000 की आबादी है।

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर जी, आप मंत्री जी को नोट करवा दीजिए आपकी सारी मांगे पूरी हो जायेगी।

श्री ईश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं इसके लिए आपका पुनः बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री जयवीर सिंह (खरखौदा) (एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं शुरूआत करना चाहूंगा कि जैसे किसी आदमी की पहचान, ब्रांडिड कपड़े से नहीं होती है उसके करैक्टर से होती है। ऐसे ही एक अच्छी सरकार की पहचान उसके कार्यों से होती है। सरकार ने वर्ष 2022 का बजट पेश किया है। यह बजट मात्र एक घोषणा है। जैसे कोई चुनाव आने वाला हो और इसमें आम आदमी को, किसान को, मजदूर को, एस.सी.बी.सी. के लोगों को कोई राहत नजर नहीं आ रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आम आदमी की सोच का बजट होना चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो? गांवों में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले होते हैं, उनको सरकार क्या सहायता दे सकती है? जो लोग लोहे का काम करते हैं, गांव में सफाई कर्मचारी हैं, वे अपने बच्चों को अपने पैरों पर कैसे खड़ा कर सकते हैं? जब हमारी सरकार थी तब एस.सी.बी.सी. कैटेगरी के लोगों के लिए एक स्कीम लेकर आई थी, भेड़ पालने के लिए सस्ते ब्याज पर लोन की सुविधा, किराये पर चलाने के लिए मोटर गाड़ी लेने के लिए लोन की सुविधा आदि इस प्रकार ये सारी योजनाएं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हैं। सरकार की ऐसी योजना होनी चाहिए कि जिससे आम आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सके । मुख्यमंत्री जी की शायद सभी हल्कों में घोषणाएं होंगी । हमारे यहां भी 3 घोषणाएं मुख्यमंत्री महोदय ने की थी । एक स्टेडियम बनाने की, एक पार्क बनाने की और खरखौदा हल्के के खांडा गांव में आर्मी के ट्रेनिंग सैंटर की बात की गई थी लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है । हां, एक स्टेडियम जरूर बना है लेकिन उसको स्टेडियम तो कह नहीं सकते । वह इस तरह का स्टेडियम बना है जैसे कोई फार्म हाउस का आंगन हो । उसमें केवल खो–खो गेम फिजीबल हो सकता है तथा दूसरा कोई गेम वहां नहीं हो सकता । उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरे अकेले नहीं बल्कि जितने भी हाउस के सदस्य हैं उनकी सबसे बडी समस्या पानी की निकासी की है , चाहे वह शहर में पानी की निकासी की हो, चाहे गांवों में तालाबों के पानी की निकासी की हो । यह इतनी बड़ी समस्या है कि इससे हर शहर, हर गांव और हर ब्लाक जूझ रहा है। दूसरी बात मैं प्रदेश की सड़कों की कहना चाहूंगा । मैं तो अपने हिसाब से कहना चाहूंगा कि सड़कों के तो यह हालात हैं कि शायद ही कोई विधायक ऐसा होगा जो यह कहे कि मेरे हल्के में कोई भी सड़क खराब नहीं है । मैं तो समझता हूं कि स्टेट में नई

सड़कें बनाने की बजाय पुरानी सड़कों को ही ठीक कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी । हमारी सरकार में खरखौदा में बाईपास बना था । हमारी सरकार में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने खरखौदा का एक वैली की तरह प्रोजैक्ट तैयार किया था कि यहां क्या क्या दिया जाए ताकि खरखौदा का विकास हो सके। हमारे यहां से दिल्ली केवल मात्र 9 किलोमीटर दूर है । उस समय कहा गया था कि खरखौदा में क्या क्या दिया जाए कि जिससे खरखौदा विकसित हो । होस्पिटल बनाने की बात करें तो 100 बैड का होस्पिटल बनाने की बात तो सरकार में चल रही है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 100 बैड का होस्पिटल आलरेडी 2013 में खरखौदा में बनाया गया था लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं है । वहां केवल दो डाक्टर्ज हैं और ओ.पी.डी. 700–750 की है लेकिन वहां सुविधा कोई नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कई होस्पिटल्ज हैं जहां कोई सुविधा नहीं हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हम सरकार से नया प्रोजैक्ट देने की उम्मीद तो क्या रखें मैं तो कहूंगा हमारे यहां हुड्डा साहब ने जो कालेज की या होस्पिटल की बिल्डिंग्ज बनाई थी या जो बाई पास बनाया था उन पर रिपेयर करने का काम कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं किसान की बात करना चाहूंगा । 2022 वर्ष का तीसरा महीना शुरू हो गया है । सरकार द्वारा किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की गई थी । मैं कहना चाहूंगा कि किसान की आमदनी दोगुनी कहां से होगी । बारिश में धान की फसल खराब हो गई और साथ के साथ पानी की निकासी नहीं हो पाई और गेहूं की फसल दोबारा बोई नहीं जा सकी । इस तरह के हालात किसान के हैं तो हम कैसे उम्मीद रखें कि किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पब्लिक हैल्थ की बात करना चाहूंगा । मेरे हल्के खरखौदा में खरखौदा शहर की हालात यह है कि वहां पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है । हम इस बारे में एस.डी.एम.या डी.सी. से बात करते हैं तो वे इसकी जिम्मेवारी पब्लिक हैल्थ पर डाल देते हैं और पब्लिक हैल्थ कमेटी पर डाल देता है लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं है जबकि हमारे यहां के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे भी पड़ता है और पूरे देश और प्रदेश से यहां लोगों का आना जाना रहता है । के.एम.पी. एक्सप्रैस वे भी है और नैशनल हाइवे 334 बी. भी है । लेकिन खरखौदा के हालात देखें तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है । उपाध्यक्ष महोदय, होस्पिटल्ज की जो बात कही गई है उस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें खरखौदा को जरूर शामिल करें क्योंकि हमारे होस्पिटल की बिल्डिंग आलरेडी

तैयार है इसलिए वहां अच्छे डाक्टर्ज और अच्छी सुविधाएं दी जाएं । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उद्योगों की बात करना चाहूंगा। प्रदेश में कोई नया उद्योग नजर नहीं आ रहा है और खरखौदा की आई.एम.टी. में भी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, ये तो वही बात हो गई कि जब स्कूल में जाते थे तो अध्यापक कहता था कि बच्चा जैसा था वैसा ही है। इसी तरह से पिछले सात साल हो गये हैं हमारा ऐरिया जैसा था वैसा ही है। खरखौदा आई.एम.टी. में 60 फीट का एक रोड बनना था लेकिन उसका अभी तक 37 प्रतिशत काम हुआ है मेरा अनुरोध है कि वह कार्य जल्द करवाया जाये। यदि आई.एम.टी. में बिजली, पानी, सड़क आदि की सुविधायें नहीं होंगी तो वहां पर कम्पनीज कहां से आयेंगी। हम अखबारों में रोज पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री जी और उप–मुख्यमंत्री जी ब्यान देते हैं कि खरखौदा में मारूति का या सजूकी का प्लांट लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तक ग्राउण्ड पर कोई काम नहीं होगा तो प्लांट कहा से आयेंगे। इसको लेकर आज तक विभाग की एक मीटिंग भी नहीं हुई है फिर हम कैसे उम्मीद करें कि प्लांट आयेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एस.सी/बी.सी. के बारे में बात करना चाहूंगा । इस बारे में ईश्वर सिंह जी और गोलन जी ने ठीक कहा कि इस बजट में एस. सी/बी.सी. के लिए योजनाएं नहीं हैं। जिससे गरीब आदमी का भला हो सके। हमारी सरकार के समय में 100–100 गज के 3,82,000 प्लाट दिये गये थे उसके बाद एक इंच जमीन भी गरीब आदमी को नहीं दी गई। हम चाहते है और पूरे समाज की भावना है कि गरीब लोगों को प्लाट देने की योजना फिर से बनाई जाये। एस.सी/बी.सी. समाज के पास साधन नहीं हैं फिर यह समाज किस प्रकार से उभरेगा। क्या सरकार यह सोचती है कि गरीब आदमी गरीब रहे और अमीर आदमी अमीर रहे तो बात अलग है। अन्यथा मैं चाहूंगा कि प्लाट देने की स्कीम को दोबारा से लागू किया जाये। हम देखते हैं कि एच.एस.वी.पी. विभाग फायदा लेने के लिए प्लाट की स्कीम लेकर आता है। लेकिन जब गरीब आदमी की बात आती है तो इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है। जब यह विभाग अपने फायदे के लिए जमीन एक्वायर करता है तो उसी तर्ज पर गांव में पंचायत की और शहरों में भी जमीन एक्वायर करके गरीब आदमियों को प्लाट दिये जायें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की कुछ छोटी–छोटी मांगे हैं, मैं उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि रोहणा से खुरमपुर, सांपला बाई पास से रोहतक बाईपास, रोहतक बाईपास से सोनीपत बाईपास रोड, जटौला से हलालपुर सी.एच.सी. तक मरम्मत हेतु झिंझौली गांव में

बवाना से बड़वासनी की कनैक्टिंग रोड जो नैशनल हाईवे बन रहा है वहां तक बनाई जाये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वहां से दो हाईवे निकलते है इसलिए फिरोजपुर बार्डर से रोहतक तक चारमार्गी किया जाये। मेरी इन मांगों की तरफ विशेष ध्यान देते हुए पूरा किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः जयवीर जी, आपका समय हो गया है, प्लीज अब आप बैठे।

श्री जयवीर सिंहः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के कुछ मांगें है, मैं लिखकर दे देता हूं कृप्या आप इनको प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बना ले।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है आप लिखकर दे दो इसे प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बना लिया जायेगा।

***श्री जयवीर सिंहः** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अपने हल्के की पब्लिक हैल्थ विभाग की कुछ मांगे है जैसेकि खरखौदा शहर की सीवरेज व्यवस्था ठप है। उसको जल्द दुरूस्त किया जाये। खरखौदा शहर में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर के सभी एन्ट्री प्वॉयंटस जैसे सोनीपत रोड़, दिल्ली रोड़ व सांपला रोड़ के एन्ट्री प्वॉयंट पर जल भराव की समस्या है इसका भी समाधान किया जाये। मेरे हल्के के गांव मोहम्मदाबाद, झिंझोली में पानी की पाईप लाईन दबाने के कार्य का टैन्डर हो चुका है लेकिन काम रूका पड़ा है। कृपा उसे भी जल्द से जल्द शुरू करवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत राज के बारे में कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के के गांव फिरोजपुर बांगर, राजपुर–कुण्डल, कंवाली, खाण्डा, झिंझोली इन गांवों में पानी की निकासी नहीं है उन गांवों में पानी की निकासी की व्यवस्था की जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा है जैसे कि जो स्टेडियम बनाया गया है उस स्टेडियम में सिवाय खो–खो के खेल के अलावा किसी अन्य खेल के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा पार्क बनाने के लिए जो चिन्हित की गई थी वह भी आज तालाब में परिवर्तित हो चुकी है। इसी प्रकार हमारे गांव खाण्डा में बच्चों के लिए आर्मी के ट्रैनिंग सेंटर की माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी जिसको अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। अतः अनुरोध है जल्द से जल्द इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे हल्के के कुछ गांवों नामतः झरोठ, सिलाना, गोरड़, ककरोई, खुर्मपुर, पिपली तथा भहाना आदि के खेतों में जल

———————————

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

भराव की समस्या बनी हुई है जिसकी वजह से यहां के किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है अतः मैं आज इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जल भराव की समस्या से यहां के किसाना भाईयों को निजात दिलाने का काम किया जाये।

————————

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर रखता हूं:–

सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 21 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार प्रशासकीय सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 7/11/2014–3 ए आर, दिनांकित 21 फरवरी, 2022, मेज पर रखेंगे।

हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीद्वारों का नियोजन अधिनियम, 2020 की धारा 24 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार श्रम विभाग अधिसूचना संख्या एल ए बी/1128, दिनांकित 10 जनवरी, 2022, मेज पर रखेंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016–2017 के लिए हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017–2018 के लिए हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार राज्य सूचना आयोग हरियाणा के सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (01.01.2020 से 31.12.2020) के कार्यान्वयन पर 15वीं रिपोर्ट मेज पर रखेंगें।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2020–2021 के लिए वित्त लेखें (भाग I तथा II) मेज़ पर रखेंगे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2020–2021 के लिए विनियोग लेखें मेज़ पर रखेंगे।

————————

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन दिनांक 15 मार्च, 2022 दोपहर 02.30 बजे (द्वितीय बैठक) तक के लिए स्थगित किया जाता है।

***13: 29 बजे**

(तत्पश्चात् सभा मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2022 दोपहर बाद 2.30 बजे (द्वितीय बैठक) तक के लिए *स्थगित हुई।)